



# दलित क्रान्ति-दर्शन

लेखक :

रामलाल “विवेक”

सहायक लोक अभियोजक, प्रधम थेर  
न्यायालय परिसार, हनुमानगढ़  
जिला-गंगानगर (राज.)



१०७

१०८

संघी प्रकाशन

जयपुर : उदयपुर

प्रकाशक : विजेन्द्र कुमार संघी  
संघी प्रकाशन  
सी- 77, महाबीर मार्ग,  
मालवीय नगर,  
जयपुर-302017 (राज.)  
शाखा : 255, बापू बाजार,  
उदयपुर-313001 (राज.)

“भारतीय दलित साहित्य अकादमी, उदयपुर (राजस्थान शाखा)  
की वित्तीय सहायता से प्रकाशित”

मूल्य : चैतठ हथये

संघी प्रकाशन, जयपुर-उदयपुर द्वारा प्रकाशित/प्रथम संस्करण : 1991/  
सर्वाधिकार : लेखकाधीन/विजेन्द्र प्रिन्टस, किशनपोल बाजार जयपुर में मुद्रित।

---

DALIT KRANTI DARSHAN  
by Ram Lal 'Vivek'

Rs. 65.00

## समर्पण

दलित जन-क्रान्ति  
के जनक,  
डॉ. भीमराव अम्बेडकर,  
जिनके अथक संघर्ष के  
परिणामस्वरूप,  
हम यहाँ तक पहुँचे हैं,  
की पवित्र समृति में  
श्रद्धा सहित समर्पित है ।

## भूमिका

मान्य, रामलाल विवेक रचित 'दलित आन्ति दर्शन' साहित्य जगत में प्रस्तुत करते हुए परम प्रसन्नता और सन्तोष का अनुभव हो रहा है। मान्य विवेक निरन्तर दलित वर्ग के उत्थान हेतु लेखन कार्य करते था रहे हैं। इसके पूर्व भी उनकी इस विषय में पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

पुस्तक में सम्बन्धित विषयों पर इनके नोट निवार्य प्रकाशित किये जा रहे हैं। पुस्तक की विशेषता है कि इसमें तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए समीक्षात्मक दृष्टिपात किया गया है। यह लेखक की अध्ययनशीलता एवं चिन्तन का ही परिणाम है।

पुस्तक में डॉ. अम्बेडकर को दलित आन्ति के प्रथम प्रणेता मानते हुए उनके विचारों को स्थान-स्थान पर उद्घृत किया गया।

भारत की जनसंख्या में बहुजन समाज का भनुयात दिच्यासी प्रतिशत है। इस वर्ग के उत्थान एवं विकास के बिना देश का उत्थान सर्वथा असम्भव है।

स्वतन्त्र भारत के संविधान में वे सब प्रावधान विद्यमान हैं कि उन पर दूरी ईमानदारी से भ्रमल किया जाता तो सदियों से दलित, शोषित बहुजन समाज को समझा और न्याय प्राप्त होता, किन्तु ये प्रावधान पुस्तकों से केंद्र होकर रह गये। राजनीति की रोटियां सेकने के लिये इनकी दुहाई तो दी जाती रही पर उन्हे कार्य व्यं भें परिणित नहीं किया गया। आजादी के बाद के 43 वर्षों के इन अनुभवों से बहुजन समाज को सीख लेनी चाहिए और उसे डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाये गये "स्वयं की सहायता स्वयं" करने के महामन्त्र पर विश्वास करके, शिक्षा, संगठन और संघर्ष के शस्त्रों से स्वय को सुसज्जित करके अपने हकों की लड़ाई को विजय के चरम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा किये बिना उसकी गति नहीं है।

शासकों की 'बांटो और राज करो' वी कूटनीति ने देश को अनेकों प्रादेशिक, जातीय एवं साम्प्रदायिक वर्गों में विभक्त करके पारस्परिक संघर्ष में उलझा दिया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत जैसा सशक्त और समृद्ध देश शक्तिहीन एवं निर्वाल हो गया।

वन्धुवर विवेक साहित्य द्वारा वैचारिक आन्ति साने एवं दलितों में चेतना जगाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक दलित साहित्य अकादमी के माध्यम से प्रकाशित करवाने हेतु उदयपुर आकर मुफ्त से भेट की। जब मैंने उन्हें प्रकाशमी की वस्तुस्थिति से अदगत कराया कि इस अकादमी को सरकार से कोई प्रायिक भनुदान नहीं मिलता है और प्रकाशन सहायता देना सम्भव नहीं होगा। राजस्थान साहित्य अकादमी को हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित करवाने हेतु राजस्थान

सरकार 18 लाख रुपये का अनुदान प्रति वर्ष देती है किन्तु राजस्थान साहित्य प्रकादमी दलित वर्ग को पुस्तकों पर कोई प्रकाशन सहायता नहीं देती है जबकि 18 लाख रुपये में से 10 लाख रुपये दलित वर्ग का हिस्सा होता है। इस प्रकार हमारी जेबों से टैक्स बसूल कर सरकार सबसे साहित्य की समृद्धि में लगा रही है जो सरकार की पक्षपात्रपूर्ण नीति का परिचायक है। अब दलित साहित्य अकादमी ने अपनी आवाज बुलान की है और सरकार एवं साहित्य के नाम पर मठापुरजोर मांग शुरू कर दी है।

बन्धु विवेक ने दलित प्रकादमी की इन गतिविधियों की सराहना की तथा इसके विचार धार्ति अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया। अपने वचन को निभाते हुए उन्होंने अपने ही बलदूते पर पुस्तक प्रकाशन हेतु सहयोग राशि एकत्र की और प्रकादमी के साते में जमा करवा दी ताकि प्रकादमी अपने साहित्य प्रकाशन के महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने की ओर अग्रसर हो सके।

इस रूप में प्रकादमी की ओर से दी गई प्रकाशन सहायता से प्रकाशित होने वाली यह प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय सूरतगढ़, जिला-गंगानगर (राज.) के मान्य सोमदत्त, आर. ए. एस. एवं माननीय श्री सोमदत्त एड्वोकेट को जाता है जिन्होंने अपनी ओर से भरपूर आधिक सहायता देकर प्रकादमी द्वारा पुस्तक प्रकाशन का न बेवल मार्ग प्रशस्त किया वरन् समाज के समुन्नामा भाभार प्रकट करती है।

'दलित धार्ति दर्शन' को और आधिक समाजोपयोगी बनाने तथा एक चिन्तन सारिणी में बांधने के लिए मान्य वी. एल. मेघवाल, आर. ए. एस. ने जो सुझाव दिये, तदनुसार बन्धुवर विवेक द्वारा पाण्डुलिपि में संशोधन, परिवर्धन करने से पुस्तक और भी सुरक्षर बन पड़ी है।

विश्वास है कि इस पुस्तक के माध्यम से दलित वर्ग में स्वाभिमान और मात्मसम्मान की भावना जागृत होगी और वे संगठित होकर शक्तिमान बनेंगे।

पुस्तक प्रकाशन के साथ ही में पुस्तक लेखक बन्धु रामलाल विवेक को प्रपनी एवं अपनी प्रकादमी की ओर से बधाई देती है। साथ ही यह आशा और विश्वास भी रखती है कि प्राप दलित वर्ग का उत्थान करने, उनमें स्वाभिमान जगाने एवं सम्मान से जीवन जीने हेतु निरन्तर प्रेरक साहित्य की रचना करते रहें।

शुभ कामनाओं सहित

उदयपुर

14 प्रैंगल 1991

डॉ. पर्मेश्वर जन्म शताव्दी वर्ष

डॉ. कुमुम मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष  
भारतीय दलित साहित्य प्रकादमी  
344, पम्बामाता स्कीम,  
उदयपुर (राज.)

## लेखकीय

“दलित शान्ति दर्शन”, आप तक पहुँचाते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यह पुस्तक दलित समाज में नया उत्साह पैदा करे, ताकि वे असमानता, भेदभाव एवं शोषण की व्यवस्था के विरुद्ध संगठित होकर, सफल संघर्ष करें, तभी मेरा यह विनाश प्रयास सफल होगा।

मेरा यह विश्वास निरन्तर बढ़ता जा रहा है कि आने वाले समय में भारतीय दलित, मजदूर, पिंडा वर्ग, महिलायें और ग्रन्ति-संस्थक, एक जूट होकर संयुक्त मोर्चा बनायेंगे। लोकशक्ति का जागरण होगा तथा विचार-शान्ति, जन जागरण एवं जन आन्दोलन हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में जबरदस्त परिवर्तन होगा।

समता मूलक जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की रचना होगी। सभी भारतीयों को बिना जाति धर्म या लिंग का भेद किये, विकास के समान अवसर मिलेंगे। राष्ट्र मजबूत होगा तथा भारत एक बार किर विश्व के अन्दर शान्ति, दबन्धुत्व व मानवता की पताका लहरायेगा।

मेरा यह भी दृढ़ विश्वास है कि दलित समाज आने वाले जन आन्दोलन का नेतृत्व करेगा। यह तभी सम्भव होगा जब दलित वर्ग के लोग अपने मसीहा हाँ, अम्बेडकर के शिद्धा, संगठन एवं संघर्ष के आह्वान को समर्कर, जागृत होकर सामूहिक रूप से जबरदस्त प्रयास करें।

शान्ति-दर्शन पर यह मेरी चीयी रचना है। इससे पूर्व मैंने इस विषय पर भारत में विचार-शान्ति, शान्ति-दर्शन और विवेक कान्ति दर्शन लिंगी है। भारत में विचार-शान्ति पुस्तक का प्रकाशन गत वर्ष 1989 में श्याम प्रकाशन फिल्म दौलतानी, जगपुर से हुआ है तथा विवेक कान्ति दर्शन को इसी वर्ष 1989-90 में जन जेतना मंच फालगा ने प्रकाशित किया है। इन दोनों रचनाओं के सम्बन्ध में देश भर से मुझे धारा जनक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। जिनसे मेरा उत्साह बढ़ा है।

इस पुस्तक की रचना की प्रेरणा मुझे भारतीय दलित साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सोहन पाल सुमनाधर, अकादमी की प्रान्तीय अध्यक्ष डॉ. कुमुम मेधवाल एवम् डॉ. वी. प्रार. जादव से मिली है, जिनके प्रति मैं अपना हार्दिक आभार अ्यक्त करता हूँ। इस अकादमी ने मुझे जनवरी 1990 में डॉ अम्बेडकर प्रान्तीय पुरस्कार देकर दलित साहित्य सृजन की ओर मोड़ दिया है।

इस पुस्तक की विषय-वस्तु को अन्तिम रूप देने में मेरे शुभेच्छु मित्र गण विशेषतया श्री बी. एल. मेधवाल, प्रार. ए. एस. उदयपुर एवम् श्री सखनाराम परमार, संयोजक डॉ. अम्बेडकर नवद्युवक संघ, पाली (राजस्थान) का उल्लेखनीय सहयोग रहा है, जिसके लिए मैं उनके प्रति आभारी हूँ।

इस पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार कराने में मेरे ही वार्यालय के वरिष्ठ लिपिक श्री श्याम सुन्दर कालानी का सराहनीय योगदान रहा है। वे मेरे लेखन कार्य में समर्पित भावना से सहयोग देते रहे हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

यह पुस्तक मैं अपनी प्रेरणा के मुख्य स्रोत भारतरत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर की पुनीत स्मृति में उनके जन्म शताब्दी वें पं के उपलक्ष में, शद्दा-सुमन के रूप में समर्पित करता हूँ।

पुस्तक आपको कौसी लगेगी, यह तो आप ही बता सकते हैं। कृपया अपने सुभाव एवम् प्रतिक्रियाएँ मेरे निम्नांकित पते पर भेजकर अनुश्रृति करें।

दिनांक : 19.7.90

रामलाल विवेक  
सहायक लोक अभियोजक,  
प्रथम श्रेणी, हनुमानगढ़ (राज.)

## विषय-सूची

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	दत्ति कौन ?	1
2.	दत्ति-शोषण को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	4
3.	दत्तिओं की दयनीय स्थिति	11
4.	दत्ति-कान्ति का उद्भव एवं विकास	21
5.	दत्ति कान्ति के जनक-डॉ. अम्बेडकर	31
6.	दत्ति कान्ति का विवेक-ब्रह्मी सिद्धान्त	44
7.	समस्या-प्रयो-वर्ग चेतना	52
8.	समधान-प्रयो-वर्ग संघर्ष	63
9.	उद्देश्य-प्रयो-न्तोक शक्ति जागरण	73

## दलित कौन ?

“दलित” शब्द की व्युत्पत्ति दलन शब्द से हुई है। दलन का अभिप्राय है कि किसी वस्तु के मूल स्वरूप को दबाकर स्थितिग्रस्त या नष्ट-भ्रष्ट कर दिया जाये। जैसे कि चक्की के दो पाटों के बीच डालकर अनाज के दानों को दल दिया जाता है। इस सन्दर्भ में दलित का अभिप्राय उस व्यक्ति समूह से है जिसे कि समाज के धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दाने में, शोषक सत्ताधारियों द्वारा शोषण की चक्की में दल दिया गया है तथा शोषण एवं उत्पीड़न का शिकार बनाया गया है।

दलित वर्ग शोषण का शिकार उन व्यक्तियों का समूह है जिन्हे सामाजिक हृष्टि से हेतु समझा जाता है, तथा कथित उच्च वर्ग के लोग जिन्हें दूना तक भी पाप समझते हैं, आर्थिक हृष्टि से जिनके पास सम्पत्ति के नाम पर केवल शारीरिक श्रम ही जीविका का साधन होता है और धार्मिक हृष्टि से सारे सिद्धान्त उन्हें प्रताड़ित, अपमानित एवं शोषित बनाये रखने के लिये गढ़े गये हैं। उन्हें कथित धर्म के अनुष्ठान स्वर्यं करने तक का और अपने आराध्य तथा कथित भगवान के मन्दिरों में प्रवेश तक का अधिकार नहीं होता है। राजनीतिक हृष्टि से सदा जो दूसरों के पिछलमूँ बने रहते हैं तथा स्वर्यं शासक एवं नायक बनना जिनके लिये असम्भव है। आजादी से पूर्व जिन्हें शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक प्रतिष्ठा पाने तक का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं था। तथा कथित सर्वर्ण स्वामियों की सेवा करते रहना, अपमान सहना, घोर गरीबी एवं दरिद्रता का जीवन विताना, जिनकी नियति समझी जाती थी।

दलित वर्ग की उत्पत्ति, हिन्दू वर्ण-व्यवस्था का दूषित परिणाम है। वर्ण-व्यवस्था को जन्म देने वाले वे विदेशी थे जो आज से करीब 3,500 वर्ष पूर्व मध्य ऐश्विया से भारतान्तर के रूप में भारत में आये तथा जिन्होंने भारत के मूल आर्य निवासियों को परास्त नर दास बना निया। अपने शासन की जड़ें स्थाई बनाने

के लिये इनके नेता मनु ने धर्म-व्यवस्था का मृजन बिया। आयों ने धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एवं अर्थ सत्ता को हथिया कर, अपने को मरण घोषित कर दिया। उपर के तीन वर्ण आहुण, धायिय एवं वैश्य को अमज्ज़ा धर्म सत्ता, राज्य सत्ता एवं अर्थ सत्ता का अधिकारी बना दिया तथा हारे हुए द्रविड़ों को सदा-मदा के लिये प्रयत्न गुलाम बनाये रखने के लिये शूद्र घोषित कर दिया। उपर के तीनों वर्णों की रोका का दायित्व शूद्रों पर ढाल दिया गया। मनु ने मनुस्मृति नामक प्रन्थ की रचना की। जिसमें उसने शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से बंचित कर, शोपणा की कि यदि शूद्र के कान में भूल से भी वेद का मन्त्र चला जाये तो उसके कान में शीसा पिघलाकर ढाल देना चाहिये। यदि शूद्र को आसन पर बैठे तो उसके नूतन काट छाले जाने चाहिये। शूद्र उपदेश दे तो उसकी जीभ काट ली जाये। शूद्र की सम्पत्ति को लूट लिया जाये। उसे अच्छे वस्त्र पहनने व मकान बनाने के अधिकार से भी बंचित कर दिया गया। यही शूद्र वर्ण कालान्तर में अनेक प्रकार की सेवाओं से अव्याधित होने के कारण जातियों एवं प्रजातियों में बैट्टा चला गया। सदियों से इस वर्ण के लोगों का सवर्ण लोगों द्वारा दलन, उत्पीड़न एवं शोपण होता आ रहा है। आज इन्हीं वर्गों के लोग दलित वर्ग के नाम से जाने जाते लगे हैं।

उपरोक्त विवेचन से महत्वपूर्ण होता है कि आहुण, धायिय एवं वैश्य के अलावा सम्पूर्ण हिन्दू समुदाय की उत्पत्ति तथाकथित शूद्र वर्ण से हुई है, जो कालान्तर में अनेक जातियों एवं प्रजातियों में बंट कर विभाजित होता गया और इसी विभाजन एवं फूट के कारण शोपण का शिकार भी रहा। इस तरह आहुण, धायिय एवं वैश्य के अलावा समस्त हिन्दू समुदाय दलित वर्ग के अन्तर्गत ही आ जाता है चाहे इस तथ्य को स्वीकार करे या न करे।

हिन्दू धर्म के शूद्र वर्ण से उत्पन्न जाति के अनेक लोगों ने स्वेच्छा से या जबरदस्ती इन्हीं भी काशणों से धर्मान्तरण किया। यह धर्मान्तरण की प्रतिया मुस्लिम काल के आगमन से आरम्भ हुई और आज भी जारी है। अतः दलित समाज से धर्मान्तरित मुसलमान, सिवाय, ईसाई एवं बौद्धों की संख्या भी प्रचुर मात्रा में है। ये लोग मूलतः दलित वर्ग के ही थे। तथा आज भी इनकी स्थिति दलित वर्ग से मिल रही है।

इस तरह से आज वी स्थिति में दलित वर्ग को हम तीन भागों में विभक्त हुए पाते हैं :—

## दलित कौन ?

- (1) भारतीय संविधान की अनुमूलि में अनुसूचित जाति एवं जन जाति में सम्मिलित जातियों के लोग एवं आदिवासी जन-समूह, दलित वर्ग के प्रमुख ग्रंथ हैं।
- (2) अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, जिनका कि सामाजिक स्थान दलित वर्ग के लोगों से थोड़ा ऊपर अवश्य है परन्तु तथा किति उच्च वर्ग के लोग उन्हें अपने से नीचा ही समझने हैं तथा आर्थिक हाप्टि से अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में कोई विशेष अन्तर नहीं है, प्राज वी परिस्थितियों में दलित वर्ग के अन्तर्गत ही गिने जा सकते हैं।
- (3) दलित वर्ग से धर्मान्तरित वे लोग जिन्होंने इस्लाम, बौद्ध सिख या ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है दलित वर्ग के अन्तर्गत ही गिने जा सकते हैं।

इस तरह से यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाये तो भारत के वे समस्त अमजूदी एवं सर्वहारा लोग जो सामाजिक उपेक्षा, गरीबी एवं शोषण के शिकार हैं दलित वर्ग के अन्दर समाहित हो जाते हैं। इस वर्ग में समस्त मजदूर, भूमिहीन किसान, कारोगर, दस्तकार और महिला वर्ग भी समाहित हो जाता है क्योंकि इन सभी अमजूदियों का शोषण पूँजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत हो रहा है।

यदि हम कालं मादर्म के सर्वहारा वर्ग को व्यापक हाप्टि से देखें तो पता चलता है कि सर्वहारा वर्ग से जिसे कि हम भारतीय सम्बद्धि में दलित वर्ग कहते हैं वे सभी साधन विहीन अधिक आ जाते हैं, जिनके पास केवल शारीरिक शर्म ही जीविका का माध्यम है, उनके शर्म से देश भी समूची अर्थव्यवस्था संचालित होनी है तथा उनके शर्म का अधिकांश भाग पूँजीपति वर्ग लूट लेता है। इन सर्वहारा शोषित दलितों का उद्धार, सर्वहारा वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष एवं समाजवाद के द्वारा ही सम्भव है।

---

## अध्याय दो

# दलित शोषण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

दलित समाज की समस्याओं को समझने के लिये यह आवश्यक है कि इन समस्याओं के मूल वर्णन व्यवस्था एवं उससे उत्पन्न जाति-व्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया जावे। जाति-व्यवस्था को समूल नष्ट किये बिना दलित समाज की समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। दलित समाज को यदि अपनी समस्या का निराकरण करना है तो या तो उन्हें साहसपूर्ण संघर्ष करके वर्ण एवं जाति की धारणाओं को नष्ट करना होगा या स्वयं को इस दूषित व्यवस्था से अलग करना होगा, इसके प्रलापा दलित वर्ण की उन्नति का कोई उपाय नहीं है।

दलित समाज को इस ऐतिहासिक सच्चाई पर गम्भीरता से विचार करना होगा कि वे भारत के मूल निवासी हैं। उनके पूर्वज भारत के आदि निवासी थे। इनकी आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व एक फली फूली सम्यता थी। जिसे मिन्धु धाटी की सम्यता के नाम से जाना जाता है।

सिन्धु सम्यता को नष्ट करने वाले विदेशी आक्रान्ता थे। ये वेस्त्रियन सागर ध्रोत्र के मूल निवासी थे जो बाद में यूरोप एवं ऐशिया के भिन्न-भिन्न भागों में बस गये। इनकी एक शाखा के लोग मध्य ऐशिया की ओर से 1500 ई.पू. के लगभग भारत माये ध्रोत्र पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी भारत के अनेक स्थानों पर आकर रहा गये। उन्होंने भारत के मूल निवासियों से लगातार वर्षों तक युद्ध दिया तथा परास्त कर दिया। भारत के मूल निवासियों को परास्त कर यहा के स्वामी बन बैठे। तथा उत्तरी एवं पूर्वी भागों तक फैलते गये परन्तु उन्हें समय तक इनकी शक्ति के गड़ दक्षिण भारत में उनका प्रवेश सम्भव नहीं हो सका।

वर्ण व्यवस्था : एक धूगित साजिश :

इन्होंने अपनी जड़े स्थाई बनाने के लिये वर्ण व्यवस्था का मूलन दिया।

## दविन ज्योरण की इन्डिहानिक दृष्टिनूर्ति

उन्होंने स्वयं को धर्म रक्षा, गम्य रक्षा एवं अर्थ रक्षा का स्वामी बनाये रखने के लिये अपने में से ऊपर के तीन वर्णों आहुण, अथिय ग्रन्थ वैश्य वर्ण की मृत्यु वो तथा स्वयं को सवरुं तथा बुलोन घोषित कर दिया।

आहुणों ने धार्मिक कर्मकाण्ड के नाम पर कई संस्कारों एवं नीतियों का ध्वजन किया ताकि जन्म से लेकर मृत्यु तक वाकी सभी वलों के लोग उनके शधीन बने रहें। हारे हुये को उन्होंने सदा-सुदा के लिए अपना गुलाम, मेवक एवं दत्पादन पञ्च बनाये रखने के लिये शूद्र घोषित किया। इस तरह मेर वरुं व्यवस्था जैसी पृष्ठित सामाजिक व्यवस्था का जन्म हो गया। प्राप्त चलवर यह वरुं व्यवस्था अपने के जातियों की जन्मदात्री बनी। भारत विभाजित होना चला गया और नवीजा निकला सदियों की गुलामी।

वरुं व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रसिद्ध एवं इन्डिहानकार अठे दुवायस वा वर्थन है कि :—

आरम्भ से ही कर्म काण्डों और सामाजिक जीवन पर अपने पूर्ण अधिकार में विश्वास करते थे। द्रविड़ों को परास्त करने पर उन्होंने स्वयं को द्वितीय यहाँ के मूल निवासियों को दास अथवा शूद्र कहना आरम्भ कर दिया। आगे चलकर अपनी अधिकार सत्ता की अलोकितता प्रतिष्ठित करने के लिये स्वयं को ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्म का प्रति रूप कहने लगे। अन्तर्विवाह, कर्मकाण्ड आदि साधनों से उन्होंने द्रविड़ों से अपना मिथ्रण रोकने का प्रयत्न किया। साथ ही उन्होंने शूद्रों को निम्न स्तर और निम्न रक्त का सिद्ध करने के लिये अनेक भ्रामक धारणाएँ फैलाई। इस तरह ब्राह्मणवादी नीति के कारण जाति प्रथा, ऊचनीच व द्युग्राहूत का जन्म हुआ।

डॉ. मजूमदार का मत इस विषय में निम्न प्रकार है— संस्कृति के संघर्ष और प्रजातीय सम्पर्क ने ही भारत में प्रजातीय समूहों का निर्माण किया है। जाति की उत्पत्ति को समझने के लिये हमें संस्कृति के शब्दों का सहारा लेना चाहिये। ऐसा ही एक शब्द वर्णन है जिसका अर्थ रंग और वर्ग दोनों होता है। आरम्भ में वर्ण एक-दूसरे के रंग के आधार पर मिले थे। जो इण्डो यार्थन प्रजातीय और देश के मूल निवासियों प्राग-द्रविड़ तथा आदि भू-भूष्य सागरीय प्रजातीय के मिथ्रण से बने थे। इस प्रजातीय मिथ्रण के अनेक कारण थे। जैसे आकान्ता समूहों में स्त्री की वसी, उनके घुम्मकड़ जीवन में भारत के मूल निवासियों को स्थाई जीवन का आवश्यक विकसित द्रविड़ संस्कृति तथा उसकी भावृ सत्तात्मक ध्यवस्था, देवियों की पूजा, पूरोहित ध्यवस्था, विविध संस्कार आदि।

डॉ. मजूमदार की मान्यता है कि द्रविड़ों को परास्त करने के कुछ समय बाद ही आर्य ब्राह्मण, धत्रिय तथा वैश्य तीन उच्च वर्णों में विभाजित हो गये जब कि द्रविड़ों को सबसे नीचे शूद्र वर्ण की श्रेणी प्रदान की गई।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ण एवं जाति ध्यवस्था ब्राह्मणों की चतुर राजनीतिक योजना थी। वे बिना परिथम किये बाकी के लोगों पर शासन करना चाहते थे। अतः उन्होंने धार्मिक कर्मकाण्ड, विधि विधान, निर्माण राजनीतिक संचालन वी प्रतियायें, अपने हाथों में रख लीं। जिससे कि वे सत्ता को अपने धनुकूल बनाये रखने के लिये शास्त्रों की रचना करते रहें। और इन ध्यवस्थाओं को उन्होंने पार्मिक रूप दे दिया ताकि बाकी वर्णों के लोग अपने भी अनावश्यक उन्होंने प्राप्ति का अंश मूँद कर पालन करते रहें।

ब्राह्मणों को यह भय नहीं था कि उनकी सत्ता पर भावरण हो सकता है।

अतः उन्होंने धर्मियों को अपना रक्षक बनाने के लिये दूसरे नम्बर पर रखा । वे स्वयं को ब्रह्म का अवतार घोषित करने लगे । तथा उन्होंने धर्मियों को भगवान् का अवतार घोषित कर दिया । देश की सम्पूर्ण भूमि उत्पादन के संघर्ष एवं व्यवसाय पर अपना कब्जा बनाये रखा एवं व्यापार एवं पशु पालन का उत्तरदायित्व वैश्यों पर डालकर उन्हें तीसरे दर्जे का सम्मान दिया ।

भूमि पर अन्न पैदा करने, मकान बनाने, वस्तुये निर्मित करने, सफाई करने व अन्य सेवा कार्य करने के लिए उन्हें ऐसे गुलामों की आवश्यकता थी, जो उनके अधीन उनकी मेहरबानी पर जिन्दा रहे और उनके आदेशों के अनुमार उनकी सेवा करते रहे । पर बदले में कुछ भी उन्हें नहीं दिया जाये । अतः हारे हृषे द्रविड़ों वो जीवन दान देकर, सदा-सदा के लिये अपना गुलाम बनाये रखने के लिये, उन्होंने शूद्र वर्ण की रचना की । आज भी सम्पूर्ण अमजीदी वर्ण, दलित वर्ग के रूप में, इसी कारण शोपण का शिकार होकर, अपमान की जिन्दगी जी रहा है ।

### आदिम जन जातियों का शोषण

हमारे देश में अनेक जन जाति समूह वर्णों, जंगलों एवं दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी पशुओं की सी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । ये लोग घोर दरिद्रता अधिकारा एवं अन्ध विश्वासों के जिवार हैं तथा देश की आम धारा से कटे हुए अभी भी आदिम मानव की जिन्दगी जीने को विवश हैं ये आदिम जन जाति समूह भी दलित वर्ग की ही श्रेणी में प्राप्त हैं । इनके साथ-साथ अनेक ऐसे जन-समूह हैं जो केवल भिक्षा वृत्ति, तेल तमाजों एवं टोने टोटके के आधार पर ही जीवन निर्वाह करते हैं ऐसे लाखों लोग सामाजिक उपेक्षा एवं दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं । वे भी दलित वर्ग के ही अंग हैं । आज भी भयंकर आर्यिक विषमता एवं पूंजीवादी व्यवस्था ने, चड़ती जा रही वेरोजगारी ने, श्रौद्योगिक उत्पादन की मशीनी व्यवस्था ने, ग्रामीण जीवन की, कुटीर उद्योगों की, चौपट कर दिया है । रोजगार की तलाश में, गांवों से शहरों की ओर निरन्तर देश की बहुत बड़ी आवादी को जाने को विवश कर दिया है । ये वेघर, वेरोजगार लोग रोजगार की तलाश में शहरों की फुटपाथों पर जीने को विवश हैं । इन लोगों ने भी दलित वर्ग को व्यापक आयाम दिया है ।

### धर्म की आड़ में शोषण का उपाय

आहुरणों ने केवल अपने स्वार्थ के लिये, वर्ण व्यवस्था का सृजन ही किया

बलिक उसे स्थाई एवं महिमा मण्डित करने के लिये, ग्रामीणिक एवं ईश्वरीय विधान घोषित करने की भी भरपूर चेष्टा की, ताकि शोपित दलितों को उनकी कूटनीति का पता न चल सके और वे शोपण को, निम्नता एवं अपमान की जिन्दगी को, ईश्वर का विधान मानकर जीते रहें, ताकि सभी विद्रोह न कर सकें।

जाति प्रथा की उत्पत्ति के इन परम्परागत सिद्धान्तों, जिन्हें कि दुर्भाग्य से, अधिकांश हिन्दू मानते हैं, का पता हमें प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों, वेदों, उपनिषद् तथा महाकाव्यों से चलता है।

वैदिक साहित्य में जाति प्रथा के सम्बन्ध में, सबसे प्राचीन व्याख्या कृष्णवेद के पुरुष सूक्त के एक सूत्र से मिलती है, इसके अनुसार आहुण द्वादा के मुख से, अश्रिय भूजा से, वैश्य जघा से तथा शूद्र पेरों से उत्पन्न हुये। इसी आधार पर प्रत्येक जाति के कार्य का निर्धारण हो गया। मुख का कार्य बोलना है, अतः आहुणों का कार्य पठन पाठन हुआ ताकि वेदों की रक्षा हो सके। भूजा शक्ति की द्योतक है, अतः शशिंयों का कार्य शक्ति से सम्बन्धित माना गया, जैसे— अश्व-शस्त्र का प्रयोग और प्रशिक्षण, युद्ध कार्य दूसरों के धन और जीवन की रक्षा आदि। इसी प्रकार वैश्यों का कार्य अध्ययन, त्याग, कृदि, व्यापार एवं पशुपालन घोषित किया परन्तु यह यह नहीं बताया गया कि जैसे मुख का कार्य बोलने का है, भूजा शक्ति का प्रतीक है, वैसे जघा किस गुण कर्म का प्रतीक है, जिसके खिलाफ आगे शूद्र के बारे में बहा गया है कि पेर सारे शरीर का दोभ दोते हैं अतः उनसे उत्पन्न शूद्रों का कार्य, अपने ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना ही है।

अब आप स्वयं अपनी तुड़ि से विचार करें कि वया किसी व्यक्ति का जन्म कभी किसी के मुख, भूजा एवं पेरों से हो सकता है कि मेरा तो यह मुनिश्वित मत है कि प्रत्येक व्यक्ति वा जन्म प्राकृतिक नियमों के प्रधीन स्त्री-पुरुष के समागम के बाद, माँ के उदर से ही होता है। किर वया यह सिद्धान्त कोरी कल्पना नहीं है ?

यदि थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि जारों वर्णों की उत्पत्ति, इस विचित्र ढंग से, द्वादा से हुई है तो यह प्रश्न और भी ज्यादा विचारणीय हो जाता है कि पाविर यह यहां कोई वास्तविक तथ्य या या केवल कल्पना मात्र ? यदि यह वास्तविक या तो उसकी उत्पत्ति वह और कैसे हुई ? यह भी कम विचारणीय तथ्य नहीं है। इस सम्बन्ध में भी ग्रन्थों में ग्रन्तेक वृहानियां हैं परन्तु

परन्तु जगत की उत्पत्ति के वैज्ञानिक सिद्धान्तों के सामने उन कल्पनाओं का कोई अस्तित्व नहीं है।

इसी तरह की एक और विचित्र कल्पना का उल्लेख महाभारत में किया गया है जिसके अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ब्राह्मण की सृष्टि की और तब ऋगः क्षत्रिय, वैश्य व शूद्रों का जन्म हुआ। ब्राह्मण का रग सफेद (श्वेत) क्षत्रिय का लाल (लोहित) वैश्य का पीला (वीत) और शूद्र का काला (श्याम) था। अर्थात् श्वेत गुण वाले या सत्य प्रधान व्यक्ति ब्राह्मण रहे। भोग, क्रोध तथा वीरता से सम्पन्न लोहित गुण वाले अर्थात् रज प्रधान व्यक्ति, क्षद्रिय बने, कृषि, पशुपालन आदि करने वाले पीत गुण के अर्थात् तमो मिथित रज प्रधान व्यक्ति वैश्य तथा असत्य आचरण करने वाले, श्याम वर्ण के अर्थात् तम प्रधान व्यक्ति शूद्र बने।

वर्णों से जातियाँ कैसे बनी? इसका उल्लेख महाभारत एवं मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में किया गया है, जिसके अनुसार चारों वर्णों के बीच में अनुलोभ विवाह प्रथा अर्थात् नीचे के वर्ण की कन्या का ऊपर के वर्ण के व्यक्ति के साथ विवाह की प्रथा प्रचलित थी। परन्तु प्रतिलोभ प्रथा अर्थात् नीचे के वर्ण के पुरुष के साथ, ऊपर के वर्ण की कन्या के विवाह की प्रथा, प्रचलित नहीं थी परन्तु समाज द्वारा उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। अतः इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न सन्तानों के कारण वर्ण व्यवस्था से अनेक जातियों एवं उप जातियों का जन्म हुआ।

जाति एवं वर्ण की पृणित राजनीति की समझने के साथ-साथ, दलित व्यक्तियों को साम्यवाद के प्रधर्तक कार्ल मार्क्स के भौतिक द्वन्द्ववाद, इतिहास की भौतिक व्याख्या, वर्ग चेतना संघर्ष एवं साम्यवाद के दर्शन को भली प्रकार समझता होगा। मार्क्सवाद को जान व समझकर ही उनमें वर्ग-चेतना, वर्ग संघर्ष एवं साम्यवादी समता मूलक जाति विहीन एवं वर्ग विहीन समाज की संरचना का सकल्प पैदा हो सकेगा।

मार्क्स का मत है कि जिस वर्ग के हाथों में उत्पादन के मूल साधन भूमि, कल कारखानों और उत्पादक व्यवस्था आ जाती है वह वर्ग अर्थ सत्ता के बल पर राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लेता है। वह साधन-सम्पन्न शोषक वर्ग साधन-विहीन शमजीवियों का, भरपूर शोपण करता है। शमजीवी मजहूरों को भी वह सम्पदा पैदा करने वाले यत्र की तरह उपयोग में लाता है।

साधन सम्पन्न शोषक पूँजीपति वर्ग अपनी सत्ता एवं शक्ति को बनाये

रखने के लिये अपने अनुबृत समाज रक्षा के लिये धर्म कानून तथा नैतिकता के सिद्धान्तों को गढ़ लेता है।

मावसंवाद की रोशनी में यदि हम वर्ण व जाति-ध्यवस्था का अवलोकन करें तो पता चलता है कि हिन्दू समाज के सारे धार्मिक, नैतिक एवं कानूनी विधि-विधान सर्वर्ण सम्पन्न पूंजीपतियों के हितों की रक्षा के लिये गढ़े गये हैं तथा इन सिद्धान्तों एवं आदर्शों में आस्था रखते हुये, दलित कभी भी शोषण के कुचक से मुक्त नहीं हो सकते हैं।

---

## दलितों की दयनीय स्थिति

दलितों की दयनीय स्थिति तक पहुँचाने की, पूर्णतया जिम्मेदार, ब्राह्मणों द्वारा अपनाई गई, कूटनीतिक योजना है। ब्राह्मणों ने शिक्षा, संस्कार एवं धर्म का अधिकार अपने पास सुरक्षित रख लिया था। तथा वर्ण व्यवस्था ना सृजन कर स्वयं को ब्रह्मा का प्रतिरूप घोषित कर दिया था। स्वयं की सत्ता एवं शक्ति को भ्रम्य वर्यों से ऊपर रखने के लिये उन्होंने विशेषाधिकार अपने लिये सुरक्षित रख लिये तथा जिन लोगों ने उनके विशेषाधिकारों का विरोध किया उन्हें सदा-सदा के लिये अधिकार छुत कर शूद्र घोषित कर दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने शूद्रों की उत्पत्ति, उनके शोषण की परिस्थितियों एवं कारणों पर बड़ी महराई से प्रध्ययन एवं शोध कार्य किया वर्योंकि वे शूद्रों एवं दलितों की मानवीय अधिकार दिलाने के लिये संकल्पबद्ध थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों “शूद्र कौन थे” में इस सम्बन्ध में विस्तार से लिखा है।

डॉ. अम्बेडकर शूद्र को पृथक वर्ण नहीं मानते थे। वे उन्हें मूलतः अत्रिय मानते थे। उनका मानना है कि जिन धर्मियों ने ब्राह्मण की श्री छठता के अधिकार की चुनौती दी, ब्राह्मणों से सपर्व किया, उन धर्मियों का उपनयन संस्कार करना, ब्राह्मणों ने बन्द कर दिया तथा ऐसे धर्मियों को उन्होंने शूद्र घोषित कर दिया। इस तरह ब्राह्मणों की धूणा एवं विद्वेष की भावना ने असृश्यता की दुर्भावना को जन्म दिया।

डॉ. अम्बेडकर ने पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस भत का समर्थन नहीं किया है कि धार्यों ने भारत पर आक्रमण किया तथा यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों या दस्युओं को परामर्श कर उन्हें शूद्र घोषित कर दिया। वे शूद्रों को आयों की ही एक उपजाति मानते हैं। जो ब्राह्मण धर्मिय संघर्ष के परिणामस्वरूप

कालान्तर में शूद्र घोषित कर दिये गये। वे ऋग्वेद के पुरुष जूद्र को प्रमाणिक नहीं मानते वरन् उसे बाद में जोड़ा गया मानते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के मतानुसार आरभ में मूलतः तीन वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ही थे। जूद्र वर्ण की उत्पत्ति कालान्तर में ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के सत्ता संघर्ष के बाद हुई। उनका यह मत है कि पुरुष सूक्त, ब्राह्मणों ने बाद में स्वयं वे अन्य वर्णों से थोड़ घोषित करने के लिये तथा शूद्रों को निम्न स्तर का करार देने के लिये जोड़ा था।

शूद्रों के इस मान में ज के बारण उनका ब्राह्मणों से हिसात्मक संघर्ष हुआ। शूद्र राजा मुदास और ब्राह्मण ऋषि वशिष्ट का उदाहरण इस सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर देते हैं। वशिष्ट एवं विश्वामित्र का संघर्ष भी ब्राह्मण व क्षत्रिय संघर्ष का उदाहरण है। परशु राम और जामदग्नि ऋषि का संघर्ष एवं परशुराम द्वारा धरती का क्षत्रिय विहीन बनाना, भी इसी का उदाहरण है।

शूद्रों को चौथा वर्ण बना देने के पश्च त ब्राह्मणों ने शूद्रों के विरुद्ध जो धातक प्रहार किया था, शूद्रों को उपनयन के अधिकार से वंचित करना। इस संघर्ष के पूर्व सभी एवं शूद्रों को उपनयन धारणा करने वा अधिकार था। ऋषि वशिष्ट ने शूद्र राजा मुदास का उपनयन संस्कार किया था और उसका राज्याभिषेक भी किया था इस तथ्य का प्रमाण है।

डॉ. अम्बेडकर ने इस तथ्य को भी प्रमाणित किया है कि ब्राह्मण वर्ण अपनी सर्वोच्च सत्ता बनाये रखते, अपने को पुजबाने के लिये, दान दक्षिणा के अधिकार को मुरक्खत रखते के लिये, पौरोहित्य के एकाधिकार की मुरक्खा हेतु सदैव ऊच-नीच का भेद करते रहे। छूथाद्यूत और ऊच-नीच के विचार को उन्होंने इसी दुर्भावना के कारण प्रचारित एवं प्रसारित किया। अपने द्वारा लिखित ग्रन्थों में उन्होंने इन्हीं अमानवीय बातों को सर्वाधिक महत्व भी दिया।

इस सन्दर्भ में वे शिवाजी के राज्याभिषेक वी पटना दा उल्लेख करते हैं। जब शिवाजी के राज्याभिषेक का समय प्राप्त तो ब्राह्मणों ने शिवाजी को शूद्र घोषित कर दिया था और राज्याभिषेक करने में इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले शिवाजी यह मिठ करें कि वह क्षत्रिय हैं तभी राज्याभिषेक हो सकेगा। शिव जी के प्रधान धर्मात्म सोरोपंत यिगले एवं अन्य मगढ़ा सरदारों ने भी ब्राह्मणों की चान में प्राप्त शिवाजी को उपनयन ग्रन्थ राज्याभिषेक के अधोग्राम भान

## दनितों की दृष्टिकोण स्थिति

लिया। तब शिवाजी को विवश होकर अपने उपनयन एवं राज्याभिपेक के संस्कार के लिए बनारस के गंगभट्ट नामक वैदज को नियोजित करना पड़ा। क्योंकि महाराष्ट्र का कोई ब्राह्मण उनके राज्याभिपेक के लिए तैयार नहीं था। अपने राज्याभिपेक तथा उपनयन संस्कार के लिए उस समय शिवाजी को चार करोड़ द्विंशीस लाख रुपये की राशि व्यय करनी पड़ी। एक लाख तो गंगभट्ट को ही दक्षिणा में देने पड़े थे। इतनी ही भैंट अपने ब्राह्मण अमात्य मोरो पत मिशुले को देनी पड़ी थी। इस व्यय के कारण शिवाजी क्षत्रिय मात लिये गये किन्तु उनके पुत्र शमभाजी और पौत्र साहू को ब्राह्मण समुदाय ने क्षत्रिय नहीं माना व शूद्र माना। उनके बंशजकोत्था-पुर नरेशों को ब्राह्मण वर्ग शूद्र ही मानता रहा। इन घटनाओं से यह साधित होता है। ब्राह्मण स्वर्ण को किसी भी हिन्दू को किसी भी समय सामाजिक स्थिति प्रदान करने या किसी भी सामाजिक स्थिति से गिराने का अधिकारी मानता रहा एवं अपने इस अधिकार का अपने हित में प्रयोग करता रहा।

**ब्राह्मणों के विशेषाधिकार—**क्योंकि ब्राह्मणों ने ज्ञान देने, पुस्तकों लिखने का सर्वोधिकार अपने पास रख लिया था इसलिये उन्होंने अपने द्वारा लिखित ग्रन्थों में अपने लिए विस्तृत विशेषाधिकारों की सूचना कर ली थी :—

- (1) ब्राह्मण वो अपने जन्म से सभी वर्णों का गुह माना जाना चाहिये।
- (2) ब्राह्मणों को ग्रन्थ वर्णों के कर्तव्य निर्धारित करने का सम्मुण्ड अधिकार है इनके लिए क्या आचरण उचित है और उनकी जीविका के क्या साधन ही। अन्य वर्ण उनके निर्देशों से बाध्य होते थे और राजा उनके निर्देशों के अनुसार शासन करता था।
- (3) ब्राह्मण राजा के प्राधिकार में नहीं था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त राजा सभी का शासक था।
- (4) ब्राह्मण (वेद-विद) कर मुक्त है।
- (5) ब्राह्मण को हे लगाने, वेडिया ढालने, अर्य, दण्ड, देशनिकाला, पर निन्दा और बहिकार भादि दण्डों से मुक्त है।
- (6) यदि ब्राह्मण को धन यदा मिले तो वह सम्मुण्ड धन का वह अधिकारी है। यदि राजा को यदा धन मिले तो उसे आधा धन ब्राह्मण को दे देना चाहिये।

- (7) ब्राह्मणों की सम्पत्ति, यदि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो मृत्यु पश्चात् राजा के पास नहीं जायगी थरन् उसे ब्राह्मणों द्वारा सत्रियों के द्वीच भित्रित कर दिया जायगा।
- (8) यदि राजा को मार्ग में ब्राह्मण मिलता है तो राजा ब्राह्मण को रास्ता देगा।
- (9) पहले ब्राह्मण को नमस्कार किया जाना चाहिये।
- (10) ब्राह्मण जन्म से ही पवित्र व्यक्ति है। ब्राह्मण को हत्या का अपराध होने पर इण्ड नहीं दिया जा सकता।
- (11) ब्राह्मण को आक्रमण करके डराना, आधात पहुंचाना, ब्राह्मण के शरीर में रखने निकालना भयंकर अपराध है।
- (12) किसी अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्णों की तुलना में बहुत कम सजा दी जानी चाहिये।
- (13) राजा को साक्षी के रूप में ब्राह्मण को तब तक नहीं बुलाना चाहिये जब तक कि विद्यादी ब्राह्मण न हो।
- (14) यदि कोई ब्राह्मण ऐसी घीरत से शादी करता है जिसके दस पूर्व पति थे तो वह अकेला ही उसका पति माना जायेगा, राजन्य या वैश्य नहीं, जिनसे उसने शादी की थी।

डा. के. पी. काठो कहते हैं कि—

“ब्राह्मणों की प्राप्त अन्य विशेषाधिकार थे—भीख माँगने के उद्देश्य से अन्य लोगों के घरों में मुक्त प्रवेश, ईंधन फूल, पानी को एकत्रित करने का अधिकार जिसे चोरी के रूप में कभी नहीं माना जाता था। बिना किसी वर्जना के अन्य लोगों की स्त्री से बातचीत करता, नाव बाले को बिना कोई भाषा दिये अन्य व्यक्तियों से पहले नदी पार करने का अधिकार था। व्यापार करने की स्थिति में नाव का उपयोग करने में उन्हें कोई कर नहीं देना होता था। ब्राह्मण यात्री यदि थक जाय और भूखा हो तो दो गन्ने या शकरकन्दी कहीं से भी ले सकेगा। ये अपराध नहीं माना जायेगा।”

उपरोक्त विशेषाधिकारों के भ्रतिरिक्त हिन्दू समाज व्यवस्था में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति पर मांकुश बनाये रखने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु

के बाद तक अनेक संस्कारों की सृजना की गई जिससे कि ध्यक्ति के जीवन पर पूरा हस्तक्षेप और नियन्त्रण रखा जा सके। जन्म, नामकरण, शिक्षा, प्रारम्भ/उपनयन, विवाह, मृत्यु और पिण्डदान जैसे जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसरों पर आहुए की उपस्थिति और उनको दक्षिणा दिये जाने का विधान सुनिश्चित किया। पूजा पाठ, यज्ञ; एवम् कथावाचन का अधिकार अपने हाथ में रख कर आहुए ने अपनी प्राजीविका को सुरक्षित किया और निरन्तर जनता की आय के शोत से जुड़े रहे। आहुए के खुश किये जाने पर उनके द्वारा दिये जाने वाले वरदानों और कुपित होकर दिए जाने वाले भ्रभिशापों की कथायें गढ़कर, लोगों को नकं का भय और स्वर्ग का प्रलोभन देकर उसका मनमाने दंग से शोपण किया।

**शूद्रों पर सादी गई निर्णयताये—** ब्राह्मण विधि निर्माताओं ने अपने लिए तो बहुत सारे विशेषाधिकार अर्जित किए ही भाष में शोषित, शूद्र, दलित एवम् साधन विहीन थमजीवी उनके विश्व कभी विद्वोह ही नहीं कर सके। इसके लिये उन्होंने शूद्र वर्ग पर निम्नलिखित निर्णयताये भी लाद दी—

- (1) शूद्रों का सामाजिक श्रमों में अन्तिम स्थान निर्धारित था।
- (2) शूद्र प्रवित्र माने गये। इसलिए किसी भी पवित्र कार्य को देखने या सुनने का अधिकार उन्हें नहीं था।
- (3) शूद्रों को अन्य वर्णों की तरह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिये।
- (4) शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। कोई भी ध्यक्ति विना कोई क्षति-पूति दिए उन्हें मार सकता है। क्षति पूति यदि देनी भी पड़े तो ब्राह्मण, क्षत्रिय एवम् वैश्य की तुलना में बहुत कम हो।
- (5) शूद्रों को ज्ञानार्जन नहीं करता चाहिये। शूद्रों को शिक्षा देना पाप और अपराध है।
- (6) शूद्र को सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण उसकी कोई भी सम्पत्ति अपने आनन्द के लिए जबरदस्ती ले सकता है।
- (7) शूद्र राज्य के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता।
- (8) शूद्रों के कर्त्तव्य और मुक्ति उच्च वर्णों की सेवा में निहित है।
- (9) उच्च वर्णों से शूद्रों को अस्तज्ञतीय विवाह नहीं करना चाहिए। उच्च

वर्ण को एक शूद्र स्त्री को रमेल रमने का अधिकार था किन्तु यदि शूद्र किसी ऊपर वर्ण की स्त्री को शू भी से तो उसे कठोर दण्ड दिया जाय।

शूद्रों को इतनी वर्जनामों एवं निर्णयतामों के प्रधीन गुलामी की जिन्दगी विताने को आहारणों ने विवश हो नहीं किया थलिं दूने तक वो याप एवं अधर्म की गंजा दी जिसके लिए उन्होंने बठोर नियमों की मृजना की जैसे कि—

शूद्र गांव से बाहर रहे, अपनी पहिचान के लिए विशेष रंग के वस्त्र पहने, कोई ऊँची जाति का व्यक्ति आता दिखाई दे तो स्वयं को छुपा लें या एक तारक हाथ जोड़कर भूक कर खड़ा हो जाय। कई सावंजनिक रास्तों पर तो इनको चलने का अधिकार ही नहीं था। उसे राह चलते आवाज लगानी पड़ती थी कि चण्डाल हूँ। जहाँ वेद पाठ, यज्ञ आदि होते थे वही शूद्र नहीं जाया करते थे। पवित्र आहार अपनी पवित्रता की रक्षा के लिये शूद्र की द्याया तक से बचते थे। नदी में स्नान उसे जल बहाव की नीचे की तरफ करना होता था। वह ऊँचे मासन पर नहीं बैठ सकता था। ऊँची जाति के व्यक्ति को देखकर उसे हाथ जोड़ कर भूक कर खड़ा होना पड़ता था। ऐसा नहीं करना ऊँची जाति के व्यक्ति का अपमान माना जाता था। जिसके लिए उसे मारा पीटा जा सकता था। इन निर्णयताओं के कारण शूद्र अपनी स्वयं की, अपने स्त्रियों व बच्चों की, तथा अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने में भी असमर्थ था। सारा धर्म और सारे कानून एवं राज्य की व्यवस्था शूद्र के विपरीत थी।

अस्पृश्यता का प्रचलन ऋग्वेद काल तक नहीं था यू. एन. घोषाल के मतानुसार—

“हमने देखा है कि ऋग्वेद से कोटिहय तक दासों वो अद्यूत नहीं माना गया था। उद्धरणों से यह भी पता चलता है कि उन्हें गुलाम भी नहीं माना गया था।”

डा. अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि—

“इस प्रकार हम विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि अस्पृश्यता 400 ई. के आस पास आरम्भ हुई। इसका जन्म बोढ़ मत एवं ब्राह्मण वाद के सर्वोत्तम सम्बधी संघर्ष वो कोख से हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को एक गम्भीर झोड़ दे दिया।”

वर्ण व्यवस्था के कड़े प्रतिबन्धों के बावजूद अन्तर्जातीय स्त्री पुरुष-सम्बन्धों वो कोई नहीं रोक सका। अनुसूभ एवं प्रतिलीभ विवाह द्वारा वर्जित जातियों

## दलितों की दयनीय स्थिति

के स्त्री पुरुषों के समानमें के परिणामस्वरूप वर्ण व्यवस्था विस्तृणित होती चली गई और जाति व्यवस्था का जन्म हो गया।

डा. अम्बेडकर ने भारतीय समाज व्यवस्था पर जाति व्यवस्था के दुष्प्रभावों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि—

“जाति प्रथा ने प्रदूषण के बुरे विचारों को आरम्भ किया है जो अब तक हिन्दू समाज का प्लेग बना हुआ है। हिन्दू धर्म के भेद केवल सामाजिक ही नहीं वरण धार्मिक प्रतिष्ठा का परिचायक भी है। जाति किसी हिन्दू के धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की परिचायक है। कोई इस कारण हिन्दू नहीं है क्योंकि वह भारतवासी या किसी जाति विशेष या राष्ट्रीयता से सम्बद्ध है। वरन् इसनिए हिन्दू है क्योंकि वह द्राघिरामावाद के धेरे में है। कोई भी जन्म से ही क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है। ऐसा कहा जाता है कि इन तीन वर्णों का कोई भी व्यक्ति आहुरण की स्थिति पाने में अक्षम है।”

डा. अम्बेडकर ने आहुरणों के दर्शन को “दमन की तकनीक” कहा है। उन्होंने इसका कारण द्राघिरामावाद के द्यः प्रमुख सिद्धान्तों को माना है।

- (1) विभिन्न वर्णों के बीच क्रमिक असमानता।
- (2) शूद्रों एवं अद्युतों को पूर्ण निरस्त्रीकरण।
- (3) शूद्रों एवं अद्युतों का शिक्षा पर पूर्ण प्रतिवर्ण्य।
- (4) शक्ति एवम् प्राधिकार के स्थानों से शूद्रों एवं अद्युतों का पूर्ण बहिर्भार।
- (5) शूद्रों एवं अद्युतों द्वारा सम्पत्ति भर्जन पर पूर्ण नियेव।
- (6) श्रीरतों का पूर्ण भवीनीकरण एवं दमन।

इस प्रकार असमानता आहुरणों का अधिकृत सिद्धान्त ही गया और जिन वर्णों का दमन उनका कर्तव्य समझा गया। द्युधा-द्यूत वेवल मामात्रिक, धार्मिक पद्धति ही नहीं थी वरन् धार्मिक पद्धति थी जो गृहाधी से भी भराव थी।

1931 को जनरल्स में पांच ऐसी भवित्व नियोगिताएँ आ उत्तेजित हैं जो अद्युतों को अपने मूलभूत प्रधिकारों से भी बंधित करनी थीं जैसे जिन प्रकार थीं—

- (1) सावंजनिक संधार्थों या मुख्याधिधार्थों थीं भंगाधी द्वां विद्वालय, उमों या स्नान करने के स्थान पर प्रतिवर्ण्य।

- (2) हिन्दू मन्दिर या कुछ मामलों में शमशानघाट के उपयोग पर प्रवेश निषेध ।
- (3) जाति प्राधार पर नाइयों, दर्जियों या धोवियों द्वारा उनकी सेवाएँ करने में इनकार करना ।
- (4) उनसे पानी लेने से इनकार करना ।
- (5) सम्पर्क या सानिध्य द्वारा प्रदूषण के विचार के कारण अवमानना ।

इस तरह से बाह्यणों की चतुर राजनीतिक योजना के अन्तर्गत पहले वर्ण व्यवस्था फिर जाति व्यवस्था और अन्त में अस्पृश्यता की पृणित व्यवस्था जर्मी, पनपी और आज भी मीजूद है ।

मुनिग्रामण से पूर्व अर्थात् चौथी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक बाह्यणों का वर्चस्व हिन्दू समाज व्यवस्था, राजनीति एवम् अर्थ व्यवस्था पर रहा । मौर्य काल में चारक और गुप्तकाल के पश्चात् पातंजली ने राज व्यवस्था व समाज व्यवस्था को आचार सहिताये प्रदान की थी उसके परिणामस्वरूप दलित समाज की स्थिति दद से बदतर होती चली गई और उन्हें पूरी तरह धीरे-धीरे अधिकार विहीन, अशिक्षित, साधन विहिन, शोषित एवम् प्रताडित वर्ग बना दिया ।

सामन्त वर्ग अपने दुर्ग, मकान एवम् सड़कों आदि बनाने के लिए उनसे वेगार लेने लगे । यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत लेती एवम् उद्योग भी बिना पारिश्रमिक चुकाये वेगार से चलाने लगे । वेगार की नारकीय प्रथा ने दलितों के मनोबल को तोड़कर रख दिया । इसके अलावा भारतवाद, ईश्वरवाद एवम् कर्मफल की धारणाओं का प्रचार कर दलितों का मानसिक दोहन कर उनके दिमाग में यह बात बिठा दी कि निष्प जाति में जन्म लेना तुम्हारे भाग्य का खेज है या तुम्हारे द्वारा किए गये पापों का फल । यह तो ईश्वर द्वारा बनाया गया विधान है इसे नहीं मिटाया जा सकता ।

मुसलमानों के आधमणों ने सबसे बड़ा आधात बाह्यणी सर्वोच्च धारणाओं पर, उनकी जीवन शैली एवं गर्व को पढ़ूँचाया । दणितों वौं भी आर्ये ऐसी । धर्मन्तरण की प्रतिया भी आरम्भ हुई । यह सिद्ध होने लगा कि मनुष्य स्थतन्त्र है, अपनी आत्मा के अनुभार इस परिवर्तन के लिये । मुसलमानों के ममता एवं न्याय ने मिद्दानों ने दणितों को अपनी और आकृषित किया । उनी दाल में रविदाम, बड़ी और नानक जैसे महान् आन्तिशारी साधपर्यों ने मनुष्य मात्र की समानता

का उद्घोष किया। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य ईश्वर के बन्दे हैं और उसकी नजर में वरावर हैं। इतना सब होते हुए भी समाज में कोई आन्तिकारी परिवर्तन नहीं हो सका। केचनीन एवं अस्पृश्यता का व्यवहार चलता रहा। दलितों का शोषण भी चलता रहा। धर्मान्तरण की प्रतिया भी चलती रही। जिससे जिन सोमों ने धर्म परिवर्तन करं लिया उन्हें समानता का दर्जा मिला। उनकी स्थिति में आन्तिकारी परिवर्तन आये। उन्होंने मुस्लिम सेनाधों में भर्ती होकर युद्ध भी किये।

ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना को चाहे कोई किसी भी हाट से देखे परन्तु जहा तक गूढ़ी घरूतो या दलितों का प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना उनके लिये बरदान सिद्ध हुई है। जब अग्रेजों ने अपने होटलों की तस्तियों पर सिना था। भारतीय एवम् युतों वहां नहीं आ सकते। तो इस देश के महाप्रभुओं की सर्वोच्च धारणाओं को जबरदस्त धक्का लगा, दलितों को भी यह पता चला कि अपने आपको ईश्वर का प्रतिष्ठप समझने वाले लोगों का भी अग्रेजों की नजर में वही स्थान था जो उनका स्वयं था था। इनका जोर तो केवल दलितों को सताने के लिये ही था। शक्तिशाली ब्रिटिश हूकूमत के सामने ये वित्तने विवश हो गये थे।

अग्रेजों की पूरणा का शिकार जितना दलित भारतीय था उतना ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य था। इसके अलावा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से अग्रेजी शिक्षा के साथ प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता और बनधुत्व के उदारवादी आन्दोलन की हवा भी घुस गई। लोगों ने फौस और अमेलिंग की आन्तियों को पदकर, सुनकर ये जाना कि भूखी नंगी जनता आन्ति लाकर बड़े-बड़े तानाशाहों को भी हटा देती है। दूर संचार एवं पातायात के साधनों में, शिक्षा के खुलते ढारों में, दलितों को जागृत होने एवम् संगठित होकर संघर्ष करने की पृष्ठभूमि प्रदान की। डॉ. ग्राम्बेडकर के पिता यदि ब्रिटिश फौज में नहीं होते तो उन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला होता और यदि ऐसा होता तो हमें अपना उदारक आन्तिकारी नेता नहीं मिलता।

डॉ. ग्राम्बेडकर ने ही सबसे पहले दलितों को नागरिक अधिकार दिलाने के प्रयास किये। ब्रिटिश सरकार एवं दुनियां वे मध्य तक दलितों की आवाज को बुलन्द रखा। नया संविधान रखकर अनुच्छेद मन्त्र 9 द्वारा सदियों से चली आ रही अस्पृश्यता का अन्त कर, उसे कानून अपराध की संज्ञा दी। दलितों के, अन्य भारतीय नागरिकों के समान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व, मरकारी सेवाओं में भारतीय एवम् शिक्षा और विकास की

विशेष व्यवस्थाएँ कर उन्होंने भारत में सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्यिक धार्मित का मूलपात्र किया ।

ग्राजादी के बाद दत्तितों में जागृति प्राप्ति है । उनमें शिक्षा का भी प्रचुर मात्रा में प्रचार एवं प्रसार हो रहा है । उनमें धर्मिकार बोध जागृत हुआ है । इसी का परिणाम है कि ग्राज देश की राजनीति, प्रशासन, धर्यव्यवस्था एवं विधायिका में इन योगों का प्रतिनिधित्व दिनों-दिन बढ़ रहा है ।

परन्तु अभी भी ग्राजों में दत्तित धर्मिकारों से वंचित है, साधनों से विहीन है । एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में नीचे के स्तर पर हैं ।

दत्तितों को प्रपने सम्पूर्ण संगी-साधियों को, सामाजिक प्रतिष्ठा, न्याय एवं अवसर की समानता, धार्यिक धार्म निर्भरता एवं राजनीतिक शक्ति, तक पहुँचाने के लिये जाति विहीन एवं वर्गविहीन समता मूलक समाज की संरचना के लिए हौं, अम्बेडकर के मार्ग दर्शन पर, संगठित होकर जबरदस्त संघर्ष करना होगा । तभी उनका विकास व राष्ट्र का निर्माण होगा ।

---

## दलित क्रान्ति का उद्भव एवं विकास

दलित क्रान्ति के उद्भव एवं विकास पर डॉ. श्रीमती कुमुम भेदवाल ने अपने शोध प्रबन्ध “हिन्दी उपन्यासों में दलित वर्ग” में बड़े ही सार गम्भित ढंग से प्रकाश ढाला है। डॉ. श्रीमती कुमुम भेदवाल दलित जागरण के महान् अभियान में बड़े साहस एवं बुद्धिमत्ता से निरन्तर प्रयासरत है। अतः इस सन्दर्भ में उनके विचारों को ऐप्रित किया जाना, इस पुस्तक की विषयवस्तु की गरिमा को, बढ़ायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

उन्होंने अपने शोध प्रबन्ध में लिखा है कि:—

“भारतीय समाजिक व्यवस्था में जाति की न केवल भूमिका महत्वपूर्ण है बल्कि निर्णायिक भी है। भारतीय समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा और हैसियत उसकी जाति पर विभंग करती है।

हिन्दू समाज मूल रूप से ब्राह्मण वर्ग हारा नियन्त्रित समाज है। कई धार्मिक नेताओं और समाज सुधारकों ने जाति की कठोरता और जटिलताओं को बदलने और सुधारने की चेष्टा की पर उन्हे अधिक सफलता नहीं मिली। साज भी वैसा ही सामाजिक भेदभाव और आर्थिक विषयमता है जो जाताविद्यों द्वारा थी। आज सबसे अधिक काट तो शूद्रों को हो रहा है। ऐ लोग पशुओं सा जीवन व्यतीत करने पर विवश हैं। संसार के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां मानवों वो इतना अधिक गिरा दिया गया हो और उनसे कूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार किया जाता हो। हिन्दू समाज में एक ही धर्म के मानने वालों में, अपने साधियों के प्रति भेदभाव और धन्याय से काम लिया जाता है। भारतीय समाज में इससे अधिक लज्जा जनक और कोई बात नहीं।

अनुमूलित जातियों और जन जातियों के कुछ शिक्षित व्यक्तियों द्वारा

अंगोजों के साथ काम करते समय तटिक ज्ञान प्राप्त करके कुछ स्थेओं में अपने वच्चों की शिक्षा और जन जातियों में ईसाई मिशनरियों द्वारा शिक्षा के प्रसार के प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप इन जातियों की मुक्ति का आनंदोलन प्रारम्भ हुआ। इन जातियों की दुर्दशा की ओर राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान भी गया।

समाज सुधार के लिए समय पर महापुरुषों द्वारा प्रयत्न किये गये हैं। दूसरा छूत व ऊँच-नीच को मिटाने के लिये महान् विभूतियों ने संघबद्ध होकर कार्य प्रारम्भ किये हैं।

**धार्मिक प्रयास :** भारतीय समाज धार्मिक एवं शास्त्रीय आस्थाओं से नियन्त्रित रहा है दलितों को अपने मानवीय अधिकार दिलाने तथा समता का उद्घोष करने का कार्य भी सर्वप्रथम धर्म के माध्यम से ही हुआ।

**बृद्ध व जैन मत :** भगवान् बुद्ध पहले महान् सामाजिक आन्तिकारी थे जिन्होंने ग्राह्यणों के वर्चस्व को कुछ समय तक चुनौती देने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने सीधे-साधे धर्म की शिक्षा दी जिसमें आचरण की शुद्धता पर बल दिया गया। इस आन्तिकारी विचारधारा को बनाये रखने के लिये एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी जो नहीं था। इसलिये ग्राह्यण किर अपना वर्चस्व स्वापित करने में सफल हो गये। कुछ सीमा तक इसका कारण यह था कि ग्राह्यणों ने बुद्ध के सिद्धान्तों को हिन्दू धर्म में मिला लिया और आचरण की शुद्धता पर जोर देने लगे। उन्होंने भगवान् बुद्ध को अपनी देवमाला में ऊँचा स्थान प्रदान किया।

**महावीर स्वामी बुद्ध ही पहली विभूति थे जिन्होंने अपने मत द्वारा दूसरादूसरे ऊँच-नीच के विरुद्ध जेहाद की। उनके धर्म में से वैश्या, ग्रामपाली, दस्यु अमुलीमात्र की तरह किसी भी दीन दलित और मानव मात्र के लिये स्थान था। वे मानव मात्र में कोई भेद नहीं मानते थे। वैदिक कर्मकाण्ड और ग्राह्यणों द्वारा अपने आपको सर्वोच्च बनाये रखने के दुरभिसंनिधि के विरुद्ध धर्म का प्रथम विद्रोह था।**

महावीर स्वामी बुद्ध के समरालीन जैन मत के चौबीसवें हीर्षकरथे। उनके मत में मनुष्य मात्र को समता की दृष्टि से देखने का दिक्षित्व है। उनका मत एक मद वयार वीं तरह चला जबकि बृद्ध मत एक ग्राई वीं तरह भारत में प्राया और अत्यक्षाग में ही धार्थों के नोटने वीं तरह लुप्त हो गया। जैन मत वीं मन्द यदार साज भी वह रही है। बस्तुतः दूसरादूसरे ऊँच-नीच के विरोध में उठने वाली पहली पादान्त्रेहै।

**भक्ति आन्दोलन :** सन्त कबीर, तुकाराम, रेदास, अंतम महाप्रभु आदि ने ऊँच-नीच और दूधाधूत का विरोध किया। इन सभी भगवन् की प्राणी द्वारा मानव समता का उद्घोष किया। दूधाधूत और ऊँच-नीच के विरोध में यह वाणी दलित बर्ग का सम्बल बनी। सन्त कबीर के प्रधास इस दिशा में विशेष ही प्रखर रहे। उन्होंने कबीर पंथ चलाया जिसमें समता के साथ-साथ मस्कार निर्माण पर भी ध्यान दिया जाता था।

कबीर की वाणी में सलवार की धार जैसा पैनापन था, जिसके प्रहार से परम्परावादी हिन्दू समाज का तिलमिला जाना स्वाभाविक था—

‘तू ग्राहण में काशी का जुलाहा बुझ हूँ मोर नियान जैसे स्वर में बात करना उम समय कबीर का ही साहस था।

सन्त रेदास ने अपने आचरण और वाणी दोनों से ऊँच-नीच व जाति भेद की निस्सारता वो प्रतिपादित किया।

“जात पांठ पूढ़े नहीं बोई”  
हरि को भजे सो हरि का होई”

शन्त रामानन्द, रेदास, दर्ढीर, तुकाराम, पीपा आदि मानव भाव की समता के पक्षधर थे। इनके शिष्यों की सरया हजारों में थी।

देशध्यापी भक्ति आन्दोलन की प्रमुख विशेषता रही है ऊँच-नीच के भेद-भाव का विरोध मोर मनुष्य मनुष्य की समानता की घोषणा। संस्कृत वा माध्यम छोड़ कर जब सोक भाषा में गाहिर रचा जाने लगा तब संस्कृति पर से, आद्यतरों का एकाधिकार भी समाप्त हो गया। संस्कृत में शूद्र कवियों की संरया नगण्य है तो हिन्दी, मराठी, तमिल आदि भाषाओं से ऐसे अनेक विभिन्न अग्रण्य हैं। ये सन्त कहताये और उच्च बर्गों द्वारा पूजे गये। रेदास के कुटुम्ब के लोग मूर्दा जानवर हीते थे किन्तु अपनी माध्यन के बल पर वह आचरणवान विप्रों द्वारा पूजे गये—

“जाके कुटुम्ब सद दोर दोवत फिर ही अज्ञौ बनारसी भागपासा।

भानार महित विप्रह करही दण्ड डति तिने रविदास दासानुदासा॥”

सभी की वाणी का भारतीय जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। मेनाड राजवंश रो गम्भनिधि तुन वधु राज रानी मीरा ने घण्टा गुरु रेदास को बनाया। मीरा ने अपने पदों में म्बर्यं स्वीकार किया है—“मीरा ने दोगिन्द मिलिया गुरु

मिलिया रेदास" प्रथात् रेदास को गुरु बनाने के परिणामस्वरूप उन्हे गोविन्द प्रथात् थी कृष्ण की प्राप्ति हुई।

**बहु समाज**—बहु समाज 19वीं सदी के मुधारों की पहली कड़ी थी इसकी स्थापना 1823 में राजा रामबोहन राय ने की। वह प्रथम भारतवासी थे जिन्हें भारत में मुधारवादी प्रान्दोलन का सूचिपात्र किया। बहु समाज ने अनेक सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया था। इसने प्रचलित दुमाछूत का प्रबल विरोध किया तथा समता के सिद्धान्त का प्रतिपादन करके साथों ध्यक्तियों को ईमाई धर्म घपनाने से रोका, प्रन्तर्जातीय विवाह का समर्थन किया एवं हिन्दू समाज की सामाजिक कुरीतियों पर कठोर प्रहार करते हुए उसमें नव चेतना का शब्द फूंका।

**प्रायंता समाज**—बहु समाज के प्रभाव से मन् 1867 में महाराष्ट्र में प्रायंता समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्यों में थी महादेव गोविन्द रानाडे सर आर. जी. भण्डारकर तथा नारायण चन्द्रावरकर थे। इस प्रान्दोलन को प्राध्यारितिक नेतृत्व महोदय गोविन्द रानाडे ने प्रदान किया और उन्हीं के कारण इसने सफलता भी प्राप्त की। थी रानाडे ने घपना सम्पूर्ण जीवन प्रायंता समाज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सकाया।

**प्रायंता समाज**—बहु समाज द्वारा दतित वर्ग के उत्थान एवं दुमाछूत के निवारण हेतु अनेक प्रयाम किए गये। जाति प्रथा का घन्त करने के लिए प्रायंता समाज के समर्थकों ने अधिक प्रयाग किये। प्रायंता समाज के समर्थकों द्वारा "दतित वर्ग मिशन" नामक सम्पादन की स्थापना भी थी गई जिसका उद्देश्य विशुद्ध स्वते दतित वर्ग के उत्थान हेतु बायं करना था।

**चायं समाज**—हिन्दू जाति की सामाजिक दशा गुपारने के लिए 19 वीं शताब्दी में जिन प्रान्दोलनों का मूलपात्र हुआ, उनमें चायं समाज वा महाव गवो-गरी है। इसकी स्थापना महावि दयानन्द (1824—1883) ने गत 1875 में थी थी।

**बाहियादाद** दुर्बलता से एक सम्प्रदायिकार में जन्मे दयानन्द वा बाह्य-विद नाम गुपारन द्या। दयानन्द में ही महान् गवो-गरी प्रवृत्ति के दशा मुद्रण में 1846 में दयानन्द द्यादा दिया गया और दयानन्द गारा जीवन देग घोर वर्षे की देखा में गमारे वा विश्वद दिया। 15 वर्षों तक वे जाति की सोबत में गम्भूर्ज भारत में

धूमते रहे। अन्त में मधुरा में उन्हें स्वामी विरजानन्द सरस्वती से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। अपने इसी गुरु से इन्होंने निर्भयता का पाठ पढ़ा।

स्वामी दयानन्द ने ऊचनीच, छुघा-दूत को संदान्तिक और शास्त्रीय आधार पर अमानवीय धोखित किया। उन्होंने वेदों को आधार मानकर इस तथ्य को प्रसारित किया कि जाति का आधार जन्म नहीं, बर्त है तथा शूद्र के लिए वेदों का पठन-पाठन नहीं है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना के साथ ही हिन्दू समाज में सदियों में पनीरी विसंगतियों को दूर करने का एक प्रबल आनंदोलन आगम्भ हुआ। हिंदूओं और शूद्रों को उनके मानवीय अधिकार पुनः दिलाना इस संस्था के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित था। आर्य समाज ने इस दशा में जो कार्य किए वे अभूतपूर्व थे। आज भी यह संस्था इस दिशा में कार्य कर रही है।

पं. गंगाराम ने आर्य समाज के माध्यम से दलितोद्धार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। श्री जाति के लोगों के आचार-विचार हिन्दू-मुस्लिमों से मिलते थे। पण्डितजी ने इन्हें विधिपूर्वक शुद्ध करके गायत्री का उपदेश दिया और यज्ञोदाय धारण करना सिखाया। गांव में तो यह कार्य छोटे पैमाने पर हो गया पर बड़े पैमाने के शुद्धिकरण के आयोजन में अनेक बाधाएँ आई। सन् 1888 में बदायु जिले के गंवर नामक गांव में इसी प्रकार की शुद्धि का समाचार मिलता है।

आर्य समाज द्वारा दलितोद्धार का उल्लेखनीय उदाहरण जालन्धर आर्य समाज में रहतियों की शुद्धि प्रस्ताव से सम्बन्धित है। इससे पूर्व सन् 1893 में सीमित पैमाने पर गुरुदासपुर में रहतियों की शुद्धि की जा चुकी थी। सामूहिक शुद्धि का बर्णन हम चमूपति द्वारा लिखित आर्य प्रतिनिधि सभा, पंजाब के इतिहास से उदृष्ट करते हैं:—

“लाला मुण्डीराम ने आर्य समाज की 3 मार्च 1899 की अन्तर्गत सभा में लाला बदरीदास के धनुषोदन से रहतियों की शुद्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया। रहतिया मन्त्रव्य की दृष्टि से सिख ये और कपड़े तुनने का कार्य करते थे। हिन्दू तो हिन्दू स्वयं सिख भी उनसे अस्पृश्यता का व्यवहार करते थे। सभा की अन्तर्गत सभा ने यह विषय प्रतिनिधि सभा में भेज दिया। उसके पश्चात् 22 अगस्त को समाज की ही अन्तर्गत सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया परन्तु

6 प्रबन्धवर को साधारण सभा ने रहतियों को आर्य सभामढ बनाने तथा उनके साथ युला यान-यान करने पे असमर्थता प्रकट की। केवल फजं पर बैठने, कुप्रों पर पानी भरने तथा उत्सव मे सम्मिलित होने की ही स्वतन्त्रता दी। 23 अप्रैल 1900 को लगभग सौ रहतियों की शुद्धि का प्रस्ताव हुआ परन्तु बहुपक्ष ने इसे गिरा दिया। यहाँ से निराश होकर लाला मुम्हीराम चालीम के लगभग रहतियों वो लाहोर ले गये। यहाँ के आर्य समाज समान्यतः लाहोर के बाहर के होते थे। उन पर कोई विरादरी वा वन्धन नहीं था। उन्होंने शुद्धि का प्रयत्न करना स्वीकार कर लिया। सिल भाईयों को घबसर दिया गया कि वे चाहें तो रहतियों की अपने साथ मिला लें। परन्तु वे इसमे असमर्थ थे। अन्त मे 3 जून 1900 को क्षीर करा कर रहतियों का वह समूह का समूह आर्य बना लिया गया। लाहोर आर्य समाज का वह दृश्य देखने योग्य था।

इसके बाद पंजाब मे लायलपुर, रोपड़, जालन्धर, लुधियाना आदि स्थानों पर रहतियों को शुद्धि बराबर होती रही भोड़ी के समान ये जाति भी प्रसृत्यों मे गिरी जाती थी। यह जाति स्थालकोट, गुरुदासपुर तथा गुजरात एवं जम्मू कश्मीर रियासत मे बसती है। सन् 1921 की जनगणना मे इनकी संख्या 3 लाख बताई गई है। मेघ सोग अन्य अन्यूश थगों सौंसियों, चूहों, चमारों आदि मे पुरोहित का कार्य करते थे। लेकिन किर भी भदियों से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के अधिकारों से बचित थे। उनके स्पर्श मात्र को ही अपवित्रता समझी जाती थी। 14 मार्च 1903 को स्थालकोट आर्य समाज की अन्तर्गत सभा मे यह निश्चय हो गया कि 29 मार्च के वार्षिक उत्सव के समय शुद्धि का कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये। न केवल हिन्दू अपितु मुसलमान व ईसाई भी इस कार्य में बाधक हो रहे थे। 28 मार्च को हुई शुद्धि मे केवल 200 मेघ ही सम्मिलित हुए।

इस शुद्धि का राजपूतों ने घोर विरोध किया। इन्होंने शुद्ध हुए मेघों को मारा, कुएं से पानी भरने से इन्कार कर दिया और झूठे मुकदमों मे फँसा कर गाव छोड़ने पर विवश कर दियां।

सन् 1912 मे आर्य मेघोद्वार सभा का गठन कर शुद्धि के इस कार्य को व्यवस्थित रूप दे दिया। मानसिक और धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ अनेक पाठ-शालायें खोली गई। आर्य सभा के दस्तकारों स्कूल मे बढ़ई, दर्जी एवं अन्य दस्तकारों के बार्य सिलाये जाने लगे। मेघ बालकों को गुरुकुल गुजरावाला, गुरुकुल काँगड़ी मे निशुल्क अध्ययन के लिए भेजा गया। सन् 1918 मे आर्य नगर बनाया।

## दलित क्रान्ति का उद्भव एवं विकास

उसमें आर्य समाज भवन, कन्या पाठशाला, चिकित्सालय, सहकारी केन्द्र आदि संस्थाओं का गठन किया गया और एक आदर्श 'उद्धरक' बस्ती 'कार्डिलैंप' दे दिया गया।

सन् 1921 में इस कार्य की सुविधा के लिए दिल्ली में विधिपूर्वक दलितों-द्वार सभा की स्थापना कर दी गई इस सभा के उद्देश्य इस प्रकार थे :—

- (1) भारत की दलित जातियों में सदाचार का प्रसार।
- (2) उनको धर्मचयुत करने वाले आक्रमणों से बचाना।
- (3) पृथग के मिथ्या संत्कारों को दूर करना।
- (4) दलितों के खोये हुए मानवीय अधिकारों को दिलाना।
- (5) दलितों में शिक्षा का प्रसार करना।

इस सभा द्वारा बेगार प्रथा के उन्मूलन, कुओं पर पानी भरने देना, ग्रहूतों के लिए मन्दिरों के द्वारा खुले रखना, शिक्षा का प्रचार करना आदि अनेक कार्य किये गये। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि आन्तर्णों के दलित ग्रहूत समझे जाने वाले लोग, आर्य समाज के दलितोंद्वार कार्यक्रम से विशेष आवृष्ट हुए।

आर्य विरादरी सम्मेलन बम्बई एवं जाति-पांति तोड़क मण्डल पंजाब ने जाति-पांति की दीवालों को ढहाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये। वर्ष 1917 के अन्तिम दिनों में आर्य विरादरी सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में जाति प्रथा के खिलाफ पांच प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

सन् 1890 ई. में आर्य शिरोमणि सभा की स्थापना की गई। जिसमें जाति प्रथा का उन्मूलन कर, आर्य विरादरी के गठन की शुरुआत की। आर्य भारती सभा की स्थापना 1907 में हुई। सन् 1922 में भाई रमानन्द के निवास पर जाति पांति तोड़क मण्डल बनाया गया। जिसका काम खान-पान सम्बन्धी प्रतिवन्धों को हटाना तथा अस्पृश्यता का निपेद करना था। भाई भूमानन्द और सन्तराम आदि इस मण्डल के अग्रणी नेता थे।

आर्य समाज के इस आनंदोलन के कारण बम्बई विधान परिषद को महार एवं अन्य दलित वर्गों को शिक्षा एवम् नौकरी के क्षेत्र में वरीयता देने का कानून पारित करना पड़ा। कलकत्ता, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश की परिषदों ने भी दलित कल्याणकारी कानून पारित करने के प्रयास आरम्भ किये।

6 घ्रवट्टबर को साधारण सभा ने रहतियों को आर्य ममामद बनाने तथा उनके साथ चुला खान-पान करने में असमर्थता प्रकट की। केवल फैं पर बैठने, बुग्रों पर पानी भरने तथा उत्सव में सम्मिलित होने की ही स्वतन्त्रता दी। 23 अप्रैल 1900 को लगभग सौ रहतियों की शुद्धि का प्रस्ताव हुआ परन्तु बहुपक्ष ने इसे गिरा दिया। यहाँ से निराश होकर लाला मुन्हीराम चालोम के लगभग रहतियों को लाहोर ले गये। यहाँ के आर्य ममाज सामान्यतः लाहोर के बाहर के होते थे। उन पर कोई विरादरी वा अन्यन नहीं था। उन्होंने शुद्धि का प्रवन्ध करना स्वीकार कर लिया। सिख आईयों को घवसर दिया गया कि वे चाहें तो रहतियों को अपने साथ भिला लें। परन्तु वे इसमें असमर्थ थे। अन्त में 3 जून 1900 को छौर करा कर रहतियों का वह समूह का समूह आर्य बना लिया गया। लाहोर आर्य समाज का वह दृश्य देखने योग्य था।

इसके बाद पंजाब में लायलपुर, रोपड़, जालन्धर, लुधियाना आदि स्थानों पर रहतियों की शुद्धि बराबर होती रही औड़ों के समान ये जाति भी अस्पृश्यों में रिनी जाती थी। यह जाति न्यालकोट, गुरुद्वासपुर तथा गुजरात एवं जम्मू कश्मीर रियासत में वसती है। सन् 1921 की जनगणना में इनकी संख्या 3 लाख बताई गई है। मेघ लोग अन्य अस्पृश्य वर्गों सौंसियों, चूहों, चमारों आदि में पुरोहित का कार्य करते थे। लेकिन फिर भी मटियों से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित थे। उनके स्पर्श मात्र को ही अपवित्रता समझी जाती थी। 14 मार्च 1903 को स्पालकोट आर्य समाज की अन्तरंग सभा में यह निश्चय हो गया कि 29 मार्च के वापिक उत्सव के समय शुद्धि का कार्य सम्पन्न हो जाना चाहिये। न केवल हिन्दू अवितु मुसलमान व ईसाई भी इन कार्यों में वाधक हो रहे थे। 28 मार्च को हुई शुद्धि में केवल 200 मेघ ही सम्मिलित हुए।

इस शुद्धि का राजपूतों ने धोर विरोध किया। इन्होंने शुद्ध हुए मेघों को मारा, कुएं से पानी भरने से इन्कार कर दिया और फूटे मुकदमों में फसा कर गाव छोड़ने पर विवश कर दिया।

सन् 1912 में आर्य मेघोद्वार सभा का गठन कर शुद्धि के इस कार्य को व्यवस्थित कर दे दिया। मानसिक और धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ अनेक पाठ-शालायें खोली गई। आर्य सभा के दस्तकारी स्कूल में बढ़ई, दर्जा एवं अन्य दस्तकारी के कार्य सिलाये जाने लगे। मेघ बालकों को गुरुद्वाला गुरुकुल कॉम्प्ली में निशुल्क अध्ययन के लिए भेजा गया। सन् 1918 में आर्य नगर बसाया।

## दलित जाति का उद्भव एवं विकास

उसमें आर्य समाज भवन, कन्या पाठशाला, चिकित्सालय, सहकारी और विद्युत केन्द्र आदि संस्थाओं का गठन किया गया और एक आदर्श "उद्धारक" बस्ती 'कार्पोरेशन' दे दिया गया।

सन् 1921 में इस कार्य की सुविधा के लिए दिल्ली में विधिपूर्वक दलितोदार सभा की स्थापना कर दी गई इस सभा के उद्देश्य इस प्रकार थे :—

- (1) भारत की दलित जातियों में सदाचार का प्रसार।
- (2) उनको धर्मच्छुत करने वाले आक्रमणों से बचाना।
- (3) घृणा के मिथ्या सकारों को दूर करना।
- (4) दलितों के खोये हुए मानवीय अधिकारों को दिलाना।
- (5) दलितों में शिक्षा का प्रसार करना।

इस सभा द्वारा बेगार प्रथा के उन्मूलन, कुम्हों पर पानी भरने देना, अछूतों के लिए मन्दिरों के द्वारा खुले रखना, शिक्षा का प्रचार करना आदि अनेक कार्य किये गये। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि प्रान्तों के दलित अद्यूत समझे जाने वाले लोग, आर्य समाज के दलितोदार कार्यक्रम से विशेष आकृष्ट हुए।

आर्य विरादरी सम्मेलन बम्बई एवं जाति-पांति तोड़क मण्डल पंजाब ने जाति-पांति की दीवालों को ढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किये। वर्ष 1917 के अन्तिम दिनों में आर्य विरादरी सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन में जाति प्रथा के खिलाफ पांच प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

सन् 1890 ई. में आर्य शिरोमणि सभा की स्थापना की गई। जिसमें जाति प्रथा का उन्मूलन कर, आर्य विरादरी के गठन की शुरुआत की। आर्य भारती सभा की स्थापना 1907 में हुई। सन् 1922 में भाई रमानन्द के निवास पर जाति पांति तोड़क मण्डल बनाया गया। जिसका काम खान-पान सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाना तथा अस्पृश्यता का नियेद करना था। भाई भूमानन्द और सन्तराम आदि इस मण्डल के प्रगणी नेता थे।

आर्य समाज के इस ग्रान्टोलन के कारण बम्बई विधान परिषद की महार एवं अन्य दलित वर्गों को शिक्षा एवम् नौकरी के क्षेत्र में वरीयता देने का कानून पारित करना पड़ा। कलकत्ता, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश की परिषदों ने भी दलित कल्याणकारी कानून पारित करने के प्रयास आरम्भ किये।

लाला लाजपत राय ने दलित उद्धार के लिये बढ़-चढ़ कर कार्य किये। सन् 1912 में दिसम्बर में कराची में आयोजित एक सभा की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि—

“मेरे विचार में इससे बढ़कर और कोई अत्याचार किसी बुद्धि सम्पन्न मनुष्य के साथ नहीं हो सकता कि उसे ऐसी परिस्थितियों में रखा जाय जिससे उसके हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हो जावें कि मैं सदा के लिये अविद्या, दासता और दीनता के लिये ही पैदा हुआ हूं और मुझे अपनी भलाई के लिये किसी प्रकार की आशा करना एक बड़ा पाप है।”

मई 1910 के “इण्डियन रिव्यू” में उन्होंने लिखा—

“इन जातियों के लिये सबसे अधिक आवश्यकता शिक्षा की है जिससे इनमें नेता और समाज सुधारक उत्पन्न हों। ये नेता और सुधारक सामाजिक सगठन में उन्हें अपनी परिस्थिति और पद का बोध करायेंगे। जाति की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि दलित जातियों की शिक्षा का बोडा उठाया जाय उनमें अदम्य उत्साह से शिक्षा का प्रचार किया जाय। अद्यूत जातियों की शिक्षा हमारी सामाजिक समस्या की पूर्ति करने में सहायक होगी।” सन् 1925 में उन्होंने इस कार्य के लिये ग्रंथिल भारतीय कमेटी की स्थापना की।

ग्राम्य समाज द्वारा चलाये गये आन्दोलन का पुरातन पंथी कट्टर हिन्दुओं ने कट्टर विरोध किया। परन्तु वे क्रान्ति के विचारों को रोक नहीं सके। वयोंकि बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज में जाग्रति पैदा हो रही थी।

रामकृष्ण मिशन की स्थापना उनके शिष्य परम तेजस्वी स्वामी विवेकानन्द ने की। स्वामी विवेकानन्द ने अस्पृश्यता जैसे कलक के लिये कट्टर पंथी हिन्दुओं का खुलकर विरोध किया। जाति-पांति की धूरणा से समाज को बचाने के लिये, चुप्पाद्यूत को मिटाने के लिये और दलितों को उठाने के लिये, उन्होंने भी संघर्ष किया। इस आन्दोलन में यियोसोफिकल सोसायटी ने भी योगदान दिया

महात्मा गांधी और दलितोउद्धार—हालाँकि महात्मा गांधी अपने समय के चौटी के राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने यसहयोग आन्दोलन, सविनय प्रवर्जन आन्दोलन और 1942 में भारत द्वोडी आन्दोलन चलाकर भारत की जनता को राष्ट्रीय जक्ति से भर दिया और जनकाली ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े हिला दी। किर भी वे दलितोउद्धार के लिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध दरने का साहस नहीं जुटा

पाये। दलितोदार के प्रश्न पर उनके दलितों के नेता हा. अम्बेडकर से गम्भीर मनभेद हो गये। प्रश्न में 1932 में पूना पेंटट हो जाये के बाद ही यह मनभेद दूर हो गये। इस तरह गांधी ने पालिस्तान बनाने की याचन पर यह कहा कि पालिस्तान मेरी भाषा पर बनेगा, उम तरह उन्होंने बहुर द्य भानि-पांति वो मिटाने का और वहां ध्यवस्था को जड़मूल से उगाईने का कभी नहीं घपनाया। उस्टे उन्होंने वहां ध्यवस्था का समर्पन ही किया। इसी वारणा हा. अम्बेडकर और उनके अनुयायी भाषास्ता गांधी वो दलित भान्ति की, एक बहुत बड़ी बाधा भानते हैं।

इतना सब मुझ होते हुए भी पूना पेंटट के बाद गांधी ने दलितोदार के लिये साय दिये उनकी अनदेशी नहीं की जा गवती। 1933 में उन्होंने दलित वल्याण के लिये 'हरिजन मेवक सप्त' की स्वापना की तथा 'हरिजन' नामक एक पत्र प्रकाशित किया। वे स्वयं हरिजनों के साय घुलमिल गये यहां तक कि उन्होंने अस्पृश्यता की भूलां मिटाने के लिये स्वयं भाड़ सेकर नानियाँ साफ करने और मन मून तक उठाने का कार्य किया। उनकी धारणा हृदय परिवर्तन द्वारा प्रस्पृश्यता एवं जाति भेद वो मिटाने की थी। उनका कथन है कि—

"अस्पृश्यता कानून के बल से दूर नहीं होगी। वह तभी दूर होगी जब हिन्दुओं का बहुमत इस बात को अनुभव करते कि अस्पृश्यता ईश्वर और मनुष्य दे विश्व एक अपराध है और इसके लिये वे लक्षित हैं।"

ज्योति वा फुले : ज्योति वा फुले वा नाम महाराष्ट्र के ही नहीं सारे देश के आनन्दिकारी मुधारबों में बड़े सम्मान के साय लिया जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में दलित वर्ग, पिथड़े वर्ग एवं महिलाओं को ऊपर उठाने के लिये जबरदस्त आनंदोलन आरम्भ किया।

उन्होंने मनुस्मृति के इस मिदान्त की कटु आनोखनर की कि ब्राह्मण सदैव ब्राह्मण रहेगा और शूद्र सदैव शूद्र। ज्योति वा फुले ने सबसे पहले, दलितों को, अपने अधिकार के लिये और अन्याय का विरोध करने के लिये, लड़ने को तैयार होने वा आह्वान किया।

डॉ. अम्बेडकर ने भाषास्ता से जबरदस्त प्रेरणा हासिल की। उन्होंने अपनी पुस्तक "शूद्र कौन थे" महास्ता फुले को इन शब्दों के साय समर्पित की है— "आधुनिक भारत के महान् शूद्र महात्मा ज्योति वा (1829-1990) की सृष्टि में जिन्होंने निम्न वर्गीय हिन्दुओं की अन्तर्रास्ता को उच्च वर्ग के दलन के विश्व

जगाया और इस मत का प्रतिपादन किया कि भारत के लिये विदेशी शासन ने मुक्ति का प्रश्न उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक प्रजातन्त्र का प्रश्न ।

**डॉ. भीमराव अम्बेडकर :** वैसे तो ज्योति था फुले के श्रान्तिकारी विचारों से और उनके पूर्व की परिस्थितियों से दलित श्रान्ति का बीजारोपण हो चुका था । परन्तु इस जन आन्दोलन को व्यवस्थित एवम् संगठित देशध्यापी आन्दोलन का रूप, देने का थ्रेय, भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर को दिया जाता है । इसी कारण उन्हें दलित श्रान्तिकारी भी कहा जाता है ।

उन्होंने सबसे पहले इस आन्दोलन को दलितों का स्वयं का आन्दोलन बनाया । उनका विश्वास था कि दलितों का उत्थान उनके शिक्षित होने पर, संघर्ष द्वारा ही सम्भव होगा । इसी कारण उन्होंने बार-बार शिक्षा, संगठन और संघर्ष का आह्वान दलितों के लिये किया ।

**डॉ. अम्बेडकर दलित समाज के पहले व्यक्ति** ये जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा के उन्नत स्तर को हासिल किया । वे पहले व्यक्ति ये जिन्होंने महाड़ जल सत्याग्रह चला कर दलितों को उनकी अपनी संगठित शक्ति के बल पर, चोवदार तालाब से पानी पीने के अधिकार को प्राप्त किया । वे पहले व्यक्ति ये जिन्होंने कट्टर हिन्दुओं के विरोध के बावजूद अपने लोगों के बल पर सत्याग्रह चलाकर नासिक के कालाराम मन्दिर में प्रदेश के दलितों के अधिकार को हासिल किया । वे पहले व्यक्ति ये जिन्होंने इस देश की भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदलकर भारत के नये संविधान की रचना की ।

पूरे दलित समाज को अपने उद्घारक डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर गर्व है । वे उनकी प्रेरणा के प्रमुख स्रोत हैं तथा देश की भेदभावपूर्ण सामाजिक एवम् आर्थिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिये संघर्षरत हैं । यहीं संघर्ष आने वासी जन श्रान्ति को जन्म देगा । जिसमें दलित वर्ग के साथ-साथ देश का सम्पूर्ण निर्धन एवं पिछड़ा हुआ समुदाय मजदूर एवम् महिलायें एक जुट हो जायेंगे ।

दलित श्रान्ति के लिये डॉ. अम्बेडकर का निधन एक बहुत बड़ा आधार सिद्ध हुआ है । क्योंकि दलितों को उनके बाद, उनके लिये मर मिट्टने वाला नेता, आज तक नहीं मिला है । हालाँकि बाबू जगजीवन राम ने सत्ता से जुटकर दलित गोरक्ष को ऊँचा उठाया था । राजनीतिक शक्ति के केन्द्र तक वे पहुँचे थे परन्तु दलित जागरण के लिये, दलित श्रान्ति के लिये, वे कुछ भी नहीं कर सके ।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा गठित रिपब्लिकन पार्टी भी उनकी मृत्यु के बाद सत्ता की चक्रवूह में फँसकर छिप-भिप हो गई। यह स्थिति बहुत ही दुःखद है कि दलित वर्ग के अन्दर राजनीतिक चेतना का अभाव है। उनका अपना कोई संयुक्त मोर्चा एवं दल नहीं है। आज अनेक राजनेता और समाज सुधारक दलित समाज के अन्दर कार्यरत अवश्य है परन्तु उनका उद्देश्य किसी न किसी तरह सत्ता से जुड़ जाने एवं प्रपने हितों की पूर्ति कर लेने तक ही सीमित हो गया है। अनेक संस्थाओं में अनेक तरह के लोग कार्यरत हैं परन्तु उनके कार्य भौतिकी हवा की तरह आरम्भ होते हैं और खत्म हो जाते हैं।

हाल ही कुछ समय से दलित राजनीति में काशीराम, बहुजन समाज पार्टी का गठन करके, दलित समाज से बहुजन समाज की व्यापक धारणा को लेकर बढ़े हैं। उन्होंने बहुजन की परिभाषा करते हुये घोषित किया है कि 15 प्रतिशत साधन सम्पन्न पूँजीपति वर्ग द्वारा 85 प्रतिशत बहुजन का शोषण हो रहा है। यदि मेरे शोषण के लिकार बहुजन लोग, जाति, धर्म की सकीशता तैयार कर एक जुट हो जायें तो देश की सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में कान्ति कारी परिवर्तन ला सकते हैं। यह केवल उन्होंने कहा ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में 13 विधायक और लोकसभा में 3 सासद भेजकर सिद्ध भी किया है।

सारे अध्याय का निष्कर्ष यह है कि देश के अन्दर कान्तिकारी परिवर्तनों के लिये, दलित वर्ग को एक संगठित राजनीतिक मोर्चे की आवश्यकता है, जिसमें कि देश के अन्य सभी आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुये लोग सम्मिलित हो, तो जन कान्ति का स्वप्न साकार हो सकता है।

---

अध्याय पांच

## दलित क्रान्ति के जनक-डॉ. अम्बेडकर

दलित समाज को शोपण, अन्याय एवं असमानता से मुक्त कराने का सबं  
प्रथम प्रयास महात्मा बुद्ध ने किया। उन्होंने ध्यक्त मात्र की समानता पर जोर  
दिया तथा हिन्दू धर्म में व्याप्त द्वूप्रादूत, कर्मकाण्ड एवं भेदभाव का विरोध किया।

बुद्ध ने दलितों को गले लगाया। उनकी प्रज्ञा को पोषित किया तथा मानवता,  
सदाचार, अहिंसा, करुणा, मैत्री एवं सेवा को ही धर्म कहा। इस कारण उनका  
धर्म लोकप्रिय हुआ और भारत में ही नहीं, दुनिया के देशों तक बोढ़ धर्म का  
प्रचार एवं प्रसार हुआ। सम्राट् अशोक के समय बोढ़ धर्म भारत का प्रमुख धर्म  
था। परन्तु कालान्तर में कट्टू हिन्दुओं ने बोढ़ धर्म को नष्ट-अष्ट कर दिया एवं  
प्रज्ञा, करुणा एवं मानव मात्र की सेवा की भावना, लुप्त हो गई। पुनः हिन्दू कट्टू-  
वाद, ब्राह्मणवाद एवं सर्वांगवाद का बोलबाला हो गया और उन्होंने सही से  
दलित समाज को पुनः दवा दिया और शोपण का शिकंजा कस दिया।

मध्यकाल में दलित चेतना को योड़ा सा बल मिला महात्मा रविदास,  
कवीर और नानक के द्वारा, परन्तु उनका यह भास्त्रोलन मात्र धार्मिक लेन तक  
ही सीमित रह सका। उससे कोई सामाजिक प्रभाव पैदा न हो सका।

आधुनिक युग में दलित चेतना को जागृत कर दलित धर्म को उठाने का;  
सारा ये य दलितों के मसीहा डॉ. भीमराव अम्बेडकर को जाता है। उस महान्  
विभूति ने दलितों के कल्याण का वह शक्तिशाली मार्ग बनाया जिस पर कि दलित  
शक्ति निरन्तर तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपना सारा जीवन दलित  
चेतना को जगाने में लगा दिया, इसी कारण उन्हें दलित शक्ति का जनक कहा  
जाता है।

दलितों को स्वयं अपने बलबूते पर, जागृत होकर उठने, शिक्षित बनने, संगठित रहकर संघर्ष करने के आनंदीलन की शुश्रापात डॉ. अम्बेडकर ने की। उन्होंने अधिकारों से बंचित एक मृतप्राय समाज में राजनीतिक चेतना की शक्ति पैदा की। इसी कारण सम्पूर्ण दलित समाज ने उन्हें अपना नेता, उदारक एवं मसीहा मान लिया। उनके नेतृत्व में भारतीय दलित समाज के लिये, एक नये मुनहरे युग का शुश्रापात हुआ।

डॉ. अम्बेडकर का जन्म दलित समाज के अन्दर हुआ था। उन्होंने अपने बचपन, जवानी, एवं प्रीढ़ अवस्था में कदम-कदम पर जातिगत भेद-भाव, असमानता एवं अस्पृश्यता के पृष्ठित व्यवहार को, स्वयं खेला था। इसी कारण उन्होंने समाज की पृष्ठित जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता एवं असमानता को मिटाने का, बचपन में ही संकल्प ले लिया था। जिसमें उनके सुनिश्चित सूबेदार पिता रामजी सकपाल, गाँ, भीमा बाई की विशेष प्रेरणा एवं मार्गीवाद उन्हें मिला।

डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 प्रप्रेल, 1891 को महू (इन्दौर) में हुआ था। उनके पिता मूलतः महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावडे गाँव के निवासी थे। वे जाति से महार थे। जो कि महाराष्ट्र की प्रमुख दलित जाति है। उन दिनों वे महू में सूबेदार मेजर के पद पर सेना में सेवारत थे, वही भारतरत्न डॉ. अम्बेडकर का जन्म हुआ।

सन् 1894 ई. को सूबेदार रामजी सकपाल सेवा निवृत्त होकर अपने पूर्वजों के मूल गाँव अम्बावडे के पास, डापोली गाँव में आये। उस समय अप्रेजों ने सैनिकों के बच्चों की पढ़ाई के लिये सतारा में, कैम्प स्कूल को स्थापना की थी। भीमराव दलित जाति के थे। इस कारण भारत के सामान्य स्कूलों में तो उनका प्रवेश सम्भव नहीं था वयोंकि उस समय जाति व्यवस्था जोरों पर थी। अद्यूत को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। सूबेदार रामजी सकपाल की काफी भाग दौड़ के बाद भीमराव व उनके भाई आनन्द राव को सतारा के कैम्प स्कूल में दाखिला मिल गया। परन्तु स्कूल के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा बालक भीमराव के दाय बड़ा ही पृष्ठित, अपमान जनक एवं अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया। परन्तु सकल्प की धर्मी इस बालक ने अपनी आरम्भिक शिक्षा प्राप्त की तथा कठिनाईयों के बावजूद संघर्षरत रहकर 1912 में उन्होंने एलिफन्सटन कालेज बम्बई से स्नातक की दिग्गी प्राप्त की।

उन्होंने जैसे-जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ती

गई। आधिक प्रभाव एवं पिता की मृत्यु ने उन्हें कमज़ोर कर रख दिया किर भी उन्होंने प्रपनी आगे की पढ़ाई का संकल्प नहीं छोड़ा। उनके पिता की मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हो गई। घर की जिम्मेदारियों की चिल्ला प्रलय थी। परन्तु कुदरत ने उनका साथ दिया, बड़ीदा के नहाराजा ने उन्हें प्रमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय में एम. ए. की पढ़ाई के लिये छात्रवृत्ति स्वीकार की। 1915ई. को उन्होंने अर्थशास्त्र विषय में कोलम्बिया विश्वविद्य विद्यालय अमेरिका से एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। वही से कालान्तर में उन्होंने पी. एच. डी. की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने इंग्लैण्ड के लन्दन के प्रमुख शिक्षा केन्द्र यौजन, स्कूल आंक इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइंस जैसे महान् शिक्षण संस्थानों से एम. एस. सी. एवं बार एटला की डिप्रियां प्राप्त की। इस तरह से उन्होंने आधिक संघर्षों, विषय सामाजिक वरिस्थितियों एवं शोषक समाज व्यवस्था से जूझते हुये, अपने आत्मबल पर एम. ए., एम. एस. सी., पी. एच. डी., डी. एस. सी., एल. एल. डी. लिट् एवं चार एटला की डिप्रियां हासिल की। यह उनकी उच्च शिक्षा का कोरितमान था। भारत के उस समय के किसी भी व्यक्ति ने इतने उच्च स्तर की शिक्षा, उस समय प्राप्त नहीं की थी। भारतीय दलित समाज को, ऐसे युग पुरुष डॉ. अम्बेडकर पर गर्व है।

डॉ. अम्बेडकर ने छात्रवृत्ति की शर्तों के पालन में 1917ई. में बड़ीदा महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में प्रपनी सेवा दी। बड़ीदा मेरे सबसे हिन्दू उनकी प्रतिभा एवं प्रगति से जल भुन गये। रियासत के छोटे से कर्मचारी तक, उन्हे उपेक्षित की हृष्टि से देखते थे। इतनों उच्च शिक्षा एवं प्रभाव का पद प्राप्त करने के बाबजूद डॉ. अम्बेडकर को अद्यूत कुल में पैदा होने का अपमान भेलना पड़ा। यह इस देश का दुर्मायी ही था। उन्हे बड़ीदा में रहने तक को किसी ने यकान तक नहीं दिया और विश्व होकर उन्हे रियासत की नौकरी छोड़नी पड़ी।

बम्बई में आकर उन्होंने रहना प्रारम्भ किया। उन्हें सर्वाधिक चिन्ता प्रपने दलित साधियों के उद्धार की थी दलितों को चिन्तायों ने उन्हे ऐसा पेरा कि वे स्वयं की तब्लीफों को भी भूलते गये। 1918 में उन्होंने अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में प्रपनी आजीविका आरम्भ की तथा इसके साथ ही अद्यूतों के उदार कार्य में वे रुचि से मैले लगे।

दलिनों में चेतना जगाने के लिये 1920 में उन्होंने “मूरक नायक” भराटी पत्र प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे उनके कायों एवं आदर्शों में दलित समाज की प्राप्ता

जमती गई। हजारों दलित युवक, समाज मेवक, नेता एवं प्रचारक उनके आस-पास जुड़ते गये। 21 मार्च 1920 को कोल्हापुर रियासत में दलितों की एक विशाल मभा का धायोजन किया गया। जिसका अध्यक्ष डा. अम्बेडकर को बनाया गया। उस सभा में एवं प्रतिक्रिया साहू महाराज ने विशिष्ट धर्मियों के स्पष्ट में डा. अम्बेडकर के सम्बन्ध में जो उद्घार पेश किये वे जानने योग्य हैं।

“भाईयो ! आज आपको डा. अम्बेडकर के स्पष्ट में अपना रक्तक नेता मिला है। मुझे विश्वास है कि यह तुम्हारी दूध-दूत की खेड़ियों को अवश्य तोड़ेगा। केवल इतना ही नहीं जैसी कि मेरी अन्तर्रात्मा कहती है, एक समय आयेगा जब डा. अम्बेडकर अधिल भारत के नेता बनेंगे, जिसकी बाणी में प्रभाव एवं प्रसिद्धि प्राप्त होगी।

मई 1920 में नागपुर की दलित समाज की एक सभा का नेतृत्व करते हुये डा. अम्बेडकर के सुभाव पर अखिल भारतीय बहिप्राकार परिपद का गठन किया गया उस सभा में उन्होंने कहा कि :—

“दलित समाज की प्रगति में वाधक कोई भी संस्था या व्यक्ति हो, चाहे व दलित समाज का हो, चाहे सबसे हिन्दू हो, उसका तीव्र निषेध किया जाना चाहिये।”

नागपुर में हुई परिपद का जिक फरते हुये डॉ अम्बेडकर ने कहा कि “नागपुर में हुई यह परिपद भारत में एक महत्वपूर्ण घटना थी। जिसमें सर्वप्रथम दलित समाज ने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिये संगठित आनंदोलन चलाने का संकल्प लिया था। यह सभा भारतीय इतिहास में मील के परधर की तरह थी। जिसका अतीत दलित समाज के अज्ञान व शोषण की कहानी थी तथा जिसका भविष्य दलितों के उज्ज्वल अस्तित्व का परिचायक था। मनु के विधान को चुनौती दिये जाने का आरम्भ था। मेरे लिये यह सभा सर्वाधिक महत्व रखती थी। इस सभा ने मेरे विचार एवं कार्यक्रम को स्वीकृति देकर मुझे प्रोत्साहित किया था। लोगों के चेहरे पर आशा की एक किरण मुझे दिखाई दी। मुझे दिखाई दिया कि दलित समाज को सही दिशा मिलेगी तो इस देश की समाज अवस्था में बदलाव अवश्य आयेगा।

1923 में अम्बेडकर ने अम्बई उच्च न्यायालय में बदलाव आरम्भ की। बदलाव में भी उन्होंने कठोर सघर्ष किया परन्तु मेहनत रंग लाई और थे :

चोटी के बकीतों में गिने जाने लगे। उनकी कीति धीरे-धीरे फैल रही थी। उसी रप्तार में दलित जागरण गति पकड़ रहा था।

20 जुलाई 1924 को डा. अम्बेडकर ने वर्षबई में बहिष्कृत हितवारियों सभा का गठन कर, दलित आन्दोलन का बोडा उठाया। इस सभा का उद्देश्य दलितों में विचार-आन्ति लाने के लिये, शिक्षा व जन-चेतना का प्रचार-प्रसार रखा गया। स्कूली शिक्षा पर जोर दिया गया, अनीपचारिक शिक्षा के लिये वाचनालय, विचार-गोष्ठी व सौम्यकृतिक प्रचार पर जोर दिया गया। साथ ही दलितों की आधिक स्थिति सुधारने के उपाय सौजने एवं उनकी बठिनाइयां दूर करने के लिये समितियों का गठन किया गया। उन्होंने 'आत्मा सहायता' ही सबसे उत्तम सहायता है" का नारा बुलन्द किया। दलित धारों के लिये द्यात्रावास खुलवाये। इस तरह डा. अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित राजनीति ने जन्म लिया, उनके अनुयायी दृढ़ सकल्प होकर उनके मिसन को आगे बढ़ाने में आज भी लगे हैं।

डा. अम्बेडकर दलितों के नायक बन गये। उनकी सभायों में दलित स्त्री-पुरुष एवं युवकों की भीड़ जुटने लगी। जब वे अपने दलित साधियों को फटे हाल, पीड़ित, उदास देखते और उन पर होने वाले अत्याचारों की कहानियां सुनते तो कहणा से उनका हृदय भर जाता था। वे अपने दलित साधियों को प्रेम से फट-कारते हुये कहते—

"अरे तुम कितनी दुर्दशा में हो, तुम्हारे असहाय चेहरे देखकर और तुम्हारी हीनता मेरे शब्द सुनकर मेरा हृदय रोता है। तुम अपने ऐसे दीन-हीन जीवन से दुनिया के दुख दूँ वयों बढ़ाते हो? तुम अपनी माँ के गर्भ में ही वयों नहीं मर गये? अब भी मर जाओगे तो ससार का बड़ा उपकार करोगे। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिन्दा दिल बन कर जीओ। इस देश के अन्य नागरिकों को मिलता है वैसा अन्न, वस्त्र और मवान तुम्हें भी हासिल हो, यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार प्राप्त करने के लिये तुम्हें ही आगे प्राना होगा। बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता से संघर्ष करना होगा।"

डा. अम्बेडकर ने अपने भावणों में दलितों को अपने उद्घार के लिये स्वयं सुधरने का आह्वान किया। उन्हें समझाया कि अपनी हीनता को निकाल फैके, किसी से भयभीत ना हो। अन्याय का विरोध करें। अत्याचारी का मुकाबला शक्ति से करें। गद्दे न रहें। पृष्णित व गन्दे काम छोड़ें। भूत पण्डों का मासाधाना छोड़ें। मदिरा एवं अन्य नशों की लत से अपने आप को बचावें। अन्या-

## दलित श्रान्ति के जनक-डॉ अम्बेडकर

होने पर सामूहिक रूप से उसका खुलकर प्रतिकार करे। साफ सफाई से रहें। अपनी ही जनता स्थान कर पुरुषार्थी बनें। सबसे अधिक स्वयं को जागृत करने एवं बच्चों को शिक्षित बनाने पर दें।

डा. अम्बेडकर ने दलित आनंदोलन को गति दी। वे देश के विभिन्न भागों में गये तथा दलितों को जगाने एवं संगठित करने का भरसक प्रयत्न किया। उन्होंने दलितों को मानवीय अधिकार हासिल करने के लिये संगठित जंत आनंदोलन चलाने की सीख दी। दक्षिण भारत की एक विशाल सभा में उन्होंने कहा कि—

“तुम्हारे गांव का ब्राह्मण चाहे कितना ही निर्धन क्यों न हो अपने बच्चों को पढ़ाता है। उसका लड़का पढ़ते-भड़ते ही डिप्टी, कलेक्टर बन जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? तुम अपने बच्चों को पढ़ाने क्यों नहीं भेजते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी तरह शोपण के नकं में पड़े रहें? शराब पीते रहे व मृत पशुओं का मास खाते रहे।”

बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने दलितों को नागरिक अधिकार दिलाने के लिये 10 एवं 20 मार्च 1927 को महाड़ जल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उस समय महाड़ में आयोजित एक विशाल दलित सभा को सम्बोधित करते हुये डा. अम्बेडकर ने कहा कि—

“ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे बाल बच्चे तुमसे अच्छी स्थिति में रहे यदि आप ऐसा करने में असमर्थ रहोगे तो आदमी के मातां पिता व पशु के नर-मादा होने से कोई अन्तर नहीं रहेगा। स्वतन्त्रता किसी को उपहार के रूप में नहीं मिलती उनके लिये संघर्ष किया जाता है। आत्म-उत्थान अन्य लोगों के आशीर्वाद से नहीं होता। बहिक अपने ही प्रयत्न संघर्ष तथा परिश्रम से होता है।”

20 मार्च 1927 को सुबह डा. अम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग पाँच हजार दलित नर नारियों ने जुलूस के रूप में महाड़ के चोबदार तालाब में, अपने सांवजनिक तालाब से पानी पीने के अधिकार को हासिल किया। उस विशाल जन स़मूह की तालाब से पानी पीने से रोकने का साहस किसी को न हुआ।

हालांकि इस घटना से धूमध होकर झूर बट्टर हिन्दुओं ने दलितों के पाला को तोट दिया, निहते लोगों के साथ मारपीट की। भोजन को मिट्टी में मिला दिया। उस समय डा. अम्बेडकर डाक बंगले में अपने साथियों से विचार-विमर्श

कर रहे थे। समाचार मुनते ही वे पुलिस इन्सपेक्टर से मिले पर वह स्थिति को नहीं सम्भाल सका। गुण्डों ने डा. अम्बेडकर पर भी आप्रमण की कुचेष्टा की परन्तु उनके पौराय के सामने उन्हें हटना पड़ा। इस पटना से डा. अम्बेडकर का मन स्वरं हिन्दुओं के प्रति विद्रोही हो गया उन्होंने शोपण व्यवस्था की प्रतीक मनुष्यता को सावंजनिक हृष्य से जला कर शोपण की कि वे ऐसी किसी भी व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जो दलितों के मानवीय अधिकारों का विरोध करती हो।

2 मार्च 1930 को डा. अम्बेडकर ने नासिक के कालाराम मन्दिर में दलितों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया। वे एक विशाल जुलूस लेकर मन्दिर प्रवेश के लिए गये। मन्दिर के प्रवन्धकों द्वारा विशाल जुलूस को देखकर मन्दिर के दरवाजे बंद कर दिये गये। शहर में धारा 144 लगा दी गई। करीब एक माह तक सत्याग्रह चलता रहा। अन्त में रथ-यात्रा में दलितों को सम्मिलित करने की जरूरत पर सत्याग्रह हटा। रथ-यात्रा के दिन धोखा देकर सबरों ने दलितों पर हमला बोल दिया। दोनों ओर से घुट्ठी दंगे हो गये। अनेक लोग हताहत हुये। पुलिस ने भी सबरों का साथ दिया। लेद की यात तो यह है कि पांछी और उनके साथियों ने डा. अम्बेडकर के आनंदोलन का विरोध किया जो अपने लिए आजादी चाहते थे, वे भी दलितों की आजादी के विषय है।

6 सितम्बर, 1930 को डा. अम्बेडकर को लन्दन में होने वाली गोल मेज परिषद में सम्मिलित होने के लिए वायसराय का आमन्त्रण पत्र मिला, जिस पर वे लन्दन गये। 12 नवम्बर, 1930 की विद्युति प्रधान मन्त्री भेंडोनाल्ड की अध्यक्षता में हूँ गोल मेज परिषद की बैठक में डा. अम्बेडकर ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये कहा कि—

“मैं जिन लोगों के प्रतिनिधि की हैसियत से यहां लड़ा हूँ उनकी सख्त हिन्दुस्तान की कुल जनसंख्या का पांचवा भाग है पर्याप्त दृश्येष्ट व कांस की जन-संख्या के बराबर है। आज उन्हें दास बनकर गुलामों को तरह जीता पड़ रहा है। डा. अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज परिषद में निश्चिकता से गज़ना करते हुए कहा कि “भारत में अद्यूत विद्युति शासन के विषय है। वे लोग ऐसी सरकार के पक्ष में हैं जो जनता की, जनता के लिये, जनता द्वारा बनाई गई हो। दलितों का यह दृष्टिकोण उनकी जागृति और देश भक्ति का प्रतीक है।”

डॉ. अम्बेडकर के इस स्पष्ट द्रिटिकोण से गोलमेज परियद में उपस्थित प्रतिनिधि एवं प्रधान मन्त्री आश्चर्य चकित रह गये। उन्हें शायद डॉ. अम्बेडकर से ऐसे स्पष्टवादी भाषण की उम्मीद न थी।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारे लोगों की जो दयनीय स्थिति व्रिटिश शासन से पूर्व थी, आज भी वैसी ही है। आज भी दलितों को सावंजनिक जलाशयों से पानी नहीं भरने दिया जाता है, आज भी उन्हें मदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। आज भी उनके साथ दूधा दूत का पृणित व्यवहार किया जाता है। व्रिटिश सरकार ने दलितों को नागरिक अधिकार दिलाने के लिये कुछ भी नहीं किया।

इस तरह डॉ. अम्बेडकर ने दलितों की आवाज को विश्व के मंच पर उठाया और सारी दुनिया को भारत में दलितों की स्थिति से परिचित कराया। उन्होंने 931 में हुई गोलमेज परियद में भाग लेकर दलित समस्या पर विचार करने के लिए व्रिटिश सरकार को विवाद किया। इस तरह भारतीय राजनीति में एक नये युग की शुरूआत हो गयी।

दलितों के उद्धार के प्रश्न पर डॉ. अम्बेडकर के महात्मा गांधी एवं कांग्रेस से गम्भीर मतभेद हो गये। गांधीजी ने दलितों के हिन्दुओं से पृथक अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया और सत्याग्रह कर अपनी नाराजगी जाहिर की। डॉ. अम्बेडकर ने हृता एवं सूक्ख दूध से काम लिया और पूना पैकट पर सहमति देकर गांधी के प्राणों की रक्षा की। 932 को पूना पैकट हुआ, जिसके द्वारा दलितों के कल्याण के लिए, विशेष व्यवस्था किये जाने पर सहमति हो गई।

बाद में डॉ. अम्बेडकर को भारतीय संविधान की प्राफूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नये संविधान में उन्होंने प्रजात्रीय, धर्म निरपेक्ष, क्षमता मूलक समाज व्यवस्था की नीव रखी। दलितों के संसद, विधान सभाओं एवं नीकरियों में प्रारक्षण की व्यवस्था की गई। आज दलित आन्दोलन जो कुछ भी है, वह डॉ. अम्बेडकर की ही देन है।

डॉ. अम्बेडकर ने जीवन भर हिन्दू धर्म प्रोत्साहन समाज व्यवस्था से उत्पन्न प्रदूषण की पीड़ा को खेला था। इसी कारण उनके दिल में अपने दलित साथियों के प्रति गहरी सहानुभूति एवं करणा की भावना थी। दलित पीड़ा को उजागर करते हुये उन्होंने कहा कि “वे दुख जिनसे अदूत पीड़ित हैं, यद्यपि उनका इतना

प्रचार नहीं हुआ है जितना कि यहूदियों के दुखों का, तो भी किसी तरह कम यथार्थ नहीं है। न ही दमन के साधन एवं पद्धतियों जिनका हिन्दुओं ने ग्रहूतों के प्रति प्रयोग किया, इसलिए कम प्रभावशील है कि वे उन तरीकों से कम भयंकर हैं जिनका प्रयोग नाजियों ने यहूदियों के विरुद्ध किया। यहूदियों के प्रति नाजियों का एन्टी सीमेरिज्म विचार' एवं प्रभाव में ग्रहूतों के विरुद्ध हिन्दुओं के सनातन वादे से किसी भी तरह भिन्न नहीं है"

वे आगे कहते हैं :-

"मैंने स्वयं अपने ही अनुभव से यह महसूस किया है कि जातिवाद एवं दुआदूत से प्रस्त समाज में वितना धोर अन्याय एवं धोड़ा निहित है। दुआदूत एवं जातिवाद ने करोड़ों व्यक्तियों को मानव की स्थिति से नीचे गिरा दिया था। मुझे भेद भाव की यह अमानवीय स्थिति बदास्त नहीं थी इसलिए मैंने दलित जाग-रण एवं सुधार का जबरदस्त आन्दोलन आरम्भ किया।"

"दुआदूत एवं जाति व्यवस्था मूलतः वर्ण व्यवस्था में थी, जो कि सम्पूर्ण समाज को आहुण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में विभाजित करती है। अतः मैंने धोयणा की कि मेरे लिए पुराने नामों सहित यह चातुर्यवर्ण व्यवस्था नितांत विक-पंक है और मेरा सम्पूर्ण व्यक्तित्व उसका विरोध करता है।"

चातुर्यवर्ण से धर्मिक निष्ठा और कोई सामाजिक संगठन नहीं हो सकता। यह ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को मृत पंगु तथा असत्त बना कर, अच्छे कर्म करने से रोकती है।"

उन्होंने यह भी महसूस किया कि जाति व्यवस्था की जड़ हिन्दू शास्त्रों में निहित है तथा हृदिवादी हिन्दू शास्त्रों का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। भले ही उन्हें अच्छी यातों को निलंबित देना पड़े। अतः उन्होंने धोयणा की कि—

"वास्तविक समाप्तान यह है कि शास्त्रों की पवित्रता में विवास या तोड़ा जाय। यदि आप लोगों के विवासों एवं मर्तों को प्रभावित करने के लिए, शास्त्रों की सत्ता वो निरन्तर बनाये रखते हैं, तो आप अपनी सफलता की बासना बंसे कर सकते हैं ?

यहाँ व्यवस्था पर बढ़ोर आपात बर्तने हुए उन्होंने बहाएँ व्यक्ति की इटि ने बराँ व्यवस्था एक मूर्यंता है और एक दण्ड है। उसमें बेष्ट एक ही वर्ग गिरा

एवं ज्ञान का अधिकारी है। केवल एक वर्ग हथियारों को रखने व चलाने का अधिकारी है। केवल एक ही वर्ग व्यापार करने का अधिकारी है। केवल एक वर्ग ही सेवा करने का अधिकारी है। नव्वे प्रतिशत हिन्दू आहुण, वैष्ण एवं शूद्र समाज व्यवस्था के अन्तर्गत हथियार नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में देश की रक्षा संकट को घढ़ी में, सभी की सेना में भर्ती किए बिना, कौसे की जा सकती?

उन्होंने ब्राह्मणवाद पर प्रहार करते हुये कहा —

“सभी ब्राह्मण अद्युतों के शत्रु हैं—मुझे उन सभी व्यक्तियों से धृणा है जिनके कि हृदय में ऊँच-नीच का विचार है, जिसने कि मानव प्राणियों के दूषित होने के विचार का बीज बोया तथा साथ ही सामाजिक असमानता तथा विशेषाधिकारों को जन्म दिया। कोई गैर ब्राह्मण भी जो इन ऊँच-नीच के विचारों को लेकर चलता है, ऐसे लिए ग्रातोच्य है। कोई ब्राह्मण या अन्य व्यक्ति जो इन भेदभावों से ऊपर उठकर मानवता का ग्रादर करता है वह मुझे प्रिय है।

ब्राह्मणवाद से मेरा तात्पर्य स्वतन्त्रता, समानता एवं मातृत्व की भावना के निषेध से है। इस अर्थ में ब्राह्मणवाद सभी वर्गों में व्याप्त है और मात्र ब्राह्मणों तक ही वह मीमित नहीं है हानिकि वे लोग इसके जन्मदाता हैं। ब्राह्मणवाद में न केवल अस्पृश्यता एवं भेदभाव को जन्म दिया बल्कि लोगों को नागरिक अधिकारों से भी वंचित किया। ब्राह्मणवाद इतना सर्वव्यापी है कि उसने ग्राधिक क्षेत्र को भी प्रभावि किया।

छुआत्मूत की जड़ जाति-व्यवस्था है। जाति-व्यवस्था की जड़ वह धर्म है जो वर्णांश्रम से वंदा हुआ है। वर्णांश्रम धर्म की जड़ सर्व सत्तावाद अथवा राजनीतिक शक्ति है।

अतः छुआत्मूत, जातिवाद व भेदभाव को राजनीतिक सत्ता को हथिया कर ही समाप्त किया जा सकता है। अतः मैंने अपने लोगों का बार बार यही ग्राह्मान किया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो तथा अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए राजनीतिक शक्ति हासिल करो। इसके अलावा तुम्हारे उद्धार का कोई उपाय नहीं है।

डा. अम्बेडकर पवार राष्ट्रवादी थे। एक देश चितक की हैसियत से, देश की एकता और अखण्डता के लिए चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि :-

“मैंने भारतीय राष्ट्रवाद की दृष्टि से यह महसूस किया कि जो हजारों

जातियों में विभक्त हों, जिनमें कौच-नीच की निकृष्ट भावनायें घास्त हों वे राज-नीतिक एवं सामाजिक रूप में एक राष्ट्रीय समाज का गठन कैसे बन सकते हैं? मैंने एलान किया कि—क्या दुनिया में ऐसा भी कोई समाज है, जिसमें अद्यूत हो। जिनकी द्याया व हिट मात्र से अन्य लोग दूषित हो जाते हों? क्या कोई ऐसा भी समाज है जिसमें प्राचीन लोग जगली में रहते हों और जो वस्त्र पहनना तक भी नहीं जानते हों? ऐसे लोगों की कितनी संत्या है? क्या कोई ऐसा भी समाज है, जिसमें अपराधशील जातियां हों। ऐसे लोगों की संत्या बहुत है। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग करोड़ों की संत्या में है, करोड़ों अद्यूत, करोड़ों प्राचीन कबीले। कोई विचार कर सकता है कि हिन्दू सम्यता क्या वास्तव में सम्यता है?

उनकी हिट में करोड़ों दीन-हीन अद्यूतों, आदिवासियों, वन वासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों को मनुष्य का गरिमापूणि इर्जा दिनाना, सबसे बड़ा धर्म था, उसे हिन्दू समाज ने स्वीकार नहीं किया, यह हिन्दू धर्म का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा।

अन्त में डा. अम्बेडकर ने महसूस किया कि हिन्दू रहते, अद्यूतपन, अन्याय शोषण एवं अपमान से दलित मुक्त नहीं हो सकते क्योंकि हिन्दू वर्ण व जाति से भिन्न कुछ भी नहीं है। अतः वे हिन्दू धर्म के कट्टर विरोधी हो गये और एक विद्रोह के स्वर में उन्होंने दलितों का आवृत्ति किया—

“यदि आप स्थापित व्यवस्था में कोई सौलिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो आपको वेदों व शास्त्रों के प्रति जो बुद्धि को कोई स्थान नहीं देते हैं तथा नैतिकता को कोई स्थान प्रदान नहीं करते प्रध्वंसक प्रयोग करना पड़ेगा। तुम्हे श्रुतियों एवं स्मृतियों के धर्म का विनाश करना पड़ेगा और किसी से कुछ नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह मेरा मुख्यालित दृष्टिकोण है।

वे जन्म भर जातिगत भेदभाव व अस्मृत्यता की भावना से पीड़ित रहे। वे जातिवाद को समाप्त करना चाहते थे। इस जातिवाद के कारण करोड़ों लोगों का सम्बन्ध ऐसी जातियों से, जेबल जन्म के आधार पर जुड़ जाता है जिनके नाम से ही अपमान की गत्य आती है। कोई भी सम्य पढ़ा-लिया व्यक्ति स्वयं को भंगी, चमार, ढेड़ जैसे पृणित नाम वाली जाति का कहनाना पसन्द नहीं करेगा। अकारण ही वह क्यों अपमान का शिकार बने? यह हर दलित के लिये गम्भीर विचारणीय प्रश्न है। इन जाति के पुद्धलों से मुक्त होना हिन्दू रहने हुए तो कभी संभव नहीं है। ऐसा डा. अम्बेडकर ने महसूस किया और आनिकारी शोषणा बी—

“दुर्भाग्य से मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ था। यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अपमानजनक स्थिति में रहने से इन्कार करना मेरी शक्ति की सीभा में है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मरते समय मैं हिन्दू नहीं रहूंगा।”

यह उनकी अकेले की पीड़ा नहीं थी। करोड़ों दलित भाइयों की पीड़ा थी और वे उन्हें जाति के कारण कर्त्तव्य की जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए मार्म-दर्शन देना चाहते थे। अतः उन्होंने धर्मान्तरण की घोषणा की।

उन्होंने परमान्तरण की घोषणा 13 अक्टूबर, 1935 को वैदेवता कान्फेन्स में एक आम सभा में की। सारे देश में तहलका मच गया। अनेक हिन्दू नेताओं की प्रतिक्रिया का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि—

‘जीवन में धर्म तो आवश्यक है, पर उस धर्म में चिपके रहना कहाँ की वुद्धिमत्ता है जिसमें कुछ लोगों पर धर्म के नाम पर अन्याय एवं अत्याचार किये जाते हैं और उन्हें पशु स्तर पर रखने का ग्रन्थों में प्रावधान है।’

14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में सुबह 9 बजकर 45 बिनट पर बाबा सहेब डा. अम्बेडकर ने 5 लाख लोगों की उपस्थिति में, अपने अनेक अनुयायियों के साथ, 83 वर्षीय स्थविर चन्द्रमणी से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर, बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अपने धर्मान्तरण की घटना का उल्लेख करते हुए डा. अम्बेडकर ने 30 अक्टूबर, 1956 को मि. डॉ. वाली सिंह को लिखा —

“बौद्ध-धर्म-दीक्षा बहुत महान घटना थी। वह भीढ़ जो दीक्षा लेने आई, मेरी आशा से परे थी। भगवान बुद्ध का धन्यवाद है कि सब अच्छी तरह सम्पन्न हो गया। हमें अब उन विधियों एवं साधनों पर विचार करना है जिनके द्वारा उन लोगों को बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जा सके, जिन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है अथवा मेरे कहने पर स्वीकार करेंगे। मैं चाहता हूं कि बौद्ध सभ अपना दृष्टिकोण बदले और सन्यासी बनने की प्रपेक्षा भिक्षुओं को, ईसाई मिशनरियों के समान, सामाजिक कार्यकर्ता और प्रचारक बनना चाहिये।

## दलित क्रान्ति का विवेकत्रयी सिद्धांत

**क्रान्ति का स्वरूप—**सर्व प्रथम यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि दलित क्रान्ति से मेरा अभिप्राय क्या है' क्योंकि क्रान्ति शब्द का आजकल अत्यधिक प्रयोग अनेक सन्दर्भों में, अनेक ध्यक्तियों द्वारा नित्य प्रति हो रहा है।

अधिकांश व्यक्ति आज कल क्रान्ति का अर्थ सीधा ही हिंसा द्वारा, बल प्रयोग कर, सत्ता परिवर्तन से या मावर्सवादी ठंग से की गई हिंसात्मक क्रान्ति अथवा रक्त क्रान्ति से लगाते हैं।

कुछ रुढ़ी परम्परा एवं दुराग्रह से प्रसिद्ध व्यक्ति क्रान्ति को केवल भाषण एवं लेखन का विषय ही समझते हैं। उनकी नजर में क्रान्ति का व्यवहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसे लोग हर परिवर्तन को नकारात्मक ही लेते हैं। चाहे वे परिवर्तन कितने ही मानवीय एवं बहुजन हिताय क्यों न हों।

कुछ लोग इतने निष्कृष्ट एवं पुरुषार्थहीन होते हैं कि वे अपने जीवन का कोई उत्तरदायित्व ही नहीं समझते। वे हर अनाचार, अस्त्याचार एवं अपमान को अपने भाग्य का खेल या ईश्वर की लीला मान कर भेलते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्रान्ति वा कोई अर्थ नहीं होता।

मेरा इस सम्बन्ध में सुविचारित हृष्टिकोण है कि भाग्यवाद, वर्मफल और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ देने के भ्रामक सिद्धान्त, शोषक चतुर लोगों द्वारा, शोषित को गुमराह कर उन्हें शोषण का निरन्तर शिकार बनाये रखने के लिये पर्यंत वे नाम पर फैलाये गये हैं। ताकि शोषित जन समूह वो यह अहसास भी नहों हो सके कि उनके दुखों, अनाचारों और पोड़ाभरों के लिये साधन सम्पन्न शोषक वर्ग

उत्तरदायी है। दलित वर्ग के लोग सदियों से अस्पृश्यता के अपमान आर्थिक शोषण, अन्याय एवं अत्याचार का शिकार है फिर भी उनके अन्दर शोषकों के प्रति विद्रोह की चिनगारी नहीं पूटती। इसका मुख्य कारण उनका अध्यन्विश्वास, अज्ञान तथा भाग्य और भगवान में अन्धी आस्था है।

वे शोषक एवं अन्यायी को आज भी अपना स्वामी अननदाता और रक्षक मानते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र विलकुल ही भरोसा नहीं है। उन्हें अपनी क्षमताओं और शक्ति का कोई अन्दाज़ा नहीं है। वे या तो शोषकों से दया की भीख अपने जीवन के लिए मांगते रहेंगे या अपने कल्याण के लिये किसी काल्पनिक अलीकिक शक्ति से चमत्कार की प्रार्थना करते रहेंगे। जब कि आज तक इन उपायों से उनका जरा भी कल्याण नहीं हुआ।

धर्म के नाम पर झटिवाद, परम्परावाद, रीति-रिवाज की दुहाई साधन सम्पन्न शोषक वर्ग के लोग ही देते हैं क्योंकि वे इन चालबाजियों से अपनी ऊँची स्थिति को सुरक्षित बनाये रखना चाहते हैं तथा ऐसे लोग दलित वर्गों के उत्थान के लिये उठाये गये, हर नये कदम का विरोध धर्म एवं संस्कृति के नाम पर करते हैं।

दुख की बात तो यह है कि जब दलित वर्ग के सुशिक्षित व्यक्ति अपने दीन-दलित भाईयों के कल्याण के लिए कोई सुधारवादी कान्तिकारी कदम उठाने की बात करते हैं तो दलित वर्ग के दुजुरं अशिक्षित पञ्च लोग उनका विरोध करते हैं तथा कई सुधार वादियों को तो ऐसे नासमझ लोग जाति से बहिर्भूत तक कर देते हैं।

वे अपने पड़े लिखे युवकों को घुणा को इट्ट से देखते हैं तथा शोषक साधन सम्पन्न अनपढ़ मंवार भी उन्हें ईश्वर तुल्य पूज्य नजर आते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है।

मेरा यह भी म्पष्ट मत है कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु भले ही कुदरत के अवीन है परन्तु वह किस तरह जीना चाहता है पह? निश्चित तौर से उसके बस की बात है। वह नाहे तो एक गरिमाशाली व्यक्ति की तरह जीवन जी सकता है और नहीं चाहे तो पशुध्रों के समान उसके जीवन के साथ खिलबाड़ हो सकती है।

मनुष्य धर्मने भाग्य का निर्माता स्वर्य है। कोई भी व्यक्ति अपनी विवेक-

शक्ति को जगाकर परम ज्ञानी बन सकता है। अपनी भावनाओं को व्यापक बनाकर सारे जगत को अपने में समेट सकता है। तथापि अपने गौर्यं और पुण्यार्थ से परम विजेता का जीवन जी सकता है। आवश्यकता है अपने आपको, अपनी क्षमताओं को जानने, जगाने और ध्यवहार में लाने की।

मैं क्रान्ति का पक्षपर हूँ परन्तु ऐसी क्रान्ति का नहीं जो हिंसा व बल प्रयोग से दूसरों को बदलने को मजबूर करती हो। मैं ऐसी क्रान्ति का पक्षधर हूँ जो स्वयं भनुष्य को अपने आपको, अपनी जीवन शैली को, ठोस विचार कार्य पद्धति में अपने व मानवता के कल्याण के लिये बदलाव लाती हो और ऐसी क्रान्ति निश्चित तौर से भनुष्य के विवेक के जागरण द्वारा ही नाई जा सकती है।

जगाने की बेटा—दलित क्रान्ति दर्शन में अपने करोड़ों दलित साधियों को भक्तभोव कर जगाने के एक विनम्र प्रयास के रूप में प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि मेरी आत्मा पूरे संकल्प के साथ मुझे बार-बार इस बात का विश्वास दिलाती है—

“जायेगी एक दिन सोई हुड़ सर्वहारा जन शक्ति आवश्यकता है उसे भक्तभोव कर जगाने की ओर यदि एक बार यह जनशक्ति जग गई तो दुनिया की कोई भी शक्ति जनक्रान्ति को रोक नहीं पायेगी।

क्रान्ति से निकलेगा भारत में एक नये विकास का सूर्य, जो जन-जन की आशा का उजाला देगा। न फिर कोई भूखा नंगा रहेगा और न किसी को अद्यूतपन की पीड़ा सहनी पड़े गी। किसी भी भारतीय को गैर नहीं समझा जायेगा। सब जियेंगे सबके लिये समता, न्याय और समृद्धि का सवेचा आयेगा।”

इस पुस्तक के साथ मैं आपका प्रावृहान् करता हूँ—  
“ग्रेरे जागो। मेरे शोषित, अपमानित, अमुरक्षित साधियों, सब मिलकर एक दूसरे की ढाल बन जाओ। इस तरह जीना भी कोई जीता है। इससे तो सत्याप्रही बनकर कष्ट भेलना भर्द्या है।

तुम जागो, मंथन करो, सत्याग्रह को तंयार हो जाओ। खोने के सिवाय तुम्हारे पास बेड़ियों के बुझ भी नहीं है। सच्चाई और न्याय के लिए मर भी गये तो शोषण के इंत नक्के में खुटकारा होगा। तथा जीत गये तो सम्मान की जिन्दगी जीते वा अवसर मिलेगा।

## दलित क्रान्ति का विवेकयनी सिद्धान्त

अब मत बतो बोझ इस धरती पर। इसे यांत्री समाजिता श्रीरामन्याय से मुक्त करो। या 'स्वयं शोपण एवं अन्याय में मुक्तःहो जाओ।'

आपसे क्रान्ति के लिये तैयार होने का आग्रह में इस कारण से कुछ रहा है, कि भारत में जाति-विहीन, वर्ग-विहीन, छुटिवादिता विहीन समता, मूलक-प्रजातन्त्रीय समाजवादी समाज को संरचना करना दलित वर्ग के लिये जीवन मरण का प्रश्न हो गया है। यदि हम ऐसा नहीं कर सके तो हमारा अधित्तद ही खतरे में नहीं पड़ेगा बल्कि हमारे देश की एकता अखण्डता एवं गरिमा की रक्षा करना भी असम्भव हो जायगा। आज भले ही हमारे अनेक दलित साथी आपनी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पा रहे हो परन्तु 2 वीं सदी के आरम्भ में उठने वाली सर्वहारा जनक्रान्ति का नेतृत्व दलित शक्ति ही करेगी ऐसा मेरा इड विश्वास है। आपको आने वाले कल के निए ज्यादा सक्षम ज्यादा संगठित और ज्यादा शक्तिशाली होते देखना चाहता हूँ। आपकी जिम्मेदारियां आपके अपने कल्याण के लिये, अपने परिवार एवं समाज के लिये, तथा इस देश के तमाम साधन विहीन सर्वहारा गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और अल्प संख्यकों के लिये और अपने प्यारे भारत देश को बचाने और समृद्ध करने के लिये, बार-बार आपको आग्रह कर रही है कि जानो, उठो और संगठित होकर कुछ करो।

कुछ करो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये, इस देश को शोपण, अनाचार व अन्याय से बचाने के लिये, और कुछ करो, भारत की एकता अखण्डता एवं गरिमा को रक्षा के लिये, क्योंकि आज कटूर साम्प्रदायिकता, अलगाववाद और हिंसा का जहर, हमारे प्यारे देश और देशवासियों को, निगलने को मुंह फैला रहा है।

आगामी जनक्रान्ति की भलक—आने वाली क्रान्ति की एक भलक मैंने अपनी हाल ही प्रकाशित पुस्तक 'विवेक क्रान्ति दर्शन' की प्रस्तावना में प्रस्तुत की है, उसे आपके समझ पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ।

"भारतीय सर्वहारा जनक्रान्ति इवकीसदी सदी के आरम्भ में उठने वाली भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी जनक्रान्ति होगी।

सर्वहारा जनक्रान्ति के परिणामस्वरूप भारतीय जनता में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचुर मात्रा में विकास होगा। भारतीय स्वभूत समाज की रचना होगी। भारत में व्याप्त सामाजिक वुराइयों, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, पूँजीवाद रुद्धीवाद तथा अलगाववाद का अन्त होगा।

संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चा जाति विहीन, वर्ग विहीन, वैज्ञानिक, मानवीय मदभावनायुक्त, समता मूलक, प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज का निर्माण करेगा। समाज में प्रत्येक भारतीय को बिना जाति धर्म भाषा सेवीयता व लिंग का भेद किये, विकास के समान अवसर मिलेगे।

'एक सबके लिये और सब एक के लिये' का आदर्श समाज स्थापित करेगा। समान अवसर प्राप्त होगा। हर हाथ को काम मिलेगा तथा सभी को जीवन की मुख-सुविधायें मिलेगी।

जातिवाद, मास्त्रायिक दुर्भावना, पूँजीवाद अंधविश्वास एवं हठिवाद का अन्त कर, एक स्वस्य भारतीय कोम को जन्म दिया जायेगा। जो ज्यादा जीवंत सत्त्विय, मानववादी कोम होगी। जो भारत की महिमा और गरिमा को विश्व में स्थापित करेंगी तथा विश्व में व्याप्त हिस्सा, रंगभेद, जातिभेद, साम्प्रदायिक विद्वेष को समाप्त कर, विश्वशान्ति स्थापित करेंगी। सारा मानव समुदाय एक परिवार की तरह रहे इसका नवीन भारतीय समाज प्रयास करेगा।

हमारे आदर्श होंगे—(1) प्रजातन्त्र (2) मानववाद (3) विज्ञान वाद (4) धर्म निरपेक्षता (5) नारी सम्मान और (6) समाजवाद।

बड़ी जिम्मेदारियां एवं गम्भीर चुनौतियां—प्राप्त इस बात को गच्छी तरह समझ लें कि आपका उद्धार करने के लिये कोई अलौकिक शक्ति नहीं आने वाली है। धनवान एवं साधन सम्पन्न लोगों से अपने उद्धार की आशा मत लगाकर बैठना वे कभी नहीं चाहेंगे कि आप लोग दीनता, दरिद्रता और वैज्ञान से गुक्त होकर, ऊपर उठे बयोकि वे ही तो आपके धर्म एवं सुविधायां का शोषण करते हैं।

आपका उद्धार केवल सरकारी संरक्षण एवं सुविधायां की वैसाखियों के सहारे नह कर भी सम्भव नहीं हो सकता है हाँ, यह बतरा अवश्य है कि आरक्षण, मुद्रिधा एवं संरक्षण की वैसाखियां प्राप्तके दैरंगों को ही पंगु न बना दे। सचेत हो जायो, आपका क्षयण करने कोई नहीं आयेगा। प्राप्तवा उद्धार तो आपके संग-ठिन संपर्यं द्वारा ही होगा, अन्य कोई उपाय ही नहीं है।

आपकी दुरावस्था, गरीबी एवं शोषण के लिये आप ही जिम्मेदार हैं।

आपको इस सच्चाई को तुरन्त स्वीकार कर नैना लाहिये कि आपके अपमान, असुरक्षा, शोषण और उत्पीड़न का कारण कोई और नहीं स्वयं आप हैं। आपके अज्ञान, भय, फूट, ध्रुंघ-विश्वास भाव्य और भगवान की मिथ्या धारणाओं ने ही आपको मनुष्य की गरिमा से पशु के स्तर तक नीचे भिरा दिया है।

आप निम्न स्तर के हैं क्योंकि आपने अपने इसी स्तर को अपनी निर्यात, भगवान की बृप्ता, कर्मों का फल, न जाने वया-वया मान लिया है। आपकी हीनता की ग्रन्थी हर समय आपको कुंठाघों, निराणाघों एवं दुखों से बेरे रहती है। आप दुखों के अन्याय व अनाचार को भी भाव्य का खेल मानकर खेलते हो। अपमान की पीड़ा आपको, अपने पुराने जन्मों का फल प्रतीत होती है। आपके सामने अनाचार होता है। आपकी पत्नी या पूत्री को कोई पीटता रहता है और आप भक्तक से दया की भीख भाँगते हो। सोचिये कि वया आप सच्चे भर्यों में मनुष्य हैं?

अन्याय करने वालों से, ज्यादा दोषी अन्याय को सहन करने वाला होता है। अन्याय को सहन करने की दुष्प्रवृत्ति के कारण ही समाज में ग्रब्यवस्था, अनाचार, अष्टाचार आतंकवाद, अलगाववाद एवं अपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है। इन्हीं प्रवृत्तियों से दलितों का शोषण होता है तथा देश की एकता और अखण्डता वो स्तरा उत्पन्न होता है।

अन्याय होता ही इसी कारण है कि आप उसे चुपचाप सहन करते हैं। इसी से आपका शोषण करने वालों के होसले बुलन्द होते हैं; जिस समय आप आत्म ज्ञान, आत्म शक्ति सौर्य से भरपूर होकर, भय रहित होकर पूरे संकल्प के माध्य अन्याय से लड़ने मरने को तत्पर हो जायेंगे, आपके जीवन में कान्ति घटित हो जायेगी।

अन्याय करने वाले की आत्मा कमजोर होती है वह किसी सत्य निष्ठावान, चरित्रवान, शक्ति से भरपूर, व्यक्ति के सामने कभी नहीं ठहर सकती। जगायो अपने संकल्प को, सोजो अपने अन्दर की शक्ति को, वर्ग चेतना को जगने दो, फिर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें अन्याय, शोषण व अनाचार का शिकार नहीं बना सकेगी।

आपके सामने अपने आत्म-कल्याण, परिवार की मुद्यवस्था, समाज की जागृति व देश निर्माण की बड़ी-बड़ी जिम्मेदारिया है। इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए, अपने आपको सक्षम बनाओ, जागो उठो, सोचो विचारो और आत्म

निरीक्षण कर, अपने को ग्रज्ञान भय व आंत धारणाओं से मुक्त करो, तभी आप व्यक्ति की गरिमा को उपलब्ध हो सकते हो ।

यदि आप गरिमावान व्यक्ति बनना चाहते हैं, अपने दीन, दरिद्र साधियों को अनाचार शोषण व अपमान से ऊपर उठाना चासते हैं, चाहते हैं कि दतित जक्ति उभरे और एक महान जन आन्दोलन का नेतृत्व करें तो आपको गम्भीर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना होगा ।

आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो स्वयं की आंत धारणाओं को तोड़ने की होगी । आपको अपने जीवन से ऐसे कार्य, विचार व व्यवहार को निकाल कैकना होगा जो आपको गरीबी, निकृष्टता व शोषण के नक्के में धकेल रहा है ।

आपको यह भी सोचना होगा कि जिस धर्म, समाज व व्यवस्था के आप अंग हैं क्या वह शोषण की पर्याय नहीं है ? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके साथ होने वाले हर अन्याय व अनाचार की जड़ जाति व्यवस्था है ? क्या आप इस सच्चाई से इन्कार कर सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था का मूल वर्ण व्यवस्था है ? क्या आप इस सच्चाई से आँखें चुरा सकते हैं कि हिन्दू धर्म वा मूल उनके शास्त्र, प्रथायें व अंध विश्वास हैं ?

सोचिये गम्भीरता से कि क्या आप हिन्दू बने रहकर, अपमान सूचक जाफ़ नामों से, भेदभावों से, जिल्लत व अपमान से अपना पिण्ड छुड़ा सकते हैं ? मेरी तो स्पष्ट मानना है कि यह कभी सम्भव नहीं है और इसी कारण लम्बे सोच विचार के बाद बावा साहब ने हिन्दू धर्म व समाज व्यवस्था को तिताज्जलि देकर, मानवीय समानता के आदर्श वा, स्थापित करने वाले, महान बीड़ धर्म को ग्रहण किया ।

मैं आपके सामने प्रश्न खड़े कर रहा हूँ आप इन प्रश्नों पर गम्भीरता से विचार करें, हठ धर्मिता, हीनता और भक्तिमयता त्याग कर, मात्रा की गहराईयों तक इन प्रश्नों को उत्तरने दें, इतना मैं दावे के साथ बहता हूँ कि आपकी धनत-रातना इन सारे प्रश्नों का जवाब देगी । आपका विवेक आपका मार्गदर्शन बनेगा । आपका विवेक ही दिशा देगा कि आपकी महिमावान व्यक्ति बनने के लिये, दतितो-दार के लिये तथा राष्ट्रीय नव निर्माण के लिए बया करना है ? और जब एक दूर आप अपने विवेक को जानने, जानने और उससे भ्रुगुर जीने वा संदर्भ से लौटे तो आपके गान्धीर विवेक आनंद प्राप्ति ही जायेगी ।

यह मैं अच्छी तरह महमूस करता हूँ कि आप देश व समाज की इतनी बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप सक्षम न बनें। पहले तो आपको अपनी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना होगा। उनके निश्चकरण के उपाय ढूँढ़कर उनका समाधान करना होगा। उसके बाद आपने जीवन के आदर्श को सुनिश्चित करना होगा, तभी आप देश व समाज के लिए कुछ कर सकेंगे।

आपकी समस्याओं के विवेक संगत विष्णेपण, समाधान के वैज्ञानिक उपाय एवं एक सुनिश्चित आदर्श को स्पष्ट करते के लिये, आप मे विचार क्रान्ति पैदा करने के लिए, ही मैं दलित क्रान्ति का विवेकत्रयी सिद्धान्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले संलग्न तालिका का गहराई से अवलोकन करें तथा बाद मे उसे गहराई से समझने का प्रयास करें।

### दलित क्रान्ति का विवेकत्रयी सिद्धान्त

1	2	3
समस्या अर्थी	प्रशिक्षा गरीबी	शोषण वर्ग चेतना
समाधान अर्थी	शिक्षा संगठन	संघर्ष वर्ग संघर्ष
उद्देश्य अर्थी	प्रजातन्त्र राष्ट्रीयता	समाजवाद लोक शक्ति जगरण
योग	विवेकानन्द विज्ञानवाद	मानववाद समता मूलक समाजवाद

## अध्याय सात

### समस्या त्रयी- वर्ग चेतना

"वर्ग चेतना" दलित आन्ति दर्शन का प्रमुख एवं प्रथम सूत्र है। इस सूत्र के तीन उप सूत्र (1) अग्निधा (2) गरीबी और (3) शोषण हैं। इन सूत्रों का समुच्चय वर्ग चेतना सूत्र के नाम से जाना जायेगा। यह सूत्र दलित आन्ति के विचारों की जन जन तक पहुँचा कर वर्ग चेतना की प्रबल भावता को जन्म देगा।

दलित वर्ग की सबसे बड़ी समस्या उनमें एकता के अभाव की है। हिन्दुस्तान की कुल आबादी का करीब 30 प्रतिशत भाग प्रानुसूचित जन जाति, पुस्तकड़ एवं ग्रादिवासी जन समूह का है। इनके साथ यदि पिछड़े वर्ग की आबादी को भी मिला दिया जाये तो ग्राधी जनसंख्या सामाजिक एवं आर्थिक हृष्टि से पिछड़े एवं निम्न दलित भारतीयों की है। देश की समस्त महिलायें भी सामाजिक हृष्टि से पुरुषों से हेतु समझी जाती हैं तथा आर्थिक रूप से वे पुरुषों पर निर्भार हैं। यदि साधन विहीन, श्रमजीवी शोषण के शिकार, सर्वहारा व्यक्ति को दलित माना जाये, तो यह आज के सन्दर्भ में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

जो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका जन्म विसी जाति में हुआ हो, कोई धर्म वह मानता हो, स्त्री हो या पुरुष, साधन विहीन होते के कारण गरीबी और शोषण का शिकार है। वह सर्वहारा वर्ग का है। भारतीय सन्दर्भ में उसे दलित या पिछड़ा व्यक्ति कहा जा सकता है। इस तरह से यदि हम विचार करते हैं तो पता चलता है कि इस देश में आज स्पष्ट दो ही वर्ग व जातियां हैं। एक साधन सम्पन्न पूँजीपति शोषक वर्ग की जाति और दूसरी समस्त गरीब अभाव ग्रस्त एवं शोषण के शिकार सर्वहारा दलितों एवं गरीबों की जाति।

साधन गम्भीर सर्वहारा जनता की संख्या 90 प्रतिशत है जबकि शोषक मुक्तिक्षेत्र से 10 प्रतिशत ही है। देश की भूमि, सम्पद, कल पारयाने एवं उत्पादन

## समस्या श्रयी वर्ग-चेतना

के समस्त श्रोतों पर साधन सम्पद शोधक पूँजीपतियों ने प्रपत्ना कब्जा जमा लिया है तथा धन के बल पर वे राजनीति पर हाथी हैं। सारा धर्म संस्कृति और कानून व्यवस्था पर पूँजीपति वर्ग का कब्जा है। इसी कारण धर्म, कानून व सत्ता हमेशा ही पूँजीपति शोधकों का समर्थन करती है। शोधक पूँजीपति वर्ग के लोग धर्म सत्ता, धर्म सत्ता और राज सत्ता के बल पर गरीबों का शोषण करते हैं।

यदि सर्वहारा साधन विहीन दलित एवं विद्युत वर्ग के लोगों को अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो उन्हें धर्म सत्ता, धर्म सत्ता एवं राजप सत्ता पर संघठित संघर्ष, जन आन्दोलन व मताधिकार ढारा कब्जा करना होगा। अन्य कोई उपाय उनके उदार का नहीं है।

दलित वर्ग के लोग अनेक जातियों में बंटे हुए हैं। बोई भी दलित जाति का व्यक्ति अपने से भिन्न दूसरी दलित जाति से समय के साथ सम्पर्क नहीं रखता है। एक दलित जाति का व्यक्ति पिटा रहे, शोधण का शिकार होता रहे, उसके दूसरे साथी तक उसे बचाने को नहीं दोड़ पड़ते। हर दलित जाति अपने आपको दूसरी दलित जाति से कैचा सिद्ध करने की घृणित चेष्टा करती है। एक जाति के लोगों में भी आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है। कितनी फूट है? कितनी दरिद्रता है? कितने अन्य विश्वास हैं? क्या आप सब स्थितियों को बैठे देखते नहीं रहते हैं? यदि हा तो किरणा उम्मीद रखते हैं दूसरों से।

पहले अपनी चेतना को जगाओ। पीड़ा को महसूस करो। अपनी समस्याओं को खोजो। कहीं तक आप स्वयं उसके लिये उत्तरदाइ हैं इसका पता लगाओ, तभी आप समस्याओं के निवान के बारे में सोच पायेंगे। अपनी चेतना को जगाने दें।

मुझे यह कहते हुये अत्यधिक पीड़ा होती है कि अनेक पढ़े लिखे दलित साथी भी अपने साथ अस्पृश्यता के व्यवहार को आज भी निरन्तर बदाश्त करते हैं। यहा तक कि स्कूलों के अध्यापक, कार्यालयों के लिपिक, पुस्तिकालिकाएँ तक स्कूलों, कार्यालयों एवं सरकारी कार्य स्थलों पर सबके लिए रखे पानी के भट्टकों से पानी नहीं पी सकते।

बून मर गया है लोगों का। स्वाभिमान और आत्मीय गरिमा तो उनमें है ही नहीं। आज अस्पृश्यता निवारण के लिये सरकार ने बठोर कानून बनाये हैं, दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए यही हाल ही अनुसूचित जाति/जनजाति (पत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में पारित हुआ है। जिसके अधीन विशेष

न्यायालयों का गठन किया गया है। एक छोटी सी दरखास्त पर पुलिस, प्रशासन एवं न्याय तन्त्र सत्रिय हो जाता है। परन्तु कायरों, नपुसंकों एवं मुर्दों को स्वाभिमान की परवाह ही नहीं है। उन्हें इम देश व समाज की चिन्ता ही नहीं है। वे तो केवल अपनी जान को, डर कर, भयभीत होकर, पिट-पिटाकर बचाने की चेष्टा में हैं फिर भी आज तक मुरक्खित नहीं हो सके।

अपने अन्दर आत्म-चेतना को जगाये। अपनी पीड़ा को महसूस करें। अन्याय की सौ धर्ष की जिन्दगी से तो गरिमा का एक क्षण महत्वपूर्ण है।

अपनी समस्याओं पर गौर करें। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी स्थानों पर, सभी लोगों की समस्याएँ भिन्न-भिन्न हैं। आपकी समस्याओं को आप ही समझ सकते हैं और आप ही उसका समाधान भी कर सकते हैं।

दलित वर्ग की भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न समस्याएँ हैं परन्तु अध्ययन की हृषि से इन समस्याओं को मोटे तौर पर तीन भागों में बाटा जा सकता है:-

- (1) अशिक्षा
- (2) गरीबी
- (3) शोषण

**अशिक्षा :** दलितों की सारी समस्याओं का मूल अशिक्षा एवं अज्ञान है। हालांकि आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर विकास हो रहा है परन्तु आज भी निरक्षरता का अधिकांश प्रतिक्षेप दलित स्त्री-पुरुषों का ही है।

विना पढ़े लिखे लोगों का गांवों में जो शोषण हो रहा है उसे हम सभी जानते हैं। अशिक्षित भी और अनपढ़ व्यक्ति ही अन्ध विश्वास एवं झँझियों के शिकार हैं। आज भी गांवों में अशिक्षित घरों में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सोग चिकित्सक के पास जाकर इलाज कराने की बजाय भाड़ फूँक बालों के चबकर में पैंस जाते हैं, गण्डे व ताबीज बंधवाते हैं, देवी-देवताओं की मनोनी करते हैं और चाल बाज लोगों द्वारा ठगे जाकर, रोगी को मौत के मुँह में जाने देते हैं तथा किर इम समस्या बो उन्हीं जान साजों के समझाने पर, भाग्य का खेल मानकर मनोरंग कर लेते हैं।

अशिक्षित दलित भाई बढ़ोर मेहनत मजदूरी करते हैं। दूसरों के लिंगों को जोन बोकर अपनी पैदा करते हैं। उन्हें उनकी मेहनत का बृत्त पोटा भाग ही मिल

पाता है। उसे भी बोहरे, सेठ, सामन्त, कर्ज को वसूली के स्प में दीन से जाते हैं। वे मृत्यु भोज, शादी विवाह और धर्म कर्म अद्वय करते हैं। वह भी कर्ज लेकर। कर्ज कितना लिया उन्हें पता नहीं। वे तो वस ग्रगूठा करना जानते हैं।

कर्ज देने वाले को अश्रदाता मानते हैं। चाहे भले ही उन्हें थोड़ा रुपया देकर बोई उनका घर, मकान, खेत किसी के भी नाम करालें, उन्हें पता ही नहीं चलता। वे हर फसल पर कर्ज चुकाते भी हैं। पर उसकी बोई रसीद उन्हें नहीं दी जानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वे कर्ज में हूँवे रहेंगे। कर्ज वसूली के नाम पर पिटने रहेंगे। इनकी स्त्रियों के साथ अनाचार होता। रहेगा। फिर भी वे कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि वे अनपढ़ हैं। उन्हें कानून, न्याय कचहरी किसी बात का भी तो ज्ञान नहीं है। फिर सारे दुःखों पर सन्तोष करने का, उनके पास उपाय, भाग्य का खेल, प्रभु की लीला, पापों का फल है।

मैं अपने अनुभव से रोज यह देखता हूँ कि जब किसी दलित भ.ई को जमीन दवा ली जाती है, उनके साथ मारपीट होती है। तो न्याय के लिते वह उन्हीं अनाचारियों के दखार मे गिड़गिड़ाता है। यदि साहस कर याने भी जाता है तो कोई उनकी रिपोर्ट नहीं लिखता। वह अपने साथ जब किसी साधन सम्पन्न पंच, चौधरी, ठाकुर आदि से न्याय की दुहाई देता है तो पैसे का प्रश्न खड़ा होता है। वह हिमायती व्यक्ति ही उसका खेत गिरवी रपकर पैसे देता है। गिरवी के नाम पर वेचान लिख लेता है। कचहरी मे आकर वह व्यक्ति उसके ऊपर अहमान भी करता है। तथा वकीलों से अपने हक की दलाली भी ले लेता है। पुलिस एवं प्रशासन के साथ भी यही खेल चलता है। सब कुछ होता है पर उस अन्याय से पीड़ित को न्याय नहीं मिलता क्योंकि वह अशिक्षित है। अशिक्षित व अनपढ़ लोगों को लोग स्वर्ग का प्रलोभन देकर भी ठगते रहते हैं। घन दूना करने वाले शोक हरने के मन्त्र पौर तांबीज बनाने वाने। स्वर्ग की सीढ़ियाँ गड़ने वाले, पता नहीं कितने कितने प्रवार के घूंस, मवार लोग इन अनपढ़ लोगों को रोज ठगते रहते हैं।

अशिक्षा और अज्ञान के कारण दलित वर्ग के लोग शोपण, अन्याय व अनाचार का शिशार होते हुये भी, उन शोपको के विशुद्ध संघर्ष की भावना पैदा नहीं कर सके क्योंकि शोपको ने उनके मन में बिठा दिया था सब कुछ कर्मों का फल है तो भोगना ही होगा। जो आज कंची जाति, कंच कुल में पैदा हुये हैं, जासन और मुख वा भोग कर रहे हैं उन्होंने पुराने जन्मों में बहुत सत्कर्म किये हैं, तभी उन्हें कंची स्थितियाँ मिली हैं तथा तुमने भवश्य पाप किए होगे इसी कारण

दलित कान्ति-दर्शन

तुम दुष्य भोग रहे हो । हमारी सेवा करके पाप दूर कर लो ताकि धर्म में  
तुम्हें भी ऐसे सुख मिल सके ।

उन्हें यह भी समझा दिया गया है कि मनुष्य के किये कुछ नहीं होता ।  
मनुष्य का भाग्य तो विधाता ने उसके जन्म के साथ ही लिख दिया है । अतः वही  
होंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है । उसे मिटाने वाला कोई नहीं । अब आप  
सोचिये कि भाग्य को मानने वाला क्यों पुरुषायं करेगा । उससे तो कोई जबर-  
दस्ती बेगार ले तो ही काम करेगा । नहीं तो भाग्य के भरोसे भूखा ही मर  
जायेगा । जूते भी खायेगा व प्रनाचार भी सहेगा । इस भाग्यवाद के सिद्धान्त ने  
दलितों का सबसे ज्यादा अहित किया है परन्तु ताज्जुब की बात तो यह है कि  
दुनियां भर की तृप्तणा में डै लोग पढ़ लिख कर भी भाग्यवादी हैं । इससे ज्यादा  
धोर घशान क्या हो सकता है ?

दलितों की यह भी मिथ्या धारणा अत्यधिक है कि कोई धर्मोक्तिक देवी  
देवता की पूजा करते रहो, वही वेदा पार लगायेण । सदियों के अनुभवों से भी  
लोगों का यह मिथ्या धर्म दूर नहीं हुआ है । जिसमें ज्यादा धार्मिक दोंग के शिकार  
दलित है, उसना कोई नहीं । यहाँ तो ठेके पर भी धार्मिक धनुष्ठान कराने का  
रिवाज है । किसी चतुर मिथ्याचारी के जाल में फँसकर, लोग धन देते हैं और  
धनुष्ठान कराकर सोचते हैं कि अब उनके यहाँ न कोई मृत्यु होगी, न नुकसान  
होगा । ऐसे-ऐसे लोग बढ़े हैं कि चाहे वेटी की शादी की चिन्ता हो, चाहे लड़के को  
नौकरी लगाने का प्रश्न हो, चाहे बीमारी दूर करने का उपाय हो, हर समस्या का  
समाधान तन्त्र-मन्त्र से कर देने का दम्भ भर कर, लोगों को युमराह कर ठगते  
हैं और ऐसी ठगाई का शिकार अशिक्षित ही नहीं, पढ़े लिखे दलित भाई भी  
होते हैं ।

दलितों के पास अपना स्वयं का कोई सोच विचार नहीं है । चनके सामने  
जीवन के स्पष्ट लक्ष्य नहीं हैं । वे शोषकों की बनाई रीतियों-नीतियों पर चलते  
रहकर ही अपना कल्याण चाहते हैं । यह कभी सम्भव नहीं होगा । अपने विवेक  
को जगाना होगा । मानवीय जीवन मूल्यों पर आधारित एक ऐसी संस्कृति का  
उन्हें निर्माण करना होगा, जिसमें कि उन्हें मन्य नागरिकों के समान धादर,  
विकास के अवसर तथा मायिक साधन उपलब्ध हों । अशिक्षित रहकर एक तरह  
से हम शोषण की व्यवस्थाओं का साथ दे रहे हैं ।

हमारी आत्महीनता का मुख्य कारण अशिक्षा है। अशिक्षा और भजान के कारण हम अपनी समस्याओं को समझ नहीं पाते, उनके समाधान ढूँढ़ नहीं पाते। हमारे अन्दर स्वाभिमान ग्रात्य-विश्वास एवं पुरुषार्थ की कमी है। सारी समस्याओं की जड़ ही है अशिक्षा।

हीनता हमारा मूल स्वभाव नहीं है यह हम पर जबरदस्ती योगी गई है। शिक्षित और बुद्धिमान होकर ही हम हीनता के बोझ से मुक्त हो सकते हैं।

गरीबी—गरीबी सारे दुखों की जननी है। साधन विहीन व्यक्ति कभी भी स्वाभिमान की जिन्दगी नहीं जी सकता। गरीबी से दीनता, रोग और दरिद्रता, का जन्म होता है। व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए भीख मांगने, अपराध करने या कोई भी अनैतिक अपराधिक कृत्य करने से नहीं चूकता। गरीबी आदमी से वह करवा लेती है, जो आदमी नहीं करना चाहता।

जी व्यक्ति साधन विहीन है, दूसरों के यहां मजदूरी करके ही उसका मुजारा होता है वह अपने मानवीय अधिकारों की रक्षा किस बल द्वाते पर कर सकता है गरीब व्यक्ति न तो पौष्टिक भोजन, खा सकता है न ही अच्छे मकान बना सकता है और न ही उसके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

गांवों में ऐसी घटनाएँ दलित वर्ग के लोगों के साथ होती रहती है कि जब भी कोई साधन विहीन दलित स्वाभिमान से जीना चाहता है; दूसरों की गुलामी से इन्कार कर देता है तो लोग उसे मजदूरी पर नहीं रखते, लेती में शोच आदि को नहीं जाने देते, उनके रास्ते बन्द कर देते हैं आखिर विवश होकर उन्हें पुनः पराधीनता की जिन्दगी जीनी पड़ती है।

दलित साधियों को यह बात निश्चित हृप से जान लेनी चाहिये कि गरीबी न तो भाग्य का लेल है और न ही परमात्मा वी लीला। न ही गरीबी उन्हें कर्मों के फल भोगने को मिलती है। उनकी गरीबी इसलिये है कि कुछ लोगों ने देश की पन, धरती व सत्ता को जबरदस्ती हथियार लिया है।

इस देश की सम्पूर्ण वरती पर, देश की ग्रन्थ व्यवस्था पर, कृषि व उत्तर-कारखानों पर भी भारत की निर्धन जनता वा भी उतना ही अधिकार है जितना किन्वी साधन सम्पन्न व्यक्ति का है। सभी ने भारत माता वी कोख से जन्म

लिया है। सभी भारत माता के लाल हैं। माँ की सम्पदा पर उसके सभी बेटों का समान हक व अधिकार है।

निधनों को दीन दलितों को, अपने अधिकारों के लिए, सहना ही होगा। मागने से यहाँ कुछ भी नहीं मिलता कोई भी सरकार तब तक गरीबी व शोषण नहीं मिटा सकती जब तक कि गरीब और शोषित अपने अधिकार के लिये लड़कर मर मिटने को तत्पर न हों।

गरीबी के लिए मौजूदा पूर्जीवादी ढाँचा दोयो है इस ढाँचे को आमूल चूल बदले बिना दलित गरीबी की समस्या से नहीं उभर सकते।

अपनी गरीबी के लिये स्वयं दलित व्यक्ति भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। उनमें पुरुषायं का अभाव है। 'संकल्प की कमी है तथा उनके मन्दर आर्थिक नियोजन की समझ बिल्कुल ही नहीं है। उन्हें ना तो ढग से कमाना आता है न ही उनके पास तकनीकी, आधिकारिक ज्ञान है। वे कमाते भी हैं तो उसे दान, दहेज, मृत्यु-भोज एवं नशे पर खर्च कर देते हैं। बचत करना तो उन्हें आता ही नहीं। बच्चों की फौज भी बढ़ाते जायेंगे तथा गरीबों के लिये रोना-धोना भी मचाते रहेंगे।

जो सोग शाम ढले शाराद खाने की ओर मुड़ जाते हों, जिन्हे बीबी की इज्जत और बच्चों की भूख की भी परवाह न हो। कौन दूर करेगा उनकी गरीबी?

जो सोग कर्ज में डूबे हुए रहकर भी मा-बाप की मृत्यु का जश्न मनाने के लिये, कर्ज लेकर भी मृत्यु भोज कर, विरादरी में अपने बाप का नाम रोशन करने पर तुले हैं, उनमीं गरीबी कैसे दूर हो सकती है? कैसे सोग कर्ज के रोग से मुक्त हो क्योंकि उन्हें तो दहेज अपने पढ़ोसी से अधिक देना है? नहीं तो विरादरी में उनकी नाक बट जायेगी अब नाक ही रखेंगे कंची तो फसे बो ही कर्ज के जाल में।

जो छोटी-छोटी बातों पर अपने ही भाईयों से लड़ते हों। उन्हें कोटं कच-हरी में से जाने के लिये तुले हों। मुकदमेवाजी के शोदीन हों वे भया कैसे गरीबी के दुश्चक्र से बचेंगे।

कोई फिजूल खर्चों से बचने का उपाय भी न रे तो विरादरी की मर्यादायें

दृष्टी है। विरादरी के ठेकेदार भला कैसे ये बर्दास्त कर सकते हैं? मैंने अपनी मांवों से देखा है कि जवान कमाऊ व्यक्ति की पर में मौत हो जाती है, उसकी विधवा पत्नी और अनाथ बच्चे अपने अंधकारमय भविष्य के लिए रोते हैं परन्तु जाति के तथाकथित पचों को उन पर तरस नहीं आता। उस मृत व्यक्ति की आत्मा को जबरदस्ती स्वर्ग पहुँचाने के लिये, उन अनाथ बच्चों और विधवा के हृन की जमीन तक बिकवा देते हैं, लोग। वे कैसे निर्देशी लोग हैं जो मुद्दों की लाज पर शोक मनाने की बजाय उनके परिवार को तबाह कर, मृत्यु भोज कराते हैं। क्या मृत्यु भोज शोषण के रक्त से कम है। यदि दलितों को दरिद्रता से उबारना है तो ऐसी घृणित प्रवाङ्मों, फिजूल लर्ची और व्यसनों पर शक्ति से रोक लगानी होगी।

दलितों की गरीबी का कारण है उनमें पुरुषार्थ का अभाव। दलित इस देश को धरती पर स देयों से शोषण के शिकार हैं वे सदा ही अपने कल्याण के लिये दया की भीख मांगते आये हैं। फिर भी उनका उढ़ार नहीं हुआ है। उन्हे किसी शरणार्थी भाई से पुरुषार्थ की सीख लेनी चाहिए। वे शरणार्थी बड़ी आपदा में खाली हाथ भारत आये थे। उनके पर उजाड़ दिये गये थे। उनके परिवार बानों की हत्यायें हो गई थीं। उन बहादुर लोगों ने भारत में आकर अपने पुरुषार्थ, कड़ी मेहनत व ग्रास्त विश्वास से, अपनी जड़े जमाई। उन्होंने किसी से दया की भीख नहीं मांगी और आज अपने ही परिश्रम से सम्पन्नता की जिन्दगी व्यतीत कर, देश की सेवा कर रहे हैं।

पुरुषार्थ के द्वारा, संकल्प शक्ति द्वारा, कठोर मेहनत करके, कोई भी व्यक्ति दरिद्रता के चुंगल से मुक्त हो सकता है। आपको प्रकृति ने सम्पूर्ण शक्ति से भरपूर बनाया है। अपनी जक्कियों को जगाइये। कड़ी मेहनत व लगन से अपने जीवन को सुखी और सम्पन्न बनाइये। आज कोई बाधा नहीं है कोई निर्याग्यता नहीं थोपी जा सकी है आपके छपर। सुरकार भी आपके विकास को सक्रिय है। अवसर का लाभ उठाइये। अपनी गरीबी स्वयं दूर करिये।

**शोषण—**दलित समाज की तीसरी समस्या शोषण की समस्या है। शोषण का कारण अशिक्षा और गरीबी है। अशिक्षा और गरीबी का कारण जाति भेद है तथा जाति भेद का कारण है वर्ण व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का कारण हिन्दू समाज व धर्म का ढाढ़ा है। समस्या धूम फिर कर यही है कि हिन्दू समाज में रहते वया उनकी समस्याओं का निदान सम्भव है?

दलितों की धार्मिक समस्या तो ये है कि वे जिस धर्म को मानते हैं उसी धर्म के अनेक साधी उनके साथ घृणा एवं प्रस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं। जिन शास्त्रों में उनकी आस्था है वे ही शास्त्र उनको नीचा समझने प्रताड़ित करने तथा शिक्षा एवं अधिकार से वंचित रखने की भावनाओं का समर्थन करते हैं। जिन देवी-देवताओं और भगवानों को अपना आराध्य मानते हैं। उन्हीं के मन्दिरों में उन्हें जाने नहीं दिया जाता। धर्म के जो ठेकेदार हैं वे ही उन्हें प्रताड़ित एवं अपमानित करते हैं अब वे जायें तो कहाँ जायें ?

सामाजिक शोषण उनके साथ इस कारण होता है कि उनका जन्म ऐसी जाति में हो गया है जिसे नीचा कहा जाता है। इसी कारण वे अस्पृश्य हो गये। दलितों को आज भी अस्पृश्यता एवं जाति भेद के कारण स्थान-स्थान पर अपमान की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। यह पीड़ा उन लोगों के लिये तो शिल्कुल असहनीय हो गई है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करली है। प्रजातन्त्र कानून व मानवीय हकों में कुछ समझने लगे हैं।

आज भी दलितों के साथ गावों में छुप्रादूत का व्यवहार मौजूद है। गाव में सम्पन्न लोग आज भी उन्हें नीचा, निहृष्ट कह कर अरमानित करते हैं। उन्हें सार्व-जनिक तालाबों से पानी भरने से रोका जाता है। मन्दिरों में प्रवेश पर अब भी अनेक जगह उनके लिये प्रतिबन्ध है और गावों में दलितों के दूल्हे घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। दलितों को अपने नागरिक अधिकारों के लिये आज जूझना पड़ रहा है।

भारत के लोग दुनिया से रंगभेद, जातिभेद एवं विसमता मिटाने की दुहाई देते हैं परन्तु यह कितने शर्म की बात है कि हम आजादी के 43 साल बाद भी अस्पृश्यता के बंदक को नहीं मिटा पाये हैं। आज भी आदमी इस देश में आदमी का मल-मूत्र सिर पर उठाकर ढालता है।

दलितों का सर्वाधिक शोषण आधिक हृष्ट से हो रहा है। वे कठोर मेहनत करके दूसरों के खेतों में अनाज पैदा करते हैं परन्तु उन्हें उनकी मेहनत का पूरा प्रतिफल नहीं मिलता। आज देश की सारी अर्थ व्यवस्था, कृषि, उद्योग एवं निर्माण का कार्य, दलित मजदूर करते हैं परन्तु वे ही गरीबी के शिकार हैं। जब तक सम्पत्ति का अनियन्त्रित व्यक्तिगत अधिकार रहेगा शोषण की व्यवस्था पा भन्त सम्भव नहीं है।

राजनीतिक हृप से भी आजादी के बाद दलितों का शोपण ही हुआ है। देश भले ही आजाद हो गया ही पर सत्ता पर पकड़ आज भी उन्हीं लोगों की है जो आजादी के पूर्व भी सत्ता में थे। पहले जो सामन्त थे कुलीन व साहूकार थे पुरोहित थे आज वही सरपंच, विधायक मन्त्री बनकर, शासन कर रहे हैं क्योंकि आपके ओर उन्हीं के कब्जे में हैं। चुनाव के समय हर पार्टी दलित कल्पणा का नारा लगाती है व दलितों के बीट बटोर कर सत्ता में आ जाती है। परन्तु दलितों के हित की किसी को कोई परवाह नहीं है। दलित वर्ग के लोग जब तक स्वयं संगठित होकर, राजनीतिक दल अथवा संयुक्त दलित मोर्चा नहीं बना नेते तब तक उनकी राजनीतिक उपेक्षा होती ही रहेगी। आवश्यकता सर्वाधिक इसी बात की है कि राजनीतिक चेतना का दलितों में विकास हो। यदि वे संगठित हो और उनका एक राजनीतिक मंच हो तो ही राजनीतिक सत्ता को ग्रहण कर सकते हैं। दलितों की सारी समस्याओं का समाधान मात्र राजनीतिक सत्ता को हयिया कर ही हो सकता है।

इस तरह से हम देखते हैं कि दलित समाज की प्रमुख समस्या, अंजिका, गरीबी और शोपण ही है।

दलितों को अपनी इन समस्याओं का समाधान मिल कर करना चाहिये। इन समस्याओं से जन-जन में पीड़ा और आश्रोश को उभारना चाहिये। जन-जन की चेतना जब वर्ग-चेतना का हृप ले लेगी और जब वर्ग-चेतना का विस्फोट होगा तो आनंद के लिये भूमि तैयार होगी।

दलित जन-जन की पीड़ा जैसे-जैसे घनीभूत होगी वैसे-वैसे वह एक हृदय से निकल कर दूसरे में पहुंचेगी। जैसे-जैसे उनकी पीड़ाओं, संवेदनाओं और जिम्मेदारियों का सामूहीकरण होगा। वैसे-वैसे वर्ग-चेतना का विकास होगा और वर्ग-चेतना से जन्म लेने वाली विराट शक्ति देश की मौजूदा व्यवस्थाओं में परिवर्तन को अवश्य भावी बना देगी।

अपने सपनों को साकार बनाने के लिए अपने अन्दर आश्रोश को जगाइये। शोपण, अपमान और अन्धाय से उठने वाली पीड़ा को महसूस करिये। जब कोई व्यक्ति यह महसूस करने लग जाता है कि वह गुलाम है तो उसकी आत्मा स्वतन्त्रता के लिये गुलामी को देहियों को तोड़ने के लिए, छटपटाती है। तथा उसकी आत्मा

उसे अन्यथा मुक्त होने की शक्ति व प्रेरणा देती है। इस शक्ति के बल पर वह एक दिन गुलामी से मुक्त हो जाता है।

गुलामी पौर घपमान की जिम्दगी से तो स्वाधीनता और सम्मान के लिये संघर्ष वरके मर-गिटना गयादा गरिमा की यात है। वयोंकि आजादी के लिये मरने वालों की गहादत, उसके गुलाम साधियों की जबरदस्त प्रेरणा व शक्ति स्वाधीन होने की देती है। पाप घपनी और घपने भव्य साधियों की घपमानित जीवन की अद्यता को जगाये यही मामूलिक पाइ़ा। पापको उठने एवं शक्ति पूर्ण होने के लिए वरदान सिद्ध होगी। आश्रोश की चिनगारी, जब जन-जन में भड़केगी तभी महान जन-ऋन्ति के लिये, वर्ग चेतना और वर्ग सघर्ष की भावना था विकास होगा।



## समाधान त्रयी-वर्ग संघर्ष

वर्ग संघर्ष दलित प्रान्ति दर्शन का दूसरा सूत्र है। इस सूत्र के तीन उप सूत्र (1) शिक्षा (2) संगठन और (3) संघर्ष हैं। इन सूत्रों का समुच्चय वर्ग संघर्ष सूत्र के नाम से जाना जायेगा। यह सूत्र दलित प्रान्ति को सफल बनाने का साधन बनेगा। संघर्ष के द्वारा दलित वर्ग समता मूलक प्रज्ञातंश्रीय समाजवादी अवस्था का प्रजनन करेगा।

इस सूत्र के जन्मदाता दलितों के मसीहा बाबा साहेब डा. अम्बेडकर थे। उन्होंने अपने जीवन भर दलित जागरण, दलित प्रान्ति एवं दलित मुधार के लिये अपक प्रयास किये और इन्हें मे दलित कल्याण के लिए द्विमूल्कीय सदेश दिया— (1) शिक्षित बनो (2) संगठित बनो पीर (3) संघर्ष करो।

डा. अम्बेडकर ने दलितों को भारतीय विकास के वर्ष पर चलने का सन्देश देते हुये कहा कि—

“तुम्हें अपनी दासता स्वयं मिटानी चाहिये। उसकी समाप्ति के लिये तुम ईश्वर या अतिमानव पर आश्रित नहीं रहो। तुम्हारी मुक्ति राजनीतिक शक्ति में निहित है। त कि तीर्थं यात्राओं तथा उपवासों में। शास्त्रों के प्रति भवित भावना तुम्हें दासता, भभाव तथा निर्धनता से नहीं बचा पायेगी। तुम्हारे पूर्वजों पीढ़ियों से इस काम को कर रहे हैं। लेकिन कोई भाराम नहीं मिला और तुम्हारे दपनीय जीवन मे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। अपने पूर्वजों के समान तुम वियड़े यहनते हो। उनके समान तुम भी रोटी के फैके हुए टुकड़ों पर जीते हो, उन्ही के समान तुम अनेक रोपों के शिकार बन जाते हो। गन्दे स्यानों में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। तुम्हारे धार्मिक उपवासों, तपस्याओं और प्रायरिचतों ने तुम्हें मुख्यमरी से नहीं बचाया।

ग्रभावों, कष्टों तथा निराशरों से तुम्हें पीड़ित फ़िया गया है इसलिये नहीं कि इसका कारण पूर्व निर्धारित है, कि तुमने अपने पूर्व जन्मों में पाप किये हों चलिक इसलिये कि जो तुमसे क्षपर है उनकी निरंकुशता तथा चालाकी से तुम दवे गडे हो। तुम्हारे पास कोई भूमि नहीं है, क्योंकि दूसरों ने तुमसे उसे हड्डप लिया है, तुम्हारे पास कोई मरकारी नोकरी नहीं है क्योंकि दूसरों ने उन पर एकाधिकार कर लिया है। पूर्व निर्धारित भाग्य में विश्वास मत करो। अपनी शक्ति में विश्वास करो।'

उन्होंने एक अम्ब खान पर कहा—

"तुम्हारे गलों में नटकी हूई तुमसी की मालायें सूदस्तों के चंगुल में तुम्हें मुक्त नहीं कर पायेगी। चूंकि तुम राम के गीत गाते हो तुम्हें मकान मालिक किराये में छूट नहीं देगा। चूंकि तुम हर वर्ष पंडरपुर की यात्रा करते हो, तुम्हें महोने के इन्तज़ार में कोई वेतन नहीं मिलेगा। चूंकि समाज का अधिसंख्यक भाग इन निर्धन रहस्यवाद, अध्य विश्वासों तथा जीवन के रहस्यों में व्यस्त रहता है। चालाक एवं स्वार्थी लोगों को समाज विरोधी क्रियाओं को संचालित करने के लिये व्यापक क्षेत्र एवं अवसर मिल जाता है।"

दलित समाज की समस्याओं के समाधान के लिये डा. अम्बेडकर द्वारा मुझाए गए मार्ग-दर्शन की व्याख्या करते हुए डा. डी. आर. जाटव ने अपनी पुस्तक डा. अम्बेडकर के आलोचक में लिखा है कि—

"अद्यूतों की समस्याओं के समाधान हेतु यद्यपि डा. अम्बेडकर ने राजनीतिक हटिकोण का प्रयोग किया और यह पोषित किया कि वे राजनीतिक शक्ति को अपने हाथों में लिये विनाशक तर्मान सामाजिक ढाँचे को नहीं बदल सकते, लेकिन वे ऐसा तंभो करने में सफल हो सकते हैं जब वे अपने आपको एक आध्यात्मिक आत्मत्व में संगठित कर लें।"

उन्होंने आगे लिखा है कि—

"जहाँ तक अद्यूतों की समस्या के राजनीतिक हटिकोण का सम्बन्ध है। डा. अम्बेडकर ने उन्हें बहुत पहले ही प्रोत्साहित किया कि सभी दलित वर्गीय लोग एक राजनीतिक संगठन में एकत्रित हो जायें ताकि अपनी राजनीतिक शक्ति के आधार पर वे सामाजिक, आधिक एवं राजनीतिक मामलों में भव्या समझौता कर सकें। शर्त यह है कि उन्हें अपना स्वतन्त्र मंच बनाना चाहिये।"

अन्त में उन्होंने बाबा साहब के मार्ग दर्शन को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि—

"इस शताब्दी के मसीहाओं में से बौद्धिसत्त्व द्वा.प्रम्बेडकर एक थे । जिनका हृदय जाति व्यवस्था में मानवीय शोषण तथा उत्थीडन को देख कर इवित और पीड़ित हो उठा । उन्होंने मानवता के सारे इतिहास को सामाजिक व धार्मिक संदर्भों में समझा और उसकी व्याख्या की तथा मानव प्राणियों के समग्र उत्थान हेतु मार्ग बताया । उनका मार्ग मनस्थिति, अन्तकरण, चेतना का जागरण और परिस्थिति व्याप्तरण है । ऊपरी अभिव्यक्तियों को बदलना ही पर्याप्त नहीं है । मन के घरातल में जो गुत्तियाँ हैं, भेदभाव तथा विरमताएँ हैं जो समाज की सत्रु हैं उनका विनाश अनिवार्य है ।"

अतः सर्वप्रथम सम्पूर्ण व्यक्ति का व्याप्तरण बौद्धिसत्त्व प्रम्बेडकर के मिशन ज्ञान का लक्ष्य है वयोंकि व्यक्ति ही बुनियादी इकाई है । समस्य सामाजिक संस्थायें व्यक्ति के आचरण की अभिव्यक्तियाँ हैं । व्यक्तियों के प्रबुद्ध होने से सामाजिक परिवर्तन ठोस एवं मौलिक होगा ।

जिस तरह सभी व्यक्तियों की समस्यायें भिन्न 2 होती हैं उसी तरह समस्याओं के समाधान भी अलग-अलग होते हैं यह तो देश, काल और परिस्थितियों पर निर्भर करता है । तथा बहुत कुछ व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है यदि व्यक्ति विवेकवान है तो समस्याओं को भी जान लेगा और समाधान भी अपने दंग से हूँढ लेगा । परन्तु जहां तक दलित वर्ग की समस्याओं के समाधान का प्रश्न है इस सम्बन्ध में डा. प्रम्बेडकर द्वारा सुझाये गये तीन समाधान ही थें छठतम हैं । उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष द्वारा ही दलितों की समस्याओं के समाधान का मार्ग बताया इन तीनों उप सूत्रों की व्याख्या निम्नानुसार है :—

**शिक्षा**—शिक्षा ही वह मूल मन्त्र है जिससे व्यक्ति का सर्वांगिक विकास सम्भव है । शिक्षा की ज्योति मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जगाती है, उसमें जीवन के सम्बन्ध में विवेक संगत निर्णय की क्षमता पैदा करती है तथा उसके अन्दर प्रेम, सद्भाव, पुरुषार्थ और सेवा के गुणों का विकास कर, उसके जीवन को महिमा शाली बनाती है ।

जिस तरह अन्पेरे घर की अव्यवस्था को अन्पेरे में—ठोक नहीं किया जा सकता है । परन्तु प्रकाश दीपे जलते ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है । उसी तरह शिक्षा के द्वारा मनुष्य का सम्पूर्ण व्यक्तित्व-विकास की रोशनी ग्रहण कर लेता है । मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा है ।

शिक्षित व्यक्ति की आत्मा गौरवपूर्ण हो जाती है, फिर उसे किसी भी तरह अनाचार, के शोषण और अध्यविश्वास वा शिकार नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन के लिये मार्ग दर्शन अपनी विवेक बुद्धि से लेता है। अपनी समस्याओं को सोजता है तथा उनका निराकरण करता है। वह निरन्तर स्वावलम्बी बनकर अपना विकास करता है, समाज में अपने लिये स्थान बनाता है तथा देश व समाज की सेवा करता है।

दलित वर्ग की सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा हारा ही सम्भव है अतः उन्हें अपने बच्चों को हर हाल में उच्च से उच्च शिक्षा दिलाने का संकल्प लेना चाहिये। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर का जीवन समूचे दलित वर्ग व विद्युदी वर्ग के लिये एक आदर्श है जिन्होंने कि उच्चतर शिक्षा के गिरावरों को दूकर सिद्ध कर दिया कि कहीं भी जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति निम्न या उच्च नहीं हो जाता। व्यक्ति शिक्षा, संकल्प और पुरुषार्थ से ही पागे बढ़ता है। यह शिक्षा का ही चमत्कार है कि आज दलित समाज में अनेक बुद्धिजीवी, अधिकारी, राजनेता और समाज सेवक देश के निर्माण में संलग्न हैं। शिक्षा ने ही भारत रत्न डा. अम्बेडकर, बाबू जगजीवनराम और रामविलास पासवान जैसे दलित रत्नों को देश की कंची से कंची स्थिति तक पहुंचाया है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि शिक्षा का तात्पर्य मात्र स्कूल और कालेजी शिक्षा से ही नहीं है अपितु इसका क्षेत्र और भी व्यापक है। जनजन में स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व के आदर्श को जगाना, राष्ट्रीयता, मानवतावाद एवं समाजवाद के जीवन मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाना, भी अत्यन्त आवश्यक है वयोंकि यह जन शिक्षण का आवश्यक अग्र है।

दलित समाज के हर भोहले, कस्बे व गावों में बाचनालय, पुस्तकालय और समाचार पत्र उपलब्ध होने चाहिए। उनमें जनवादी क्रान्ति के विनारों को प्रेपित करने की एक समयबद्ध योजना होनी चाहिये। सभाओं, सम्मेलनों और विचार गोचरियों द्वारा सुधारवाद, वर्ग चेतना और राजनीतिक चेतना को प्रेपित करना चाहिये। जन-जन को जन क्रान्ति के लिये प्रशिक्षित करना आज दलित क्रान्ति के लिए परम आवश्यक हो गया है। उसके बिना हमारी विशाल जनशक्ति संगठित नहीं हो सकती है।

भारतीय दलित साहित्य अकादमी इस और विशेष प्रयास कर सकती है। साहित्य अकादमी का जात प्रदेश व जिला स्तर पर कैलाया जाना चाहिये, जिससे कि दलित साहित्यकार पैदा हों और वे समाज को जगाने के लिये लिखें। वे और कलमकार चाहें तो दलित शक्ति को भक्तों कर जगा सकते हैं। वे क्रान्ति

## समाधान त्रयी वर्ग संघर्ष

का विगुल बजाने को खड़े हो जायें तो विजास दलित जन-समूह तुरन्त संगठित होकर क्रान्ति को साकार रूप दे सकता है।

हमें जनता में ऐसी शिक्षा कान्ति लानी होगी ताकि मिथ्या धारणाओं, अन्धविश्वासों एवं भाग्यवाद की वेड़ियों को दलित वर्ग के लोग उतार फेंके तथा आत्महीनता से ऊपर उठें। हमें प्रचार प्रीर प्रसार का एक महान् अभियान चलाना होगा। क्रान्ति-दर्शन को जन-जन तक पहुंचाना होगा ताकि हमारी युवा शक्ति अजनात्मक कार्यों में लग सके।

इसके साथ ही हमें तकनीकी और रोजगार भूलक शिक्षा एवं प्रशिक्षणों की समृच्छ व्यवस्था करनी होगी ताकि हमारी प्राने वाली वीड़ियों प्रार्थिक रूप से आत्म निर्भर बन सके।

हमें अपने लोगों को आत्मावान बनाने के लिये उनमें आत्म-विश्वास, आत्म-शक्ति व पुरुषार्थ जगाने के लिये शारीरिक शिक्षण और आध्यात्मिक शिक्षण की भी व्यवस्था करनी होगी ताकि हमारे दलित साथी शारीरिक दृष्टि से पुष्ट एवं मानसिक दृष्टि से निर्भीक बन सकें।

हमें नीतिकता, सदाचार और मानवता का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। ताकि वे ज्यादा सक्षम और उत्तरदायी बन कर, देश और समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदा कर सकें।

हमें इस तरह का शिक्षण व जागरण भी पैदा करना होगा जिससे कि हम अपने भोगण की व्यष्टि को बढ़ाने वाली रीतियों-नीतियों को छोड़ सकें। मृत्यु भोज, दहेज, फिजूल खचों, नजाहोरी जैसी अनेक कुरीतियां दलितों की दरिद्रता को ही बढ़ाती है। धार्मिक अन्धविश्वास, रुदियां और अन्धी परम्परायें दलितों को पुरुषार्थ से हीन बनाकर युलानी की ओर ही ले जाती हैं। इन सारी कुरीतियों को दूर करने का ढीढ़ा दलित युवकों को उठाना होगा। इसके साथ ही परिवार नियोजन, अल्प बचत व स्वरोजगार तथा सहकारी उद्योग धन्धे को अपना कर ही हम प्रार्थिक रूप से आत्म निर्भर बन सकेंगे।

शिक्षा के प्रचार के लिये हर घर से हर बच्चे को स्कूल भेजने का अभियान चलाया जाना चाहिये। प्रतिभाशाली जातियों को शिक्षा के उच्च अवसर मुलभ कराने का हम सभी को प्रयत्न करना चाहिये तथा प्रीढ़ शिक्षा के माध्यम से अन-पढ़ जातियों को पढ़ाने का संकल्प हमारे शिक्षित साधियों को लेना चाहिये। यदि एक शिक्षित, एक अनपढ़ को भी पढ़ाने का संकल्प ले, तो अशिक्षा को मिटाया जा सकता है।

दलित जातिया एवं पिछड़ी जातियां एक दूसरे से बुरों तरह से कटी

हुई है यहां तक कि इन लोगों में भी आपस में दूषाङ्रूत जैसी धृणित व्यवस्था जारी है जब तक हम आपसी दूषाङ्रूत को प्राप्ति भेदभाव को व आपसी फूट को नहीं मिटायेंगे तब तक हम एक शक्तिशाली दलित मोर्चे का गठन कैसे कर पायेंगे ? और कैसे कर पायेंगे सामना सदियों से चले आ रहे प्रनाचार का ?

**संगठन :** दलित वर्ग मनेक जातियों में बिखरा हुआ है उन्हें संगठित करने के लिये वर्ग चेतना को जगाना होगा । तभी पूरा वर्ग संगठित होगा । आज यदि व्यवस्था में कोई आन्तिकारी परिवर्तन लाना है तो सम्पूर्ण दलित जातियों को एक मंच पर आकर एक संगठित दलित मोर्चा अखिल भारतीय स्तर का बनाना होगा । इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग, मजदूर वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग और महिला वर्ग के साथ मिलकर संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चे का गठन करना होगा ।

**संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चे** के गठन का व्यवस्थित विचार मैंने अपनी पुस्तक 'विवेक आन्ति-दर्शन' में प्रस्तुत किया है जो निम्न प्रकार है—

**संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चा :** संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चा का गठन भारतीय सर्वहारा व्यवितर्यों, जातियों एवं वर्गों द्वारा किया जायेगा । भारतीय सर्वहारा के पांच प्रमुख घटक हैं—

- (1) दलित वर्ग
- (2) पिछड़ा वर्ग
- (3) मजदूर वर्ग
- (4) अल्पसंख्यक वर्ग
- (5) महिला वर्ग

ये सभी वर्ग मिलकर संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चे का गठन करेंगे । संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चे का गठन नीचे से जन साधारण द्वारा ऊपर की ओर किया जायेगा । मोर्चे का संगठन पांच स्तरीय होगा ।

मोर्चे का प्रथम स्तरीय संगठन गांवों, मोहल्लों, वस्त्रों एवं नगरों में जातीय एवं समूह स्तर पर किया जायेगा । संयुक्त सर्वहारा मुक्ति मोर्चा से सम्बन्धित वर्गों वे लोग स्थानीय स्तर पर अपनी-अपनी जातियों एवं समूहों के अलग-प्रलग व्यवस्थित संगठन स्थापित करेंगे । जिनका उद्देश्य मोर्चे वे वर्गों का गठन, वर्ग-जेतना का विकास, जन शक्ति का जागरण एवं सामाजिक और आर्थिक सुधार कार्य-भ्रमों को चलाने का होगा ।

मोर्चे का द्वितीय स्तरीय संगठन तहसील सुस्थानीय स्तर पर होगा । जिसमें सभी जाति एवं समूह वे लोग अपने-अपने वर्ग जैसे-दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, मजदूर

## समाधान वर्धी वर्ग संघर्ष

वर्ग, अल्प संख्यक वर्ग और महिला वर्ग जिससे कि वे सम्बान्धत हुए संघर्ष का निर्माण अलग-अलग करेंगे ।

इन संघठनों का निर्माण प्रथम स्तर के संघठन द्वारा हुने ये प्रतिनिधियों द्वारा आपसी सहमति से या आवश्यकता होने पर भवदान से किया जायेगा । इन संघठन वर्ग संघठन कहलायेंगे ।

मोर्चे का तृतीय स्तरीय संघठन जिसा मुस्यालय के स्तर पर होगा जिसका गठन द्वितीय स्तर पर गठित किये गये प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा । इस संघठन का गठन भी जहां तक सम्भव होगा सभी वर्ग के प्रतिनिधियों की आम सहमति से या आवश्यकता पड़ने पर भवदान से किया जायेगा ।

ये संघठन संयुक्त सर्वहारा मूक्ति मोर्चा की मुरुख इकाई होगा ।

मोर्चे का चतुर्थ स्तरीय संघठन प्रदेश भूस्यालय पर होगा जिसका गठन तृतीय स्तर पर जिले में गठित संयुक्त सर्वहारा मूक्ति मोर्चा के वर्धान्वित प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा । जिले के प्रतिनिधि ही प्रदेश की ग्रामसभा के सदस्य इनके द्वारा ही प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा ।

मोर्चे का पचम स्तरीय अन्तिम संघठन अखिल भ.रत्तीय स्तर का होगा । इस संघठन का गठन समस्त प्रदेशों की इकाईयों के द्वारा भेजे गये जन प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा । अखिल भारतीय स्तर पर भेजे गये प्रतिनिधि संघठन की आम सभा के सदस्य होंगे । तथा वे ही अखिल भारतीय मोर्चा की कार्यकारिणी का गठन करेंगे ।

सभी स्तर के संघठनों की जो कार्यकारी परिपदे गठित की जाय उनमें मान्य-नियत पांचों वर्गों के प्रतिनिधि वरावर-वरावर होंगे । प्रत्येक कार्यकारिणी का नेतृत्व सामूहिक अध्यक्ष मण्डलों द्वारा किया जायेगा ।

संघठनों का गठन पांच वर्ग के लिये किया जायेगा तथा मामूलिक अध्यक्ष मण्डल की अध्यक्षता वारो-वारो से प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधि ही करेंगे ।

संयुक्त सर्वहारा मूक्ति मोर्चे का एक निर्दित संदिधान होगा, इसका निर्माण संयुक्त सर्वहारा मूक्ति मोर्चा के गठन के बाद देशीय माध्यारण्य सभा द्वारा बनाई गई विधान प्राप्त समिति द्वारा किया जायेगा । इसमें विभिन्न मूदों पर के मिट्ठु साधारण सभा में विचार विभर्न होगा ।

यह मोर्चा भारतीय नविकान, सरकार और साक्षरों में पूरी आन्ध्र रेखा । मोर्चा अपने कार्यकारी का संचालन विधि विधान के घन्टमें अद्वितीयक ढंग में करेगा । इस मोर्चे में हिमा, सामाजिक धृग्या, वर्गों के विवेग, देशद्रष्टव्य, उपरक्ष

एवं हिंसक प्रान्दोलनों के लिये कोई स्थान नहीं होगा । विद्वांशक प्रवृत्तियों में सत्त्वन ध्यक्तियों को मोर्चा में शामिल नहीं किया जायेगा ।

मोर्चा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत नागरिकों के मूल अधिकारों को भारतीय संवंहारा जनता को दिलाने के लिये सत्रिय भूमिका का निर्वाह करेगा । नागरिक अधिकारों की बहाली के लिये मोर्चा संघर्ष करेगा । मोर्चा सरकार द्वारा चलाये जा रहे जन कल्याण क पर्यंत्रमों को प्राप्त जनता तक पहुँचाने में अपना योगदान करेगा ।

**संघर्ष :** दतित आन्ति के जनक ढा. अम्बेडकर ने कहा था कि—

“हमें राजनीतिक प्राजादी तो मिल गई है परन्तु अभी तक समाज में गैर बराबरी, ऊँच-नीच और नेदभाव मौजूद है अमीर और गरीब के बीच की दूरियाँ बढ़ गई हैं । प्रथः हमें सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय के लिये, संसाधनों के उचित वितरण के लिये, लाभ में गरीबों की मागीदारी के लिए तथा सभी तरह की आर्थिक एवं सामाजिक विषमताएं मिटाने के लिये संघर्ष करना ही होगा ।”

दतित वर्ग के लांग गिडगिडाते रहकर, आत्महीनता का शिकार बने रहकर, भाग्य के भरोसे बैठे रहकर, अपना उदार नहीं कर सकते । उन्हें अपने अधिकारों के लिये संघर्ष करना होगा । कोई भी सरकार गरीबी, शोषण एवं अनाचार मुकाबला करने को तत्पर न हो जाये ।

गरीबी दिनोदिन बढ़ रही है । वेरोजगारी के कारण पढ़े लिखे युवक अपने भविष्य के प्रति आशंकित हैं । दतितों पर प्रत्याचार निरन्तर बढ़ रहे हैं । मंहगाई, भ्रष्टाचार और अमुरक्षा की भयावह स्थितियों ने जन घस्तोप को बढ़ाया ही है । जैसे-जैसे दतितों में और गरीबों में अधिकार बोध बढ़ रहा है वैसे-वैसे शोषक सम्पन्न वर्ग के प्रत्याचार की मात्रा भी बढ़ रही है । इस तरह स्थितियाँ धीरे-धीरे विस्फोटक होती जा रही हैं । ये परिस्थितियाँ ही दतित और गरीबों को संगठित होकर समता मूलक समाज की रचना के लिये संघर्ष करने को चाप्ते-रित कर रही हैं । परन्तु हमें संघर्ष के जोश में अपने होश को नहीं खोना है हमें अपनी विशाल जन शक्ति को रचनात्मक अहिंसात्मक एवं वैधानिक प्रान्दोलन के लिये और जनमत के जागरण लिये प्रशिक्षित करना है ताकि हम अपने प्रादर्शों के मार्ग से भटक नहीं सकें ।

भारत के गरीब, पिछड़े हुये दतित मजदूर और किसान जब स्वयं जागृत होकर अपने उत्तरदायित्वों का बोध करके, राष्ट्रीय चेतना और वर्ग चेतना से भर-

## समाधान वयी वर्ग संघर्ष

पूर होकर उठ खड़े होंगे तो वे समाज के नव निर्माण के लिये रचनात्मक कार्य करेंगे। अधिक परिथम करके अपनी वदेश की भार्य व्यवस्था को मजबूत करेंगे। सामाजिक भेदभाव, ऊंच-नीच एवं अस्पस्यता का अन्त करेंगे। इस तरह धीरे-धीरे संगठित होकर वे राजनीतिक शक्ति को भी हासिल करेंगे। वर्ग चेतना का अभिन्नाय सामुहिक उत्तरदायित्व के पालन से है त कि विद्वशक आन्दोलन से।

जब तक इस देश के दलित एवं दक्षिण व्यवित्र अपने साथ हीने वाले दुर्व्यवहार के प्रति अपने अन्दर आकोश पैदा नहीं करेंगे, अपने जीवन को गरिमामय बनाने के लिये संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता है।

यह कितने खेद की बात है कि दलितों के भरे परे मोहत्त्वों में थोड़े से अपराधिक तत्व सरेआभ अपराध करते हैं लोगों को डराते, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं, बहू-वेटियों की बेइज्जती करते हैं तथा जन-समूह खड़ा-खड़ा यह सब देखता रहता है या अधिकांशतः भाग दूटता है और यही अगली वार भाग दूटने वालों के साथ होता है।

यदा यह शर्म की बात नहीं है ? कब तक इसी तरह गुलामी, बायरता और नामर्दी की जिन्दगी जीते रहोंगे ? यदा इस तरह डरते-डरते तुम्हारी सुरक्षा हो गई ? यदि नहीं तो सोच लो अपनी मान-मर्यादा के लिये, शरीर व सम्पत्ति की रक्षा के लिये और सुख सुविधा से जीने के लिये एकजुट होकर संघर्ष करोगे तभी आपकी गरिमा की रक्षा हो सकेगी।

मुझे यह कहते हुये बड़ी पीड़ा होती है कि पत्ति पिटती रहती है और पति हाथ जोड़े दया की भीख माँगता है। पुत्र पिटता है और उसका पिता भक्षक से रक्षा की भीख माँगता है। भाई के साथ अन्याय होता है और उसका भाई शोक में दूदा खड़ा रहता है। यदा इस तरह के लोग भनुष्य भी कहलाने के अविहारी हैं, कदापि नहीं।

अबे जानवर व कीड़े-मकोड़े को भी सताओ तो वह भी प्रतिरोध करता है। यदा आप लोगों की जिन्दगी कीड़े-मकोड़ों से गई चीती है ?

उत्तार फैलों कायरता और नपुंसकता के बलंक को, अन्याय का विरोध करना सीखो। आपकी, आपके परिवार व सम्पत्ति की रक्षा आपको ही करनी है। और कोई नहीं करेगा।

यदि आप अपने साथी की मदद को दीड़ोगे तो वह भी आपकी मदद करेगा। इसलिये एक दूसरे की मदद जान पर लेलते हुये भी करो। न्याय के लिये मर जाना ठीक है यजाप सिर झुकाकर अन्याय की जिन्दगी जीने से, अन्याय की सौ वर्ष की जिन्दगी से न्याय व गरिमा का एक शण महत्वपूर्ण है।

यह किनते नेद की वात है कि दलित धर्म के जो लोग अपने शोषण का अन्त करना चाहते हैं, समाज में अपने निये सम्मानित स्थान चाहते हैं वे भी अपने में निम्न स्तर की जाति के माधी को पृणा की नजर से देनते हैं। जो अपने साथ दूधादूत का बर्ताव सहन नहीं करते, वे भी अपने से नीची जाति के व्यक्ति के साथ दूधादूत का पृणित व्यवहार करते हैं।

जो स्वयं गरीब और पिछड़े हुये हैं घोर दरिद्रता में जी रहे हैं, वे भी अपने आत्म सम्मोह के लिये, अपने दूसरे साधियों से कौचा होने का दम्भ रखते हैं और उनका दूप्रा पानी तक नहीं पीते हैं। तथा उन्हें अपना संगी साथी मानने को भी तैयार नहीं है।

नहीं। इम तरह हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता है। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिये जैसा कि हम दूसरों के द्वारा, अपने प्रति किया जाना पसन्द करते हैं।

यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई पृणा का, भेदभाव और अस्मृणता का व्यवहार नहीं करे तो आपका यह कर्तव्य भी हो जाता है कि आप भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार न करें। यदि आप चाहते हैं कि समाज में आपका सम्मान हो, आपके शरीर और सम्पत्ति की रक्षा हो तो आपका यह कर्तव्य भी है कि आप दूसरों का सम्मान करें तथा दूसरे के शरीर एवं सम्पत्ति की रक्षा में सहयोगी बनें। यदि आप अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं तो आपका कर्तव्य भी है कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा में आपका सहयोग हो।

हर दलित व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि वह अपनी आत्महीनता को मिटाकर, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे अपने सम्मान व गरिमा की हर कीमत पर रक्षा करे। अपने कार्य व व्यवहार की गुणवत्ता को बढ़ाये। अपने रहन-सहन एवं खान-पान के स्तर में सुधार करे। सभी के साथ मानवीय एवं शिष्ट व्यवहार करे। समाज के प्रति अपनी सद्भावना और सेवा को विकसित करे तथा समाज में अपना आदरणीय स्थान अपने अच्छे कार्य व व्यवहार से बनाये।

दलित श्रांति की सफलता के प्रति मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। परन्तु मुझे हमेशा यही आशङ्का बनी रहती है कि यह महान आनंदोलन बदले की भावता पर आधारित होकर, उप्रे हिसा का रूप धारणा न कर ले, यदि ऐसा हुप्रा तो यह स्थिति हमारे देश व समाज के लिये बड़ी घातक होगी।

## अध्याय नं०

# उद्देश्य त्रयी - लोकशक्ति जागरण

लोकशक्ति जागरण "दलित अन्तिम दर्शन" का तीसरा सूत्र है। इस सूत्र के तीन उप सूत्र हैं:-

- (1) प्रजातन्त्र
- (2) राष्ट्रीयता
- (3) समाजवाद

इन तीनों उपसूत्रों का समुच्चय लोकशक्ति जागरण के नाम से जाना जायेगा। यह सूत्र दलित जन समूह में लोकशक्ति का जागरण करेगा। लोकशक्ति के जागरण से ही दलितों को समता मूलक समाज की स्थापना की राह दिखाई देगी।

हमारा प्रमुख लक्ष्य भारत में एक ऐसे समतामूलक, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रीय समाज की रचना करने का है जिसमें कि प्रत्येक भारतीय की विना जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्रीयता का भेद किये विकास के समान अवसर मिले। यह समाज जाति विहीन, वर्ग विहीन एवं साम्प्रदायिक कटुनां विहीन, कोई एकता से भरपूर समाज होगा। सभी तरह की आर्थिक व सामाजिक विपर्मताओं का अन्त कर सभी के लिये न्याय दिलाने को व्यवस्था समाज मे हो, इसके लिये दलित समाज सतत प्रयास करेगा। प्रजातन्त्रीय समाजवादी समाज के अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के लिये दलित मोर्चा प्रपत्ते मोर्चा प्रपत्ते आदशों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रचनात्मक प्रयास करेगा।

हमारी भारतीय संविधान मे पूरी आस्था होगी। हमारा उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय समाज में साकार हप देना है। इस सन्दर्भ में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जान लेना अत्यन्त आवश्यक है।

हम भारत के लोग,  
भारत को एक सम्पूर्ण, प्रमुख सम्पद,  
समाजवादी, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने,  
के लिये तथा

उसके समस्त नागरिकों को,  
सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय,  
विचार अभिधक्षिति, विश्वास, धर्म और  
उपासना की स्वतन्त्रता,  
प्रतिष्ठा और भ्रवसर की समता,  
प्राप्ति करने के लिये तथा उनमें सब में,  
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता,  
और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली

वन्धुता बढ़ाने के लिये,

दृढ़ संकल्प होकर अपनी-अपनी इस संविधान सभा में आज ता. 26 नव.  
1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी सवत 2006 विक्रमीको एतद-  
द्वारा इस संविधान को संगीकृत, अधिनियमित और आत्माधित करते हैं।

इस पुनीत भ्रवसर पर जब कि हम भारत की नव निर्माण योजना पर  
अम सक्रियता से विचार कर रहे हैं तो डा. अम्बेडकर के निर्मांकित उद्दरण पर  
गहराई से विचार करना होगा। उसे साकार रूप देने का प्रयास करना होगा।  
“सरकार का जनतान्त्रिक रूप समाज के जनतान्त्रिक रूप की प्रवेशा रखता  
है। यदि कोई सामाजिक जनतन्त्र नहीं है तो जनतन्त्र के साकार गत रूप का कोई  
महसूस नहीं किया। वस्तुतः वह अनुपयुक्त ही होगा। राजनीतिज्ञों ने कभी यह  
का ही एक रूप है। किसी भी जनतान्त्रिक समाज के लिये यह आवश्यक नहीं है कि  
उसमें एकता लक्ष्य की सामुदायिकता, लोक उद्देश्यों के प्रति वपादारों और सद-  
भावना की पारस्परिकता हो, किन्तु निर्विवाद रूप से उसमें दो बातें अन्तर्निहित  
हैं। प्रथम अपने साधियों के प्रति सम्मान तथा समता की मनःस्थिति एक मनो-  
भावना, द्वितीय सामाजिक वाधाओं से मुक्त एक समाज मंगठन।”

इस भ्रवसर पर साधुनिक भारत के निर्माणा भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री  
जवाहरलाल नेहरू के स्वाधीनता के भ्रवसर पर दिये गये उनके भाषण के निर्मा-  
किन भंग पौ भी ध्यान में रखना होगा।

“आधी रात के घन्टे के साथ जब संसार सो रहा है, भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर जागेगा। एक ज्ञान आता है जो इतिहास में कभी ही आता है, जब हम पुराने से नये की ओर बढ़ते हैं। जब एक युग समाप्त होता है और जब बहुत दिनों तक दशाई हुई राष्ट्र की आत्मा बोल उठती है। यह उचित ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत व उसके निवासियों की ओर उससे भी बड़ी मानवता की सेवा का संकल्प लें। भारत की सेवा का अर्थ होता है उन लाखों लोगों की सेवा। जो कि कष्ट सह रहे हैं इसके अर्थ होते हैं गरीबी, अज्ञान, रोग और अवसर की प्रसाननता को ममाप्त करना।”

### 1-प्रजातन्त्र—

हमारा प्रथम आदर्श एवं उद्देश्य प्रजातन्त्र है। प्रजातन्त्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, बल्कि जीवन की शैली है। प्रजातन्त्र की भावना हमारे प्रत्येक कार्य और व्यवहार में होनी चाहिये। प्रजातन्त्र जनता का, जनता के लिये, जनता द्वारा शासन है। जो नागरिक स्वयं प्रनुशासित होने वे ही शासन में अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकेंगे। प्रजातन्त्र के आधार है—स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व।

जवाहरलाल नेहरू ने प्रजातन्त्र की व्याख्या निम्नांकित शब्दों में की है,

“मेरे लिए गणतन्त्र का अर्थ अमुख प्रकार की सरकार तथा किसी समकानून संस्था से कुछ अधिक है। यह आवश्यक रूप से जीवन की नैतिक मानदण्डों तथा मान्यताओं की योजना है। आप गणतांत्रिक हैं या नहीं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक व्यक्ति अथवा वर्ग के रूप में किस प्रकार का आचरण तथा चिन्तन करते हैं। गणतन्त्र के लिये प्रनुशासन, सहिष्णुता, पारस्परिक सद्भावना का होना प्रत्यन्त आवश्यक है। अपनी स्वतन्त्रता के लिये दूसरों की स्वतन्त्रता के प्रति आदर का भाव होना आवश्यक है। गणतन्त्र में परिवर्तन पारस्परिक विचार विमर्श तथा समझाने वुझाने से किया जाता है, हिसक उपायों से नहीं। गणतन्त्र का अर्थ यदि कुछ है तो समानता, केवल मत देने के अधिकार का ही नहीं बल्कि आधिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी समानता। पुनर्शब्द:

“मैं किसी भी मत मतान्तर अथवा धर्म से जकड़ा हुआ नहीं हूं, किन्तु मानव की नैसर्गिक आध्यात्मिकता में विश्वास अवश्य रखता हूं। इसको कोई चाहे धर्म कहे या न कहे। मैं व्यक्ति मात्र की सहज गरिमा में विश्वास करता हूं। मेरा यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिया जाना चाहिये। मुझे ऐसा समतावादी समाज में पूरा विश्वास है जिसमें अधिक भिन्नताएँ नहीं हैं। मुझे धनी व्यक्तियों की बेहूदगी तथा निर्धनों की दरिद्रता नहीं भाती।”

डॉ. राधाकृष्णन के शब्दों में नेहरू का विश्वास या कि—

“मानवता के कूड़े करकट के देर पर विसी भी व्यक्ति को नहीं कैक देना चाहिये। उसे महत्वपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण माना जाना चाहिये। किसी को भी चाहे वह राज्य हो या कोई संगठन या व्यक्ति, व्यक्ति को दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। उनका मुक्त्य सिद्धांत यह या कि राज्य व्यक्ति के लिये है न कि व्यक्ति राज्य के लिये।”

विश्वनाथ प्रसाद वर्मा के शब्दों में—

“भूखे और नंगे व्यक्तियों के लिये कोरा मताधिकार बोई महत्व नहीं रखता यदि समाज में ऊँच-नीच, दूधादूत के भेदभाव हो, दरिद्रों पर कर कटार हो, घन का न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो और वर्गभेद का प्रसार हो तथा मुट्ठी भर शिक्षित लोग निरक्षर जन साधारण को अपने पैरों से दबाते हो तो देश व समाज में लोकतन्त्र की बात करना कोई मापना नहीं रखती है।

## 2-राष्ट्रीयता—

हमारा द्वितीय आदर्श एवं उद्देश्य राष्ट्रीयता है।

राष्ट्रीयता वी तीव्र भावना ही किसी देश को सेजों से विचार की ओर से देख सकता है। भारतीय दलित वर्ग को यदि अपने अधिकारों को प्राप्त करना है तो यह परम प्रायश्चित्त है कि वह राष्ट्र के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हो। देश की तीव्रता और अवश्वना के लिये मरना मिटना गीर्गे। बोटोरि इय देश को उन्नति की राह पर यदि कोई से जा सकता है तो वह भारत की बोटीनीटि साधारण जनना है। इस देश का कोई नव निर्माण कर सकता है तो वह देश की साधारण य गरीब जनता ही वर सकती है। दलित वर्ग से सोग ही देश की गर्व-साधारण जनना के महत्वपूर्ण घंग है, बोटोरि ये ही अधिकारान्तः परने गृह याने से देश की परतों से पथ येदा करते हैं, वस वारपाने चलते हैं, मरन प्रीर गरजों का निर्माण करते हैं पर्याप्त बृक्ष-प्रकृत व्यवस्थीय दलित वर्ग से ही लोग हैं। यिन्हें बन्धों पर देश के नव निर्माण का और अपने स्वदं दे वस्याल वा भार है। गर्वी-ददा वी भावना के धारार पर हो, गर्वीय उत्तरादादियों को दृग दररे हों वे एमाज में भवन गम्भीर व्याप बना गहरे हैं। राष्ट्र की धारा गे अमृ-मन्द वट वर, दरने ही देश बगुयों के प्रति ब्रितिगोप वी भावना वैदा वा दृग और राष्ट्र के था ११ म भी उत्तरा दृग दूर हो गहरा है और न ही गांग वा।

भरोसा है तो आप पर है, क्योंकि जो स्वार्थ में अन्धे होकर धन संग्रह की दौड़ में लगे हैं उनसे कुछ होने वाला नहीं है। आप यह भी जान लें कि अधिकारों का मृजन कत्तव्य के द्वारा ही होता है। जो व्यक्ति जिस सीमा तक उत्तरदायी होता है उसी सीमा तक अधिकारी भी हो सकता है। जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सज्ज नहीं है, देश और समाज के लिए पूरी निष्ठा और संकल्प से कार्य नहीं करता है वह कभी भी अधिकारी नहीं हो सकता है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी तरह छल-कपट करके अधिकार हासिल भी कर लेगा तो उत्तरदायित्व के अभाव में वे अधिकार स्वतः ही उससे द्विन जायेंगे। यदि इलित वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों को हासिल करना है तो वह ऐसी निष्ठा से देश के प्रति अपनी जन्मदारियों का निर्वाह करके ही कर सकेंगे। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हर वर्ग अपने अधिकारों के लिए जुझाझ हो जाता है, परन्तु देश के प्रति अपने कत्तव्यों की परवाह नहीं करता है।

जो व्यक्ति राष्ट्रीय निष्ठा एवं कत्तव्य भावना से भरपूर होता है उसी की ऊर्जा जगती है। जब तक आप अपने पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थों की पूति के लिये एवं केवल लोभ पर आधारित होकर कार्य करेंगे। सफलता नहीं मिल सकती देशभक्ति की भावना और राष्ट्र निष्ठा मनुष्य के कार्य को मुण्डवत्ता की बढ़ा देती है और उभयि का मार्ग प्रशस्त करती है।

यह देशभक्ति की भावना ही थी जिसके कारण अनेक लोग भारत माता के दीवाने हो गये। मातृभूमि को आजाद कराने के लिए वे हँसते-हँसते फासी के फंदे चूम कर शहीद हो गये। अनेक भारत माता के सपूत्रों ने देश और देशवासियों के कल्याण के लिये, जेल की यातनाएँ सही लाभियां और गोलियां खाई, परन्तु पीछे नहीं हटे। उनकी प्रेरणा से ही सारा देश जागा, स्वाधीनता संग्राम हुआ और हमने आजादी हासिल की।

अपनी जन्मभूमि का स्थान मां और वाप से भी बढ़कर है। यदि हमारी जन्मभूमि नहीं होती तो हम वहा होते ?

हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। इसकी रज में लोट-लोट कर हम बड़े हुए हैं। इसका अन्न और जल ग्रहण कर हमारा शरोर पुष्ट हुआ है। इसकी हवाएँ हमारे प्राणों का आधार हैं। और सही अधीं में देखें तो हमारे शरीर का एक एक करण मातृभूमि के उपकार का शृणि है। यदि इतना सब कुछ जानते और समझते हुए भी हमारे अन्दर राष्ट्रीयता का बोध नहीं होता है, देश के लिये भरने और मिटने का संकल्प नहीं जगता है तो हम भारत मां के सपूत कहलावे के अधिकारी नहीं हैं।

देशभक्ति की व्यापक भावना से हमें इस बात का एहसास भी होना चाहिए कि भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारत मां का लाल है इस नाते वह हमारा अपना बन्धु है, परिवार का सदस्य है। देश की सामाजिक समरसता, राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर ही कायम रह सकती है। देशभक्ति की भावना से ही जाति, सम्प्रदाय, प्रलग्नवाद और क्षेत्रीयता के कलंक से देश दो बचाकर हम देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं।

हमारे देश ने अपनी जातिगत फूट, प्रज्ञान और पुरुषार्थ हीन सत्ता के कारण संकड़ों साल की युलामी भोगी है। अब तो हमें सभलना ही होगा। देश के सामने मंडराते खतरों का मुकाबला करने के लिए देश भक्ति की भावना से ग्रोत-प्रोत होकर सर्वसाधारण भारतीयों को दलितों को, मजदूरों को, महिलाओं को और अल्प सरयों सभी को राष्ट्रीयता और बन्धुता के धारे में बाध कर एक मजबूत भारतीय कोम को हमें जन्म देना होगा।

देश की स्वाधीनता कायम रहेगी तभी हमारा जीवन, हमारे अधिकार और विकास के अवसर रहेंगे। अतः देश की एकता और अखण्डता के लिए हमें हर समय हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा तभी हम भारत माता के सच्चे सपूत कहलाने के अधिकारी होंगे।

### 3—समाजवाद—

हमारा तृतीय आदर्श एवं उद्देश्य समाजवाद है। भारतीय समाजवाद कालंमादर्स के समाजवाद से विलकूल भिन्न है। विवेक दर्शन की यह स्पष्ट मान्यता है कि भारत में जिस समाजवादी समाज की हम कल्पना करते हैं उसका निर्माण भारतीय समाज की संरचना, भारतीय संस्कृति एवं परम्पराओं, तथा भारतीयों के आदर्शों के अनुरूप ही संभव होगी।

हमारे देश का सर्वहारा वर्ग भी मावसं के सर्वहारा वर्ग से विलकूल भिन्न है। मावसं ने जिस सर्वहारा वर्ग की कल्पना की है वह आर्थिक रूप से शोषित श्रमिकों एवं मजदूरों का ही वर्ग है। जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में श्रद्धोगिक मजदूर उतनी संख्या में नहीं हैं, जितनी संख्या में लेतिहर मजदूर, कारीगर एवं सामाजिक तथा आर्थिक वर्ग के पिछड़े हूये लोग हैं। हमारे देश के साधनविहीन लोग घनेक जातियों, घर्मों एवं मान्यताओं में बैठे हुए हैं। हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक ढाँचा मावसं की कल्पना से भिन्न है। हमारे यहां शोपण की जो व्यवस्था है, उसका कारण आर्थिक होने के साथ-साथ सामाजिक भी है। अतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, विसान और मजदूर, कारीगर दस्तकार, थमज़ेवी और नौकरी पेशा महिलाएं एवं दलित सभी प्रकार के

लोग सारी कृतिम वाधाओं को हटा कर लोकनक्ति के रूप में जागृत होने तभी भारतीय समाजवाद की कल्पना साकार रूप ले सकती है।

भारतीय समाजवाद से मेरा अभिप्राय एक ऐसे समता मूलक जातिविहीन एवं वर्ग विहीन रचनात्मक समाज से है, जिसमें कि प्रत्येक भारतीय को बिना जाति, धर्म और क्षेत्रीयता का भेद किये विकास के समान अवसर मिले। आधिक और सामाजिक विषयमताओं का अन्त हो, जाति और धर्म की दीवारें टूटे और राष्ट्रीयता और बन्धुत्व के धारे में सुगठित रूप से पूरा देश एकजुट हो। हर हाथ को काम मिले और हर खेत को पानी मिले। जीवन की आवश्यक सुख-सुविधाएँ सभी को उपलब्ध हों। भारत आधिक सम्पन्नता, मानवीय गरिमा से उन्नत एक ऐसा महान राष्ट्र बने जिससे कि दुनिया के अन्य देश भी मानवता, प्रजातन्त्र और समाजवाद की सीख लें।

समाजवाद को साकार रूप देने के लिए सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को नियन्त्रित किया जाना जरूरी है। सम्पत्ति का अनियन्त्रित अधिकार ही शोपण की पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देता है। यह सही है कि सम्पत्ति के व्यक्तिगत अधिकार को मदि समाप्त किया जाता है तो पूरा देश चोपट हो जायेगा। वर्तोंकि अभी हमारे देश में अपने लिये ही काम करने की धारणा है राष्ट्र और समाज के लिये संकल्प से काम करने की भावना अभी तक हमारे देश में पैदा नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, परन्तु नियन्त्रित आवश्य किया जाना चाहिये। नागरिकों के बीच बढ़ती अभीरी और गरीबी की खाई को पाठने के लिये, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सम्पत्ति की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा आवश्यक तौर से निश्चित की जानी चाहिये। अभी तक हमारे देश में मिथित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। जिसके अन्तर्गत ही व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही तरह के उद्योग धन्धे विकसित हुए हैं। अब जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि महकारिता को बढ़ावा दिया जाये। स्वावलम्बी आधिक संस्थान का जाल सहकारिता के आधार पर देश के दीन-दलित और गरीब समूह को स्वावलम्बी बनाने के लिये फैलाये जावें। युवकों का रोजगार देने के लिये दस्तकारी, कुटीर उद्योग एवं स्वरोजगार तथा रोजगार के लिये ग्रन्तियां अवसर जुटा कर ही हम अपनी भटकी हुई युवा शक्ति को रचनात्मक देश निर्माण के कार्य में लगा सकते हैं।

हमारा समाजवाद वर्ग संघर्ष के बजाए वर्ग सहयोग पर आधारित होगा। जिसमें मिल मालिक और मजदूर, भू स्वामी और किसान, लोक सेवा से जुड़े हुए सोग सभी एक-दूसरे को सहयोग करते हुए आत्म निर्भरता को हासिल करेंगे और देश को बनाएं देंगे। इस व्यवस्था के मन्दर वृद्ध व्यक्तियों, वेधर महिलाओं एवं

11  
— ५१८ —

दलित कान्ति-दर्शन

प्रनाय बच्चों के भरण-पोषण की गरिमाशील व्यवस्था; और भावासीय औद्योगिक सत्यान स्थापित गिये जायेंगे। भिक्षा वृत्ति समाज के माथे पर घिनौना कलंक है। इसे मिटाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। देश के उत्पादन में वृद्धि हो और नाभ के वितरण की समुचित व्यवस्था हो। कृषि को विकसित होने के पूरे संसाधन हो। आत्म निर्भर गाव सहकारी उद्यम, कुटीर उद्योग के द्वारा हम एक प्राथिक और सामाजिक ढाँचे का निर्माण कर सकते हैं।

उपरोक्त सारी बातों से भी महत्व की बात यह है कि जब तक हमारे देश में अष्टाचार रहेगा, अनेतिकता रहेगी, स्वार्यपरिता रहेगी कोई भी व्यवस्था हमारा और हमारे देश का हित पूरा नहीं कर सकेगी। आज सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि लोगों के अन्दर राष्ट्रीय नैतिकता, कर्तव्य परायणता और देश सेवा की भावना का विकास हो। इसके बिना न तो हम किसी स्वस्थ समाज की रचना कर सकते हैं और न देश का विकास।

प्रजातन्त्रीय समाजवाद हमारी आवश्यकता है, जिसके लिए समस्त भारतीयों को जाति, धर्म, लिंग एवं क्षेत्रीयता का भेद भुला कर दृढ़ संकल्प होकर कार्य करना होगा। प्रजातन्त्रीय समाजवाद लाने के लिए साधन सम्पन्न एवं साधनविहीन समस्त भारतीयों को अपना योगदान अपना पुनीत कर्तव्य समझ कर देना होगा जिससे विकास के समान अवसर बिना भेदभाव के समस्त भारतीयों को उत्थान हो सके। इसी में हम सभी का और हमारे देश का हित निहित है, इसके अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है।

अत में यह निवेदन किया जाना भी आवश्यक है कि देश को विकास की ओर ले जाने के लिए और समाज को स्वस्व बनाने के लिए हमे नारी को समाज में सम्मानित, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण स्थान देना होगा।

यदि हमारे समाज में नारी सुशिक्षित सुरक्षित एवं अधिकारयुक्त होगी तो निश्चित ही हमारी संतानें ज्यादा स्वस्थ, उन्नतिशील और सद्भागी बनेगी। हमे समाज में ऐसे जीवन मूल्यों को विकसित करना है, जिससे कि बेटी का जन्म लेना भी उसी तरह से सौभाग्य सूचक माना जा सके कि जिस तरह से बेटे का। दहेज भी प्रथा समाप्त करके, बाल-विवाह और अनमेल विवाह को रोककर, नारी शिक्षा को बढ़ावा देकर ही हम नारी शक्ति को राष्ट्र की शक्ति के साथ जोड़कर कामयादी के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। - .

